दृष्टि The Vision

मेन्स
आंसर राइटिंग
(Consolidation)

जनवरी
2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 7
- भूगोल 11
- भारतीय विरासत और संस्कृति 15

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **17**

- राजनीति और शासन 17
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 24
- सामाजिक न्याय 31

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **33**

- अर्थव्यवस्था 33
- आंतरिक सुरक्षा 40
- जैवविविधता और पर्यावरण 41
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 47

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **52**

- केस स्टडी 52
- सैद्धांतिक प्रश्न 67

निबंध **82**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक था। चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भक्ति आंदोलन के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- भक्ति आंदोलन को सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति के रूप में समर्थन देने वाले संवर्द्धनों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- भक्ति आंदोलन की सीमाओं को बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भक्ति आंदोलन, जो व्यक्तिगत रूप से कल्पित सर्वोच्च ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण पर आधारित था, मध्यकालीन भारत की सामाजिक-धार्मिक गतिशीलता के प्रति एक गहन समन्वय के रूप में विकसित हुआ।

- अलवार और नयनार जैसे संत-कवियों के नेतृत्व में यह आंदोलन मात्र धार्मिक सुधार की सीमाओं से आगे बढ़कर एक सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति बन गया, जिसने समावेशिता, समतावाद और साझा आध्यात्मिक लोकाचार को बढ़ावा दिया।

मुख्य भाग:

सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति के रूप में भक्ति आंदोलन:

- **धार्मिक समानता और सामाजिक समावेशन:** भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन समाज पर हावी कठोर जातिगत और लैंगिक पदानुक्रम को चुनौती दी।
  - अंदल और नंदनार जैसे संतों ने तमिल में उपदेश दिया, जिससे भक्ति का प्रसार सीमांत समुदायों तक हुआ।
  - कबीर (जो एक बुनकर थे) और रैदास (जो एक चर्मकार थे) जैसे संतों ने जातिगत भेदभाव का खंडन करते हुए निर्गुण भक्ति (निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण) के माध्यम से सार्वभौमिक भाईचारे पर बल दिया।
- **स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा:** इस आंदोलन ने संस्कृत की जगह स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देकर धार्मिक अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया, क्योंकि उस समय संस्कृत पर अभिजात वर्ग का एकाधिकार था।
  - तुलसीदास (अवधी) और गुरु नानक (पंजाबी) जैसे संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया।
  - इस भाषाई समावेशिता ने अखिल भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सृजन किया तथा साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया।
- **कर्मकांड और रूढ़िवाद का प्रतिरोध:** भक्ति आंदोलन ने ब्राह्मणवाद के कठोर कर्मकांडों और पुरोहितवाद के वर्चस्व का खंडन कर दिया।
  - रामानुज के दर्शन में भक्ति को कर्मकांडीय प्रथाओं से श्रेष्ठ तथा सभी के लिये सुलभ बताया गया है।
  - कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास की निंदा की।
  - कबीर की आलोचना: ***"पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ।।"*** (अर्थ: केवल धर्मग्रंथ पढ़ते-पढ़ते कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, असली ज्ञानी तो वह है जो प्रेम और सच्चाई के सार को समझ सके।)
- **समतावादी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** भक्ति आंदोलन ने कारीगरों, किसानों और व्यापारियों सहित सीमांत समूहों को आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान की।
  - सल्तनत के संरक्षण में शहरी कारीगर वर्ग के उदय ने आंदोलन की लोकप्रियता के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं।
  - गुरु नानक का श्रम की गरिमा (***किरत करो*** - ईमानदारी से जीविकोपार्जन करो) पर बल शहरी श्रमिक वर्गों में गूँज उठा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सामुदायिक रसोई (*लंगर*) और सत्संग ने सभी जातियों में समानता और एकजुटता को बढ़ावा दिया।
- **लिंग समावेशिता:** इस आंदोलन ने महिलाओं को अपनी भक्ति व्यक्त करने और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिये एक मंच प्रदान किया।
  - दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तमिल कवयित्री अंदल ने पुरुष-प्रधान धार्मिक क्षेत्र को चुनौती दी।
    - उत्तर भारत में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से राजसी और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी।
  - महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने आध्यात्मिक स्थानों में पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ने में मदद की।
- **संस्कृतियों का समन्वय:** भक्ति आंदोलन ने हिंदू और इस्लामी आध्यात्मिक परंपराओं के बीच के अंतर को कम कर दिया तथा समन्वयवाद को बढ़ावा दिया।
  - निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने भक्ति अधिनायकों को प्रभावित किया तथा प्रेम एवं भक्ति की साझा आध्यात्मिक शब्दावली का निर्माण किया।
  - कबीर की शिक्षाओं में दोनों परंपराओं के तत्त्वों का मिश्रण था तथा बाह्य सिद्धांतों की अपेक्षा आंतरिक अनुभूति पर बल दिया गया था।

आंदोलन की सीमाएँ:

- **जाति व्यवस्था को आंशिक चुनौती:** जबकि भक्ति संतों ने धार्मिक समानता पर बल दिया, वे प्राय: जाति की सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के साथ सीधे टकराव से बचते थे।
  - **उदाहरण:** रामानुज ने कहा कि चौथे समुदाय के लोग वेदों में वर्णित उपासना करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनमें आवश्यक योग्यता का अभाव है।
- **ब्राह्मणवादी विचारधारा में एकीकरण:** समय के साथ, कई भक्ति परंपराएँ रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद में समाहित हो गईं, जिससे उनकी क्रांतिकारी क्षमता क्षीण हो गई।

निष्कर्ष:

भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक सुधार नहीं था बल्कि एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति थी। जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देकर, महिलाओं को सशक्त बनाकर, भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देकर और समतावादी आदर्शों को बढ़ावा देकर, इसने मध्यकालीन भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को नया आयाम दिया।

प्रश्न : 1857 के विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने न केवल प्रशासन में, बल्कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण वैचारिक संरचना में एक मौलिक बदलाव को चिह्नित किया। टिप्पणी कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सिपाही विद्रोह और ब्रिटिश प्रतिक्रिया के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- प्रारंभिक ब्रिटिश प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिये।
- प्रशासनिक सुधारों और वैचारिक बदलावों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सिपाही विद्रोह (जिसे सन् 1857 के विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है) एक प्रलयकारी घटना थी जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हिलाकर रख दिया था। इस उथल-पुथल की प्रतिक्रिया बहुआयामी थी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक प्रशासनिक सुधार हुए और औपनिवेशिक नीति को नियंत्रित करने वाले वैचारिक ढाँचे की पुनर्संरचना हुई।

मुख्य भाग:

प्रारंभिक ब्रिटिश प्रतिक्रिया:

- **ब्रिटेन शासन को झटका और आक्रोश:** विद्रोह की प्रारंभिक खबर से ब्रिटेन में व्यापक दहशत और आक्रोश फैल गया।
  - विद्रोहियों द्वारा किये गए अत्याचारों की खबरों, जैसे कानपुर में ब्रिटिश नागरिकों की हत्या, ने कड़ी सजा की मांग को बढ़ावा दिया।
    - इससे प्रतिशोधात्मक माहौल बन गया और पूरे ब्रिटेन में "कानपुर को याद रखो" जैसे नारे गूंजने लगे।
- **बदला लेने का आह्वान:** कोलिन कैम्पबेल और गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग जैसे प्रभावशाली लोगों ने विद्रोह को दबाने के लिये कठोर उपाय अपनाए, हालाँकि बाद में कैनिंग ने भारतीयों को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अधिकविद्रोही होने से बचने के लिये शांति और संयम की नीति अपनाने का समर्थन किया।"

- **असहमति के स्वर:** रिचर्ड कोबडेन और लॉर्ड शेफ्ट्सबरी जैसे सुधारवादियों सहित कुछ लोगों ने अविवेकी प्रतिशोध के प्रति आगाह किया तथा भारत में दीर्घकालिक ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिये संयम बरतने का आग्रह किया।

प्रशासनिक सुधार:

- **ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन:** अपनी अकुशलता और भ्रष्टाचार के लिये लंबे समय से आलोचना की जा रही कंपनी को समाप्त कर दिया गया।
  - यह धारणा कि इसकी नीतियों जैसे कि व्यपगत का सिद्धांत और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप ने विद्रोह को जन्म दिया था, इसके विघटन का कारण बनी।
- **क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष शासन:** भारत सरकार अधिनियम, 1858 ने सत्ता के हस्तांतरण को औपचारिक रूप दिया।
  - भारत का शासन अब महारानी विक्टोरिया के नाम पर था, जिससे उपनिवेश के लिये सीधे तौर पर शाही उत्तरदायित्व का संकेत मिलता था।
  - गवर्नर-जनरल के कार्यालय का पुनर्गठन किया गया और उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जिसमें वायसराय भारत में क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।
- **नई संस्थाओं की स्थापना:** लंदन में एक नया पद, भारत सचिव बनाया गया, जो भारतीय प्रशासन की देखरेख करता था।
  - इससे औपनिवेशिक शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक सख्त हो गया।
- **सेना का पुनर्गठन:** एक और विद्रोह को रोकने के लिये भारत में ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया:
  - यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीय सैनिकों पर निर्भरता कम हो गयी।
  - सैन्य शक्ति की रीढ़, तोपखाना, विशेष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया था।
- **सैन्य उद्देश्यों के लिये अवसंरचनात्मक विकास:** रेलवे, सड़क और टेलीग्राफ प्रणालियों का विस्तार भारत के लाभ के लिये नहीं, बल्कि भविष्य में विद्रोह की स्थिति में ब्रिटिश सैनिकों के तीव्र आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिये किया गया था।

वैचारिक बदलाव:

- **सुधारवाद से रूढ़िवाद तक:** सन् 1857 से पूर्व, ब्रिटिश शासन ने सुधारवादी नीतियों पर जोर दिया, जिसमें पश्चिमीकरण, सामाजिक सुधार (जैसे: सती प्रथा का उन्मूलन) और अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल था।
  - सन् 1857 के बाद, अंग्रेजों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया और भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने से परहेज़ किया।
- **फूट डालो और राज करो की संस्थागत स्थापना:** इस विद्रोह ने विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों की सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित किया, जिससे अंग्रेज़ों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिये प्रेरित किया गया।
  - सांप्रदायिक पहचान को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया, तथा ब्रिटिश नीतियों में मुसलमानों जैसे कुछ समुदायों का पक्ष लिया गया, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा सके।
- **नस्लीय श्रेष्ठता का उदय:** विद्रोह ने अंग्रेज़ों के बीच नस्लीय दृष्टिकोण को और बढ़ावा दिया। सन् 1857 से पहले समानता और नैतिक उत्थान के उदारवादी आदर्शों की जगह नस्लीय श्रेष्ठता और अलगाव की खुली भावना ने ले ली।
  - भारतीयों को उच्च प्रशासनिक और सैन्य पदों से लगातार बाहर रखा गया, जिससे औपनिवेशिक पदानुक्रम दृढ़ होता गया।
- **निगरानी और नियंत्रण को मज़बूत किया गया:** ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में विद्रोहों को रोकने के लिये खुफिया नेटवर्क में निवेश किया।
  - जासूस, मुखबिर और एक मज़बूत पुलिस प्रणाली शासन का अभिन्न अंग बन गए।

निष्कर्ष:

सन् 1857-1858 के सिपाही विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने भारतीय औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। विद्रोह ने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन और क्राउन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन को औपचारिक रूप दिया, बल्कि वैचारिक बदलाव भी लाए, जिसने सुधार पर एकीकरण को प्राथमिकता दी। फूट डालो और राज करो, नस्लीय अलगाव एवं सैन्य पुनर्गठन जैसी नीतियों ने ब्रिटिश प्रभुत्व को सुनिश्चित किया, लेकिन भारतीयों के अलगाव को भी बढ़ावा दिया।

प्रश्न : "भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस ने जनमत को संगठित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।" इस संदर्भ में परीक्षण कीजिये कि औपनिवेशिक नीतियों ने असहमति की इस आवाज़ को दबाने हेतु क्या उपाय किये? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में प्रेस के उदय और जनमत को संगठित करने में इसकी भूमिका के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- जनमत जुटाने में प्रेस की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रेस को दबाने की औपनिवेशिक नीतियों पर प्रकाश डालिये।
- दमन के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषाओं में प्रेस का उदय हुआ, जो औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ जनमत जुटाने में सहायक बने।

- ये समाचार पत्र औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करते हुए स्वशासन, लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार करने में महत्त्वपूर्ण थे।
- प्रत्युत्तर में, ब्रिटिश सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिये कई दमनकारी नीतियाँ लागू कीं।

मुख्य भाग:

जनमत जुटाने में प्रेस की भूमिका

- **जागरूकता और राजनीतिक शिक्षा:** ***केसरी*** (मराठी), ***द हिंदू*** और ***अमृत बाज़ार पत्रिका*** जैसे समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया तथा जनता को नागरिक अधिकारों, लोकतंत्र व औद्योगीकरण के बारे में शिक्षित किया।
- **जनमत का निर्माण:** प्रेस ने भारतीयों के बीच एकता का आग्रह किया, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की तथा अकाल कुप्रबंधन और शोषणकारी कराधान जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का विरोध किया।
- **राष्ट्रीय नेताओं के लिये मंच:** बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादाभाई नौरोजी जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करने तथा सामूहिक प्रतिरोध को प्रेरित करने के लिये समाचार पत्रों को मंच के रूप में इस्तेमाल किया।
- **सुदूर क्षेत्रों में राजनीतिक लामबंदी:** समाचार पत्र सुदूर गाँवों तक भी पहुँचे, जहाँ स्थानीय पुस्तकालयों में संपादकीय एवं लेख पढ़े गए, जिससे चर्चा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

प्रेस को दबाने की औपनिवेशिक नीतियाँ

- **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 (गैगिंग एक्ट)**
  - इसका उद्देश्य स्थानीय प्रेस को दबाना था, जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करता था, विशेष रूप से 1876-77 के अकाल और असाधारण दिल्ली दरबार जैसी घटनाओं के दौरान।
- **प्रावधान:**
  - यदि समाचार-पत्रों के कारण 'असंतोष' या धार्मिक/जाति-आधारित द्वेष उत्पन्न होता है तो ज़िला मजिस्ट्रेट सुरक्षा जमा की मांग कर सकते हैं और प्रेस उपकरण जब्त कर सकते हैं।
  - मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी।
    - अधिनियम से छूट पाने के लिये स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप अनिवार्य कर दी गई।
  - जनता के विरोध के कारण वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया।
- **IPC की धारा 124A और 153A (राजद्रोह कानून)**
  - धारा 124A के तहत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न करने के किसी भी प्रयास को अपराध घोषित किया गया, जिसके लिये आजीवन कारावास सहित दंड का प्रावधान था।
  - धारा 153A उन लेखों पर लक्षित थी जो विभिन्न वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न करते थे, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी एकता को रोकना था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: *केसरी* में बाल गंगाधर तिलक के लेखन के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, जिसमें उनके लेखों और भाषणों के लिये मांडले में छह वर्ष की सजा भी शामिल है।

- **समाचार पत्र (अपराधों को उकसाना) अधिनियम, 1908**
  - स्वदेशी आंदोलन के दौरान उग्रवादी राष्ट्रवादी प्रेस को दबाने के लिये अधिनियमित किया गया।
  - मजिस्ट्रेटों को मुद्रणालयों को ज़ब्त करने तथा हिंसा या विद्रोह भड़काने वाली सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को दंडित करने का अधिकार दिया गया।
- **भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910**
  - वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कठोर प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया, जिसके तहत मुद्रकों को प्रतिभूति जमा करने तथा सेंसरशिप के लिये समाचार पत्रों की प्रतियाँ सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों पर अंकुश लगाना तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करना था।

दमन के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया:

- **रणनीतिक विध्वंस:** राष्ट्रवादी पत्रकारों ने सेंसरशिप से बचने के लिये रचनात्मक रणनीति का प्रयोग किया।
  - उदाहरण के लिये, उन्होंने आलोचनात्मक लेखों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की घोषणाओं से की या अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक शासन पर निशाना साधने के लिये अंग्रेज़ी समाचार पत्रों से साम्राज्यवाद की आलोचनाओं को उद्धृत किया।
- **जन आंदोलन:** दमनकारी कानून प्राय: विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रवादी आंदोलन के लिये जनता का समर्थन बढ़ता है।
- **स्वदेशी आंदोलन की भूमिका:** इस अवधि के दौरान, ***केसरी*** और ***बंदे मातरम*** जैसे समाचार पत्रों ने सरकारी दमन के बावजूद स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार का खुले तौर पर समर्थन किया।

निष्कर्ष:

प्रेस ने राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने, राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करने और औपनिवेशिक नीतियों की आलोचनात्मक जाँच करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जीवनरेखा के रूप में कार्य किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और राजद्रोह कानूनों जैसे दमनकारी कानूनों के बावजूद, समुत्थानशील राष्ट्रवादी प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बन गया, जिसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाया।

भारतीय समाज

प्रश्न : "पारंपरिक कला रूपों के व्यावसायीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और विकृत दोनों किया है।" चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के पारंपरिक कला रूपों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण में व्यावसायीकरण के योगदान को बताइये।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत पर व्यावसायीकरण के नकारात्मक प्रभावों पर गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- "संतुलन बनाना: विरूपण के बिना संरक्षण" पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के पारंपरिक कला रूप, जैसे मधुबनी चित्रकारी, कथक, पट्टचित्र और चिकनकारी कढ़ाई, सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, क्षेत्रीय पहचान एवं आध्यात्मिक महत्त्व को दर्शाते हैं।

- हाल के दशकों में, व्यावसायीकरण ने उनकी दृश्यता और आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा दिया है, फिर भी इसने सांस्कृतिक मंदन, प्रामाणिकता की हानि तथा शोषण जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया है।

मुख्य भाग:

पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण में व्यावसायीकरण का योगदान

- **कारीगरों का आर्थिक सशक्तीकरण:** व्यावसायीकरण ने कारीगरों को निरंतर आजीविका प्रदान की है, जिससे आधुनिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अर्थव्यवस्था में पारंपरिक शिल्प आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन गए हैं।

- उदाहरण: बनारसी रेशम और पश्मीना शॉल जैसे हथकरघा क्षेत्रों ने वैश्विक बाज़ार हासिल कर लिया है, जिससे हज़ारों कारीगरों को आर्थिक जीविका सुनिश्चित हुई है।

- **लुप्त होती कलाओं का पुनरुद्धार:** विलुप्त होने के कगार पर पहुँची कई कलाओं को बाज़ार की मांग और लक्षित सरकारी सहायता के कारण पुनर्जीवित किया गया है।
  - उदाहरण: महाराष्ट्र की वारली कला का प्रयोग फैशन, गृह सज्जा और वैश्विक प्रदर्शनियों में किया जाता है।
- **वैश्विक मान्यता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** वैश्वीकरण ने भारतीय कला रूपों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने का अवसर दिया है, तथा अंतर-सांस्कृतिक प्रशंसा और सहयोग को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण: काँचीपुरम साड़ियों, जयपुर की ब्लू पॉटरी की GI टैगिंग उनकी विशिष्टता और प्रामाणिकता के संरक्षण को सुनिश्चित करती है।
- **आधुनिक डिज़ाइन और उपयोगिता के साथ एकीकरण:** आधुनिक रुचियों को अपनाकर और उपयोगिता को शामिल करके, पारंपरिक कला रूपों ने समकालीन जीवन शैली में प्रासंगिकता पाई है।
  - उदाहरण: पारंपरिक गोंड कला अब भित्ति चित्र कला, स्टेशनरी और वस्त्रों में देखी जा रही है, जो इसे शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ती है।
- **सरकारी और निजी क्षेत्र का समर्थन:** "एक ज़िला, एक उत्पाद" (ODOP) पहल जैसी योजनाएँ और ट्राइब्स इंडिया जैसे मंच कारीगरों के अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक स्तर पर पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देते हैं।

भारत की सांस्कृतिक विरासत पर व्यावसायीकरण के नकारात्मक प्रभाव

- **प्रामाणिकता और पारंपरिक तकनीकों की हानि:** उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, पारंपरिक तरीकों, प्रतीकों एवं रूपांकनों को प्राय: बदल दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
  - उदाहरण: हथकरघा बुनाई में प्राकृतिक रंगों का स्थान सिंथेटिक रंगों ने ले लिया है, जिससे पर्यावरणीय संवहनीयता और सांस्कृतिक प्रामाणिकता से समझौता हो रहा है।
- **समरूपीकरण और मानकीकरण:** कारीगरों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये एक समान डिज़ाइन बनाने के लिये मजबूर किया जाता है, जो हस्तनिर्मित वस्तुओं की विशिष्टता और विविधता को कमज़ोर करता है।
  - उदाहरण: पारंपरिक कथाओं से रहित मानकीकृत मधुबनी डिज़ाइन अब हैंडबैग पर बड़े पैमाने पर मुद्रित किये जाते हैं, जिससे उनका सांस्कृतिक सार मंद पड़ता जा रहा है।
- **सांस्कृतिक वस्तुकरण:** पारंपरिक कला रूप, जो आध्यात्मिकता, अनुष्ठानों और सामाजिक पहचान में गहन रूप से निहित थे, अब बिक्री के लिये वस्तुओं के रूप में वस्तुकृत हो गए हैं, जिससे उनका अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्य समाप्त सा हो गया है।
  - उदाहरण: भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूप, जो पवित्र मंदिर प्रदर्शन थे, अब पर्यटकों के लिये लघु मंच शो के रूप में व्यावसायीकृत हो गए हैं।
- **कारीगरों का शोषण और हाशिए पर जाना:** बिचौलिये प्राय: मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं, जिससे कारीगरों को बहुत कम मुनाफा मिलता है। इससे युवा पीढ़ी पारंपरिक शिल्प को अपनाने से हतोत्साहित होती है।
  - उदाहरण: बनारसी साड़ियों का बाज़ार मूल्य अधिक होने के बावजूद वाराणसी के हथकरघा बुनकरों को उचित मजदूरी पाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
- **नकल के माध्यम से सांस्कृतिक क्षरण:** विशेष रूप से चीन जैसे देशों से पारंपरिक शिल्प की सस्ती नकल और मशीन-निर्मित प्रतिकृतियों का उदय, प्रामाणिक भारतीय कला के मूल्य और पहचान को कमज़ोर करता है।
  - उदाहरण: मशीन से बने कश्मीरी शॉल प्राय: बाज़ार में हाथ से बुने हुए शॉल को पछाड़ देते हैं, जिससे वास्तविक कारीगरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
- **क्षेत्रीय विविधताओं की उपेक्षा:** विपणन योग्य कला रूपों पर ध्यान केंद्रित करने से कम ज्ञात लेकिन समान रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शिल्पों की उपेक्षा होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: ओडिशा की सौरा चित्रकला जैसी जनजातीय कलाओं को मधुबनी जैसे मुख्यधारा के शिल्पों की तुलना में बहुत कम ध्यान मिलता है।

संतुलन बनाना: विरूपण के बिना संरक्षण

- **कारीगरों के सशक्तीकरण को मज़बूत करना:** सीधे उपभोक्ता तक पहुँचने वाले प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे बिचौलियों को नियंत्रित किया जा सके और कारीगरों को उचित मुआवज़ा मिलना सुनिश्चित हो सके।
  - उदाहरण: क्राफ्ट्सविला और गाथा जैसे प्लेटफॉर्मों ने कारीगरों को वैश्विक बाज़ारों से सफलतापूर्वक जोड़ा है।
- **नैतिक व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना:** गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों और नैतिक ब्रांडों के साथ सहयोग किये जाने की आवश्यकता है जो पारंपरिक तकनीकों एवं निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं।
  - उदाहरण: फैबइंडिया ग्रामीण कारीगरों के साथ सीधे तौर पर काम करता है ताकि उनके उत्पादों को बाज़ार योग्य बनाते हुए पारंपरिक तरीकों को संरक्षित किया जा सके।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:** सरकार को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) और अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (AHVY) जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता, रियायती कच्चा माल एवं विपणन सहायता प्रदान करनी चाहिये।
  - प्रामाणिकता की रक्षा और नकली उत्पादों को रोकने के लिये GI टैगिंग का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **सांस्कृतिक प्रशंसा के लिये जागरूकता अभियान:** उपभोक्ताओं को पारंपरिक शिल्प के सांस्कृतिक महत्त्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तुलना में प्रामाणिकता को महत्त्व देने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- **युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** कौशल विकास कार्यक्रमों को पारंपरिक तकनीकों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये युवा कारीगरों को लक्ष्य बनाना चाहिये।
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक कलाओं को स्कूल पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **सांस्कृतिक पर्यटन:** पारंपरिक कला रूपों को उनके मूल सांस्कृतिक संदर्भ में प्रदर्शित करने के लिये विरासत गाँवों और शिल्प मेलों जैसी पर्यटन पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, हरियाणा में सूरजकुंड मेला कारीगरों को खरीदारों के साथ सीधे सौदाकारी करने के लिये एक मंच प्रदान करता है, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

भारत में पारंपरिक कला रूपों का व्यावसायीकरण दोधारी तलवार की तरह रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत की सांस्कृतिक विरासत जीवंत और प्रामाणिक बनी रहे, एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है– जो नैतिक व्यावसायीकरण, मज़बूत सरकारी नीतियों, उपभोक्ता जागरूकता और कारीगरों की सक्रिय भागीदारी को एकीकृत करता है। ऐसे उपायों के साथ, व्यावसायीकरण विकृति के कारण के बजाय स्थायी संरक्षण के लिये एक साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

प्रश्न : "भारत में एक नए मध्यम वर्ग के उदय ने सामाजिक पूंजी के अनूठे रूपों का निर्माण किया है, जबकि साथ ही मौजूदा असमानताओं को और गहरा किया है।" इस पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के नए मध्यम वर्ग के उदय के संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर दीजिये।
- नये मध्यम वर्ग द्वारा निर्मित सामाजिक पूंजी के रूपों पर प्रकाश डालिये।
- मध्यम वर्ग के उदय के कारण बढ़ती असमानताओं को वैध ठहराने वाले तर्क दीजिये।
- मुख्य बिंदुओं का सारांश दीजिये और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का नवीन मध्यम वर्ग, जो जनसंख्या का 31% प्रतिनिधित्व करता है, तीव्र आर्थिक विकास, शहरीकरण और वैश्वीकरण, विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालाँकि, इसी विकास ने कमज़ोर वर्गों को हाशिये पर धकेलकर तथा संसाधनों, शिक्षा और अवसरों तक पहुँच में विभाजन को बढ़ाकर असमानताओं को बढ़ा दिया है।

मुख्य भाग:

नये मध्यम वर्ग द्वारा निर्मित सामाजिक पूंजी के रूप

- **नागरिक सहभागिता और सामुदायिक पहल**
  - मध्यम वर्ग ने ज़मीनी स्तर के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (*जैसे: वर्ष 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन*) और पर्यावरण सक्रियता (*जैसे: मुंबई में आरे बचाओ अभियान*)।
  - शहरी प्रशासन में रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) प्रमुख भूमिका में आ गए हैं, जो बेहतर नागरिक सुविधाएँ सुनिश्चित करते हैं तथा समाज में विश्वास एवं सहयोग का नेटवर्क बनाते हैं।
- **आर्थिक विकास और नवाचार में योगदान**
  - बढ़ते मध्यम वर्ग ने उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न किये हैं और उपभोक्ता मांग में वृद्धि की है।
  - उदाहरण: ज़ोमैटो, मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्ट-अप का उदय इस वर्ग की आकांक्षात्मक मानसिकता को दर्शाता है।
- **शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रन**
  - मध्यम वर्गीय परिवार उन्नति के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्त्वपूर्ण निवेश करते हैं, जिससे कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण: निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, एड-टेक प्लेटफॉर्मों का विस्तार और वैश्विक शैक्षिक मानकों की मांग।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन**
  - इस वर्ग ने सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन का नेतृत्व किया है, जैसे कार्यबल में महिलाओं की अधिक स्वीकार्यता, छोटे एकल परिवार तथा योग्यता आधारित अवसरों की ओर बदलाव।
  - सामाजिक पूंजी सक्रियता, कॅरियर के अवसरों और ज्ञान साझाकरण हेतु नेटवर्क बनाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों (*उदाहरण के लिये, **लिंक्डइन, ऑनलाइन वकालत समूह***) के उपयोग में भी स्पष्ट है।

मध्यम वर्ग के उदय के कारण बढ़ती असमानताएँ

- **शहरी-ग्रामीण विभाजन का विस्तार**
  - मध्यम वर्ग की समृद्धि बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे ग्रामीण समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं रोज़गार के अवसरों तक अपर्याप्त पहुँच मिलती है।
    - उदाहरण: डिजिटल विभाजन, जहाँ शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों के पास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक अधिक पहुँच है, शिक्षा एवं नौकरी के अवसरों में असमानता को बढ़ाता है।
- **रोज़गार के अवसरों में बढ़ती असमानताएँ**
  - भारत के सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव से मध्यम वर्ग को असमान रूप से लाभ हुआ है, विशेष रूप से IT और वित्त में, जबकि कृषि और विनिर्माण जैसे पारंपरिक व्यवसाय पीछे रह गए हैं।
    - उदाहरण: उच्च वेतन वाली IT नौकरियाँ बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पास आय वृद्धि के सीमित अवसर हैं।
- **पर्यावरणीय असमानताएँ**
  - मध्यम वर्ग, जो उर्ध्वगामी गतिशीलता और उपभोग पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राय: गरीबों की कीमत पर पर्यावरणीय क्षरण में बहुत बड़ा योगदान देता है।
    - मध्यम वर्गीय आवास और जीवनशैली की मांग को पूरा करने वाले शहरी विकास के कारण वनों की कटाई, कृषि भूमि का ह्रास तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रदूषण होता है।
    - शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएँ हाशिये पर पड़े ग्रामीण समुदायों को विस्थापित करती हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुँच को कम करती हैं।
- **सांस्कृतिक एवं आकांक्षात्मक विभाजन**
  - उपभोक्तावादी मध्यवर्गीय संस्कृति के उदय से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आकांक्षात्मक विभाजन उत्पन्न हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ग्रामीण क्षेत्रों के युवा लोग सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली शहरी मध्यवर्गीय जीवनशैली की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या नौकरी प्रशिक्षण तक पहुँच नहीं होती है।

निष्कर्ष:

भारत में नए मध्यम वर्ग का उदय अवसरों और चुनौतियों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि इसने नागरिक जुड़ाव, उद्यमशीलता एवं शिक्षा के माध्यम से सामाजिक पूंजी के अनूठे रूपों का निर्माण किया है, इसके लाभ असमान रूप से वितरित हैं, जिससे मौजूदा असमानताएँ और गहरी हो गई हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिये, नीतियों का लक्ष्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होना चाहिये।

भूगोल

प्रश्न : प्रायद्वीपीय भारत की प्राकृतिक संरचना उसके जल निकासी पैटर्न, जलवायु और आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती है? विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रायद्वीपीय भारत की प्राकृतिक संरचना के संक्षिप्त विवरण के साथ उत्तर दीजिये।
- जल निकासी पैटर्न पर भौतिक भूगोल का प्रभाव बताइये।
- जलवायु पर भौतिक भूगोल के प्रभाव की विवेचना कीजिये।
- आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव को बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्रायद्वीपीय भारत की भौतिक संरचना, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट, दक्कन का पठार एवं तटीय मैदान जैसी विशिष्ट भू-वैज्ञानिक विशेषताएँ शामिल हैं, इसकी जल निकासी प्रणालियों, जलवायु एवं आर्थिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

मुख्य भाग:

जल निकासी पैटर्न पर प्राकृतिक भूगोल का प्रभाव:

- **नदियों की प्रकृति:** गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशत: मौसमी हैं, जो मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, क्योंकि कठोर चट्टानी भू-भाग भूजल पुनर्भरण को सीमित करता है।
  - **उदाहरण:** महानदी और गोदावरी में गैर-मानसून महीनों के दौरान अल्प जल-प्रवाह होता है।
- **प्रवाह दिशा:** नदियाँ दक्कन पठार के पश्चिम-पूर्वी ढलान से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जल निकासी होती है।
  - **उदाहरण:** कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और तापी जैसे अपवाद संरचनात्मक दोषों के कारण पश्चिम की ओर बहती हैं।

जलवायु पर भौतिक भूगोल का प्रभाव:

प्रायद्वीपीय भारत की भौतिक संरचना, विशेषकर इसके पठार, पर्वतीय क्षेत्र और तटीय मैदान, क्षेत्रीय जलवायु परिस्थितियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मानसून गतिशीलता:** पश्चिमी घाट एक पर्वतीय अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पवनाभिमुख हिस्से में भारी वर्षा होती है (जैसे- केरल, कोंकण) और प्रतिपवन हिस्से में वृष्टि छाया होती है (जैसे- कर्नाटक, तेलंगाना)।
- **तापमान पैटर्न:** अपने उत्तुंग भू-भाग के कारण विशाल दक्कन का पठार, उच्च दैनिक तापमान विविधताओं के साथ महाद्वीपीय जलवायु परिस्थितियों का कारक है।
  - तटीय मैदानों में समुद्री जलवायु और मध्यम तापमान का अनुभव होता है।
- **चक्रवाती गतिविधि:** पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति संवेदनशील हैं, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं (जैसे- चक्रवात फैनी)।

आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव:

प्रायद्वीपीय भारत की विविध प्राकृतिक संरचना कृषि से लेकर खनन एवं उद्योग तक विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

- **कृषि**
  - नदी डेल्टा (जैसे: कृष्णा-गोदावरी) गहन कृषि, विशेषकर चावल की खेती को बढ़ावा देते हैं।
  - सीमित सिंचाई के कारण दक्कन के पठार कदन्न, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की उपज हो पाती है।
- **खनिज संसाधन और उद्योग**
  - कोयला, लौह अयस्क और मैंगनीज़ से समृद्ध छोटानागपुर पठार झारखंड व ओडिशा में इस्पात उत्पादन जैसे उद्योगों को समर्थन देता है।
  - पश्चिमी घाट एल्युमिनियम उद्योगों के लिये बॉक्साइट और लेटराइट प्रदान करते हैं।
- **पर्यटन**
  - कर्नाटक में हम्पी और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जैसे प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- **जलविद्युत क्षमता**
  - कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों का उपयोग जलविद्युत परियोजनाओं के लिये किया जाता है। (कर्नाटक में शरावती जलविद्युत परियोजना)।
- बंदरगाह और मात्स्यिकी: पश्चिमी व पूर्वी तटीय मैदान पत्तन-पोत अर्थव्यवस्थाओं (जैसे- मुंबई, विशाखापत्तनम) और सागरीय मत्स्यन उद्योगों का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष:

प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक संरचना इसकी जल निकासी व्यवस्था, जलवायु परिस्थितियों और आर्थिक अवसरों को जटिल रूप से आयाम देती है, जिससे क्षेत्रीय विविधता एवं क्षमता को बढ़ावा मिलता है। असमान वर्षा, जल की कमी तथा संसाधनों के संधारणीय उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करके इस अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र की आर्थिक एवं पर्यावरणीय संभावनाओं को और बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न : हिमालयी नदियाँ पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी बदलावों के प्रति संवेदनशील क्यों होती हैं? चर्चा कीजिये **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करते हुए उत्तर दीजिये।
- हिमालयी नदियों के वर्षभर प्रवाह बनाम प्रायद्वीपीय नदियों के मौसमी परिवर्तनों के जिम्मेदार भौगोलिक कारकों को बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हिमालय की नदियाँ जैसे: गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, बारहमासी प्रवाह बनाए रखती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे: गोदावरी, कृष्णा और महानदी के निर्वहन में मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये अंतर अलग-अलग भौगोलिक, जलवायु और जल विज्ञान संबंधी कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं जो इनके प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

भौगोलिक कारक: हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह:

- **उत्पत्ति का स्रोत और जल आपूर्ति**
  - **हिमालयी नदियाँ:** ये नदियाँ हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फ से ढके क्षेत्रों से निकलती हैं, जो पूरे वर्ष निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।
    - **उदाहरण:** गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है।
    - गर्मियों के दौरान, पिघलते ग्लेशियर उनके प्रवाह में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कम वर्षा की क्षतिपूर्ति हो जाती है।
  - **प्रायद्वीपीय नदियाँ:** अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं, जो अपनी जलापूर्ति के लिये दक्षिण-पश्चिम मानसून पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
    - उदाहरण: गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है।
    - गैर-मानसून महीनों में, वैकल्पिक जल स्रोतों के अभाव में ये नदियाँ प्राय: सूख जाती हैं या इनका प्रवाह कम हो जाता है।
- **जलवायु प्रभाव**
  - **हिमालयी नदियाँ:** हिमालयी क्षेत्र में आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु सर्दियों में हिमपात और मानसून के दौरान वर्षा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
    - उदाहरण: गंगा की सहायक नदियाँ, जैसे कोसी, तराई क्षेत्र के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से वर्षण प्राप्त करती हैं।
  - **प्रायद्वीपीय नदियाँ:** प्रायद्वीपीय भारत में अर्द्ध शुष्क-उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण स्पष्ट मौसमी परिवर्तन होता है।
    - उदाहरण: कावेरी और तुंगभद्रा जैसी नदियाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान उच्च प्रवाह का अनुभव करती हैं, लेकिन शुष्क मौसम के दौरान इनके प्रवाह में बहुत कमी होती है।
- **जलग्रहण क्षेत्र और भूविज्ञान**
  - **हिमालयी नदियाँ:** इन नदियों के बड़े जलग्रहण क्षेत्र और उनकी व्यापक सहायक नदी नेटवर्क कुशल जल संग्रहण की अनुमति देते हैं।
    - उदाहरण: ब्रह्मपुत्र की दिबांग और लोहित जैसी बड़ी सहायक नदियाँ एक विशाल जलग्रहण क्षेत्र सुनिश्चित करती हैं।
    - युवा और विवर्तनिक रूप से सक्रिय हिमालय में क्षरण की अधिक संभावना है, जिससे अवसाद का भार बढ़ जाता है, जो प्रवाह को बनाए रखता है।
  - **प्रायद्वीपीय नदियाँ:** इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छोटा होता है तथा ये कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों वाली प्राचीन, स्थिर स्थालाकृतियों से निकलती हैं, जिससे भूजल पुनर्भरण सीमित हो जाता है।
    - कठिन भू-भाग और सीमित पारगम्यता के कारण मौसमी वर्षा का जल शीघ्र ही प्रवाहित हो जाता है।
- **मानवीय हस्तक्षेप**
  - **हिमालयी नदियाँ:** हिमालयी नदियों की बारहमासी प्रकृति उन्हें सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिये उपयुक्त बनाती है, जिससे प्रवाह को विनियमित करने में मदद मिलती है।
    - उदाहरण: भागीरथी पर टिहरी बाँध और गंगा पर फरक्का बैराज सिंचाई और नेविगेशन के लिये प्रवाह के प्रबंधन में सहायता करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रायद्वीपीय नदियाँ:** सिंचाई और पेयजल के लिये मानसून आधारित नदियों पर अत्यधिक निर्भरता उनकी मौसमी प्रकृति को बढ़ा देती है।
  - उदाहरण: महानदी पर बने हीराकुंड बाँध में ग्रीष्मकाल के दौरान प्राय: भंडारण स्तर कम हो जाता है।

निष्कर्ष:

हिमालय की नदियाँ हिमनदों के पिघलने, बड़े जलग्रहण क्षेत्रों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण अपनी बारहमासी प्रकृति को बनाए रखती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मानसून पर निर्भरता, भू-गर्भीय बाधाओं और छोटे जलग्रहण क्षेत्रों के कारण मौसमी विविधताओं का सामना करती हैं। ये अंतर असमानताओं को कम करने और स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये नदी को आपस में जोड़ने जैसे प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

वैकल्पिक रूप से, मुख्य भाग को सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

पहलू	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
उत्पत्ति का स्रोत और जल आपूर्ति	हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फ से सिंचित क्षेत्रों से उत्पन्न होकर यह बारहमासी प्रवाह सुनिश्चित करती हैं।	वर्षा आधारित, दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अत्यधिक निर्भर, जिसके परिणामस्वरूप मौसमी जलापूर्ति होती है।
	उदाहरण: गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा; चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र।	***उदाहरण***: त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी; महाबलेश्वर से कृष्णा
	ग्रीष्मकाल में पिघलते ग्लेशियर, कम वर्षा होने पर भी प्रवाह को बनाए रखती हैं।	वैकल्पिक जल स्रोतों की कमी के कारण गैर-मानसून महीनों में जल सूख जाता है या प्रवाह कम हो जाता है।
जलवायु प्रभाव	आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु सर्दियों में हिमपात तथा मानसूनी वर्षा सहित स्थिर वर्षण सुनिश्चित करती हैं।	अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण उच्च मानसूनी प्रवाह और शुष्क-मौसम के दौरान कम प्रवाह होता है।
	उदाहरण: गंगा की सहायक नदियाँ (जैसे, कोसी) तराई क्षेत्र से वर्षण प्राप्त करती हैं।	***उदाहरण***: कावेरी और तुंगभद्रा में शुष्क मौसम के दौरान प्रवाह में महत्त्वपूर्ण कमी होती है।
जलग्रहण क्षेत्र और भूविज्ञान	व्यापक सहायक नदी नेटवर्क के साथ विशाल जलग्रहण क्षेत्र, जो युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय हिमालय द्वारा जल ग्रहण करती हैं।	छोटे जलग्रहण क्षेत्र, जो कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों वाले प्राचीन, स्थिर भूगर्भीय संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं।
	उदाहरण: ब्रह्मपुत्र की दिबांग और लोहित जैसी विशाल सहायक नदियाँ हैं, जो प्रवाह को बनाए रखती हैं।	कठिन भू-भाग और सीमित पारगम्यता के कारण मौसमी वर्षा का जल शीघ्र ही प्रवाहित हो जाता है।
मानवीय हस्तक्षेप	बारहमासी प्रवाह सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रवाह विनियमन संभव होता है।	शुष्क मौसम के दौरान मौसमी प्रवाह सिंचाई और पेयजल की उपयोगिता को सीमित कर देता है।
	उदाहरण: भागीरथी पर टिहरी बाँध; सिंचाई और नौपरिवहन के लिये गंगा पर फरक्का बैराज।	***उदाहरण***: महानदी पर बने हीराकुंड बाँध को ग्रीष्मकाल के दौरान प्राय: जल-पुनर्भरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : गुप्त शासकों के संरक्षण ने भारतीय कला और संस्कृति के 'स्वर्ण युग' को कैसे परिभाषित किया? साहित्य, कला और वास्तुकला के संदर्भ में विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- गुप्त काल के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- गुप्त शासकों के निम्नलिखित योगदान पर प्रकाश डालिये:
  - साहित्य
  - कला
  - वास्तुकला
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

गुप्त काल (चौथी-छठी शताब्दी ई.) को साहित्य, कला और वास्तुकला में हुई प्रगति के कारण भारतीय कला एवं संस्कृति के "स्वर्ण युग" के रूप में मनाया जाता है।

- गुप्त साम्राज्य के शासकों ने अपने संरक्षण के माध्यम से एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया, जिसने धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया।

मुख्य भाग:

साहित्य में योगदान:

गुप्त शासकों ने संस्कृत को बौद्धिक और सांस्कृतिक संवाद की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे एक विशिष्ट साहित्यिक पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला।

- **शास्त्रीय संस्कृत साहित्य:**
  - सबसे प्रसिद्ध कवि-नाटककार कालिदास ने अभिज्ञानशाकुंतलम जैसी उत्कृष्ट कृतियों की रचना की, जिसे इसके काव्यात्मक सौंदर्य के लिये वैश्विक उत्कृष्ट कृति माना जाता है तथा मेघदूत, काव्यात्मक लालित्य का उदाहरण है।
  - शूद्रक की मृच्छकटिक में सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को हास्य और मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है।
  - विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस की रचना की, जिसमें राजकौशल और कूटनीति पर प्रकाश डाला गया।
- **धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ:**
  - हिंदू धार्मिक परंपराओं के लिये महत्त्वपूर्ण पुराणों का संकलन इस अवधि के दौरान किया गया, जिसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ शामिल हैं।
  - याज्ञवल्क्य और नारद जैसी स्मृतियों ने विधिक एवं सामाजिक मानदंडों को संहिताबद्ध किया।
- **व्याकरणिक और कोशिकीय योगदान:**
  - अमरसिंह का अमरकोश एक स्थायी शब्दकोश बना हुआ है। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी के चंद्रव्याकरणम ने व्याकरण संबंधी अध्ययन को समृद्ध किया।
- **महाकाव्य शोधन:**
  - इस युग के दौरान रामायण और महाभारत को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जिसने भारत के सांस्कृतिक आधार का कार्य किया।

कला में योगदान:

- **चित्रकारी:**
  - अजंता गुफाओं (महाराष्ट्र) और बाघ गुफाओं (मध्य प्रदेश) में जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करने वाले भित्तिचित्र परिप्रेक्ष्य, छायांकन एवं भावनात्मक गहन महारत को उजागर करते हैं। अजंता की गुफा-16 में "मरती हुई राजकुमारी" का दृश्य उस समय की कथात्मक और कलात्मक प्रतिभा का उदाहरण है।
  - ये कलाकृतियाँ दक्षिण-पूर्व एशियाई बौद्ध कला के लिये आदर्श बनीं।
- **मूर्ति:**
  - सारनाथ में बुद्ध की आसीन प्रतिमा, अपनी शांत अभिव्यक्ति के साथ, देवत्व और आध्यात्मिकता से समृद्ध गुप्त काल के आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदयगिरि पहाड़ियों पर स्थित वराह पैनल में भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा पृथ्वी की रक्षा का वर्णन किया गया है, जिसमें पौराणिक कथाओं को कलात्मक परिष्कार के साथ मिश्रित किया गया है।
- इस काल के दौरान धातुकर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जिसका उदाहरण सुल्तानगंज (बिहार) की काँस्य बुद्ध प्रतिमा है, जो साढ़े सात फुट की उत्कृष्ट कृति है। इसमें जटिल शिल्प और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया गया है।
- मथुरा और प्रयागराज से प्राप्त पैनल और मूर्तियों में परिष्कृत शिल्प कौशल के संकेत मिलते हैं, जिनमें प्राय: अलौकिक प्राणियों, देवताओं और पौराणिक विषयों को दर्शाया गया है।

वास्तुकला में योगदान

- **मंदिर वास्तुकला:**
  - गुप्त शासकों ने पहले की काष्ठ संरचनाओं से हटकर पत्थर के मंदिर निर्माण कराया।
  - दशावतार मंदिर (देवगढ़) अपने शिखर (टॉवर) के साथ प्रारंभिक नागर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, जो सांसारिक-दिव्य अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
  - अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरणों में कंकाली देवी मंदिर (तिगवा) और पार्वती मंदिर (नचना कुठारा) शामिल हैं, जिनमें स्तंभयुक्त बरामदे एवं प्रदक्षिणा पथ जैसे नवाचार प्रस्तुत किये गए।
  - गुप्त मंदिरों में गर्भगृह का विशेष महत्त्व था, जो दैवीय उपस्थिति का प्रतीक था।
- **गुफा मंदिर:**
  - उदयगिरि पहाड़ियों (मध्य प्रदेश) में, गुप्तों ने हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण किया, जो उनकी वैष्णव प्रतिमा के लिये उल्लेखनीय थे।
  - अजंता और एलोरा की बौद्ध चैत्य एवं विहार गुफाएँ विस्तृत नक्काशी तथा चित्रकला से सुसज्जित थीं।
- **स्तूप:**
  - धामेक स्तूप (सारनाथ) और रत्नागिरी स्तूप (ओडिशा) जैसे स्तूप, मुख्यत: हिंदू निष्ठा के बावजूद, बौद्ध धर्म को प्राप्त गुप्तकालीन संरक्षण के प्रतीक हैं।

निष्कर्ष:

गुप्त शासकों के संरक्षण ने भारतीय कला और संस्कृति में पुनर्जागरण को उत्प्रेरित किया, जिसकी विशेषता लालित्य, आध्यात्मिकता और बौद्धिक विकास थी। गुप्त विरासत ने न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया को भी प्रभावित किया, जिसने इस युग को भारतीय सभ्यता के वास्तविक "स्वर्ण युग" के रूप में स्थापित किया।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : "प्रत्यायोजित विधान का उदय भारत में प्रशासनिक दक्षता के लिये आवश्यक तो है, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।" इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रत्यायोजित विधान को परिभाषित करके परिचय दीजिये।
- प्रशासनिक दक्षता के लिये प्रत्यायोजित विधान का सोदाहरण महत्त्व बताइये।
- लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रत्यायोजित विधान में जवाबदेही बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्रत्यायोजित विधान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसमें विधायिका अपनी विधि निर्माण की शक्तियों को कार्यपालिका को सौंपती है, जिससे उसे सक्षम विधिक संरचना के अंतर्गत नियम, विनियम और उपनियम बनाने की अनुमति मिलती है।

- यद्यपि जटिल एवं गतिशील शासन परिवेश में प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में भी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

मुख्य भाग:

प्रशासनिक दक्षता के लिये प्रत्यायोजित विधान का महत्त्व:

- **बदलती आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलनशीलता:** कार्यपालिका लंबी विधायी बहस के बिना शीघ्रता से नियम बना और संशोधित कर सकती है।
  - **उदाहरण:** कोविड-19 विश्वमारी के दौरान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने कार्यपालिका को लॉकडाउन और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू करने के लिये नियम जारी करने का अधिकार दिया।
- **तकनीकी विशेषज्ञता:** विधायकों के पास जटिल नियमों का प्रारूप तैयार करने के लिये आवश्यक विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो सकता है, विशेष रूप से पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।
  - **उदाहरण:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, कार्यपालिका को वायु एवं जल गुणवत्ता मानकों पर तकनीकी विनियम जारी करने का अधिकार देता है।
- **विधानमंडल के लिये समय की बचत:** विधान सौंपे जाने से संसद को कार्यान्वयन के सूक्ष्म प्रबंधन के बजाय नीति-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा मिलती है।
  - **उदाहरण:** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्सर्जन मानकों से संबंधित नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं।

लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की चुनौतियाँ:

- **विधायी निगरानी का कमज़ोर होना:** कार्यपालिका को महत्त्वपूर्ण कानून-निर्माण शक्तियों का अंतरण संसदीय नियंत्रण को कमज़ोर कर सकता है।
- **अत्यधिक प्रत्यायोजन का जोखिम:** व्यापक एवं अस्पष्ट प्रावधान कार्यपालिका द्वारा मनमाने नियम निर्माण को जन्म दे सकते हैं।
  - **उदाहरण:** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने में व्यापक विवेकाधिकार देता है, जो प्राय: विधायी जाँच को दरकिनार कर देता है।
- **सीमित न्यायिक निगरानी:** यद्यपि न्यायालय प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा कर सकते हैं, किंतु न्यायिक हस्तक्षेप प्राय: प्रतिक्रियात्मक और समय लेने वाला होता है, जिसके कारण समय पर जाँच नहीं हो पाती।
  - **उदाहरण:** ***वसंतलाल मगनभाई संजनवाला बनाम बॉम्बे राज्य (वर्ष 1961)*** मामले में - सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को बरकरार रखा, लेकिन दोहराया कि आवश्यक विधायी कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अपर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी:** प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से बनाए गए नियमों और विनियमों में प्राय: पारदर्शिता और परामर्श का अभाव होता है, जिससे नागरिकों की भागीदारी कम हो जाती है।
  - **उदाहरण:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मध्यस्थों की देयताओं से संबंधित प्रारूप नियमों को कार्यान्वयन से पूर्व अपर्याप्त सार्वजनिक सहभागिता के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
- **अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग:** कुछ मामलों में, विधायी जाँच को दरकिनार करते हुए अध्यादेशों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तथा उनके प्रावधानों को प्रत्यायोजित विधान में परिवर्तित कर दिया जाता है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2020 में अध्यादेशों के माध्यम से पेश किये गए कृषि कानूनों में परामर्श और जाँच के अभाव को लेकर व्यापक विरोध देखा गया।

प्रत्यायोजित विधान में उत्तरदायित्व बढ़ाने के उपाय:

- **संसदीय निगरानी को दृढ करना:** अधीनस्थ विधान समिति जैसी समितियों को नियमों और विनियमों की गहन जाँच सुनिश्चित करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
  - नियमों द्वारा मूल अधिनियम के नियम निर्माण प्राधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, प्रारूपण की भाषा स्पष्ट, सटीक और अस्पष्टता से मुक्त होनी चाहिये ताकि गलत व्याख्या की संभावना समाप्त हो सके।
- **सटीक सक्षम प्रावधान:** सक्षम कानूनों में अत्यधिक प्रत्यायोजन को रोकने के लिये प्रत्यायोजित शक्तियों के दायरे और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।
  - **उदाहरण:** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम एवं विनियमन को अधिनियमित होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **उन्नत न्यायिक समीक्षा तंत्र:** न्यायालयों को मनमाने ढंग से सौंपे गए विधान से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिये सक्रिय तंत्र अपनाना चाहिये।
- **सार्वजनिक परामर्श कार्यढाँचा:** नियमों को अंतिम रूप देने से पहले अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श शुरू करने से पारदर्शिता में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत जैसे जटिल समाज में कुशल शासन के लिये प्रत्यायोजित कानून अपरिहार्य है। हालाँकि, लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ दक्षता को संतुलित करने के लिये, सटीक सक्षम विधि, सुदृढ़ निगरानी तंत्र और सार्वजनिक भागीदारी जैसे सख्त सुरक्षा उपायों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये। ऐसा करके, भारत 'नियंत्रण और संतुलन', जिसे ***मिनर्वा मिल्स मामले*** के बाद अधिक महत्त्व मिला, के सिद्धांत के अनुरूप हो सकता है।

प्रश्न : शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक अंकेक्षण तंत्र महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। मनरेगा के विशेष संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक साधन के रूप में सामाजिक अंकेक्षण तंत्र के पक्ष में तर्क दीजिये।
- मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सामाजिक अंकेक्षण/अंकेक्षण सहभागितापूर्ण प्रक्रियाएँ हैं जहाँ उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिक, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। वर्ष 2005 से मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य विसंगतियों को उजागर करके तथा सेवा वितरण में सुधार करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

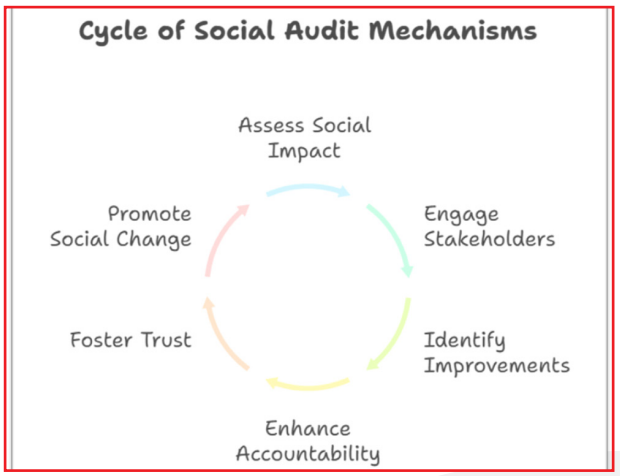

मुख्य भाग:

शासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये एक साधन के रूप में सामाजिक अंकेक्षण तंत्र:

- **सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता:** सामाजिक अंकेक्षण सरकारी योजनाओं, बजट और उनके कार्यान्वयन की विस्तृत संवीक्षा प्रदान करती है।
  - वित्तीय रिकॉर्ड और कार्यान्वयन विवरण को जनता के लिये सुलभ बनाकर, ये भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग या अकुशलता जैसी अनियमितताओं को उजागर करते हैं।
- **नागरिकों का सशक्तीकरण:** सामाजिक अंकेक्षण में सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है, जहाँ नागरिक सीधे तौर पर सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करते हैं।
  - इससे लाभार्थियों में स्वामित्व की भावना बढ़ती है और उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अवसर मिलता है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** अंकेक्षण निष्कर्षों का सार्वजनिक प्रकटीकरण अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच भ्रष्ट आचरण को प्रतिबंधित करता है।
  - सहयोगियों/सहकर्मियों का दबाव और सामुदायिक निगरानी नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करती है।

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता

- **मुख्य सफलताएँ:**
  - **पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी:** सामाजिक अंकेक्षण ने फर्ज़ी मस्टर रोल, फर्ज़ी लाभार्थी, मज़दूरी में हेराफेरी और अवमानक परिसंपत्ति जैसी अनियमितताओं को उजागर किया है।
    - उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण से बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ उजागर हुई हैं जिससे धन की वसूली में मदद मिली है।
  - **सहभागी लोकतंत्र:** सामाजिक अंकेक्षण स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने के लिये सीमांत समुदायों को सशक्त बनाती है।
    - वे सामूहिक संवीक्षा के लिये एक सार्वजनिक मंच प्रदान करते हैं, जैसा कि मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जैसे नागरिक समाज समूहों द्वारा शुरू की गई जनसुनवाई में देखा गया है।
  - **बेहतर कार्यान्वयन:** केरल (100% अंकेक्षण कवरेज) और तेलंगाना (40.5% अंकेक्षण कवरेज) जैसे राज्यों ने प्रदर्शित किया है कि सामाजिक अंकेक्षण से पारदर्शिता में सुधार होता है, जनता का विश्वास बढ़ता है तथा गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
  - **उत्तरदायित्व का संस्थागतकरण:** अंकेक्षण के लिये आवंटित मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धनराशि के साथ, सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ (SAU) कार्यान्वयन प्राधिकारियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
    - नियमित अंकेक्षण प्रशासनिक अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिये बाध्य करता है।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - **कम कवरेज:** हाल के MIS आँकड़ों के अनुसार, केवल 6 राज्यों ने 50% से अधिक ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया पूरी की है; पिछड़े राज्यों में मध्य प्रदेश (1.73%), राजस्थान (34.74%) व अन्य शामिल हैं।
  - **जागरूकता का अभाव:** कई ग्रामीण समुदाय मनरेगा के तहत अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं, जिससे उनकी भागीदारी सीमित हो जा रही है।
  - **राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिरोध:** स्थानीय अभिजात वर्ग और राजनेता प्राय: सामाजिक अंकेक्षण को अपने प्रभाव

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

के लिये खतरा मानते हैं, जैसा कि राजस्थान (वर्ष 2009) में देखा गया, जहाँ अंकेक्षण को पंचायत अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा।

- **कमज़ोर कार्यवाही तंत्र:** प्रशासनिक जड़ता और उत्तरदायित्व कार्यढाँचे की कमी के परिणामस्वरुप अंकेक्षण के बाद कोई सुधारात्मक कार्रवाई में नहीं हो पाती है।
- **संसाधन की कमी:** कई राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों (SAU) को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिसके कारण प्रभावी अंकेक्षण करने के लिये प्रशिक्षण, स्टाफिंग और बुनियादी अवसंरचना की कमी हो जाती है।
- **मुखबिरों का उत्पीड़न:** सामाजिक अंकेक्षकों और मुखबिरों को निहित स्वार्थी तत्त्वों की ओर से धमकियों तथा उनके द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना:** ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुशंसा के अनुसार, पर्याप्त धन और कार्मिकों के साथ सभी राज्यों में समर्पित सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ (SAU) स्थापित की जानी चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** अंकेक्षकों, अधिकारियों और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं सहित सामाजिक अंकेक्षण कर्मियों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जानी चाहिये।
  - एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एक मानकीकृत सामाजिक अंकेक्षण पद्धति विकसित की जानी चाहिये।
- **नागरिक समाज-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना:** समावेशिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिये अंकेक्षण प्रक्रियाओं में नागरिक समाज संगठनों (CSO) एवं ज़मीनी स्तर के गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - जनसुनवाई को संस्थागत तथा सभी मनरेगा अंकेक्षण के अंतर्गत इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
- **तकनीकी एकीकरण:** सामाजिक अंकेक्षण के पूरक के रूप में कार्य आवंटन, मज़दूरी भुगतान और शिकायत निवारण की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिये डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
  - कार्यस्थलों का सत्यापन करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जियो-टैगिंग एवं मोबाइल ऐप्लीकेशन का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक अंकेक्षण का दायरा बढ़ाना:** समग्र शासन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी हेतु सामाजिक अंकेक्षण का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **जागरूकता और सामुदायिक लामबंदी:** ग्रामीण समुदायों को मनरेगा के तहत उनके अधिकारों और सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।
  - महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों व अन्य सीमांत समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण शासन के लिये नागरिक-संचालित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नीति और कार्यान्वयन के बीच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। चुनौतियों के बावजूद, भागीदारी, संस्थागत तंत्र और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दृढ़ करके उनके प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है। ये अंकेक्षण पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, विश्वास को बढ़ावा देते हैं और समावेशी विकास का समर्थन करते हैं, जिससे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती मिलती है।

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की बदलती व्याख्याओं ने न्यायिक सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में, इन परिवर्तनों के निहितार्थों और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- अनुच्छेद 142 के प्रावधान पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- न्यायिक सक्रियता में अनुच्छेद 142 की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- शक्तियों के पृथक्करण पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइये।
- शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिये आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान ने न्यायालय को कानून और कार्यकारी कार्रवाई में अंतराल को समाप्त करने में सहायता की है, लेकिन इसकी सक्रियता ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में चिंताएँ उत्पन्न की हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक संरचना की आधारशिला है।

अनुच्छेद 142 और न्यायिक सक्रियता में इसकी भूमिका:

- **अनुच्छेद 142 का दायरा:** सर्वोच्च न्यायालय को उन मुद्दों पर विचार करने में सक्षम बनाता है जहाँ विधायी या कार्यकारी कार्रवाई अनुपस्थित या अप्रभावी है।
  - यह न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप करके सामाजिक न्याय प्रदान करने की अनुमति देता है।
- **विकसित व्याख्याओं को प्रतिबिंबित करने वाली न्यायिक मिसालें:**
  - विशाखा दिशानिर्देश (वर्ष 1997): विशिष्ट कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या का हल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ***यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013*** को अधिनियमित किया गया।
  - बबीता पुनिया केस (वर्ष 2020): भारतीय सेना में महिलाओं के लिये स्थायी कमीशन अनिवार्य किया गया, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला।
  - के.एस. पुट्टस्वामी केस (वर्ष 2017): निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को प्रदर्शित किया गया।

शक्तियों के पृथक्करण पर निहितार्थ:

यद्यपि अनुच्छेद 142 ने महत्त्वपूर्ण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को सुगम बनाया है, फिर भी इसकी बदलती व्याख्याओं ने शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में महत्त्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

शासन पर सकारात्मक प्रभाव:

- **विधायी और कार्यकारी निष्क्रियता से निपटना:**
  - **कोयला ब्लॉक आवंटन मामला (वर्ष 2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया, तथा जहाँ कार्यपालिका विफल रही, वहाँ जवाबदेही सुनिश्चित की।
  - **ताजमहल की सफाई:** पर्यावरण और धरोहर संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- **संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण:**
  - अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने और समावेशिता सुनिश्चित करके लोकतंत्र को सुदृढ़ किया गया।
    - उदाहरण: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (वर्ष 2020) ने बेटियों के सहदायिक अधिकारों के संबंध में परस्पर विरोधी व्याख्याओं को हल किया, जिससे लैंगिक न्याय सुनिश्चित हुआ।
- **सामाजिक न्याय और समानता:** विधायिका या कार्यपालिका द्वारा उपेक्षित सामाजिक मुद्दों से निपटना।
  - 1382 कारागारों में अमानवीय स्थिति के संबंध में न्यायालय ने अत्यधिक भीड़, विलंबित सुनवाई और विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने जैसी चिंताओं पर विचार किया गया।
    - इसने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे CRPC की धारा 436A के तहत रिहाई के पात्र विचाराधीन कैदियों का शीघ्र अभिनिर्धारण करें और उन्हें रिहा करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नवंबर 2024 में, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी ने पुन: बल देते हुए कहा कि सभी पात्र विचाराधीन कैदियों को रिहा करना जेलों में अमानवीय परिस्थितियों और भीड़भाड़ से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने आवाजहीन/असहाय कैदियों की बात सुनने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियाँ:

- **न्यायिक अतिक्रमण:** अनुच्छेद 142 के तहत सक्रियता प्राय: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच की सीमाओं को धूमिल कर देती है।
  - एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (वर्ष 1994) मामले में, कर्नाटक के राजनीतिक संकट में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने शक्ति परीक्षण को सत्ता में किसी पार्टी के समर्थन के प्रमुख उपाय के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सीमा समाप्त हो गई और न्यायिक अतिक्रमण की चिंताएँ बढ़ गईं।
- **'पूर्ण न्याय' की व्यक्तिपरक परिभाषा:** 'पूर्ण न्याय' के लिये मानकीकृत कार्यढाँचे की अनुपस्थिति न्यायपालिका को व्यापक विवेक प्रदान करती है। इससे असंगति और संभावित दुरुपयोग हो सकता है।
  - विवादास्पद मुद्दों (जैसे, आरक्षण या आर्थिक नीतियाँ) पर न्यायिक निर्णयों में एकरूपता का अभाव अप्रत्याशितता उत्पन्न कर सकता है।
- **विधायी प्राधिकार पर अतिक्रमण:** जब न्यायालय निर्देश या दिशानिर्देश जारी करते हैं (जैसे: विशाखा दिशानिर्देश), तो यह कानून बनाने के लिये विधायिका के प्राधिकार को कमज़ोर करता है।
  - विधायिका और कार्यपालिका के विपरीत, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत न्यायिक निर्णय आसानी से जाँच या परिवर्तन के अधीन नहीं होते हैं।
- **संस्थागत संतुलन का क्षरण:** नीतिगत मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हस्तक्षेप से विधायिका और कार्यपालिका की संस्थागत क्षमताएँ कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे गैर-न्यायिक मुद्दों को सुलझाने के लिये अदालतों पर निर्भरता बढ़ सकती है।

आगे की राह:

- **'पूर्ण न्याय' को परिभाषित करना:** अनुच्छेद 142 के दायरे को मानकीकृत करने और व्यक्तिपरक व्याख्या को न्यूनतम करने के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किया जाना चाहिये।
- **संस्थागत संतुलन को बढ़ावा देना:** न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में आत्म-संयम बरतना चाहिये जो विशेष रूप से विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जब तक कि कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- **जवाबदेही को दृढ़ करना:** अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक निर्णयों के साथ विस्तृत तर्क और आवधिक समीक्षा तंत्र होना चाहिये ताकि जाँच और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
- **सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देना:** विधायिका और कार्यपालिका को न्यायिक टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिये और अनुच्छेद 142 के हस्तक्षेपों पर निर्भरता कम करने के लिये नीतिगत अंतराल की पूर्ति करनी चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को दृढ़ किया है, लेकिन इसके अतिरेक से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमज़ोर करने का जोखिम है। न्यायिक संयम और अंतर-संस्थागत सहयोग पर ज़ोर देने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण संवैधानिक संतुलन को बनाए रखने एवं लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : 'आकांक्षी ज़िला' की अवधारणा एक नवाचार आधारित शासन मॉडल प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिये उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिये। **(250 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा कीजिये।
- कार्यक्रम के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए सुधार के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जनवरी 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) एक लक्षित शासन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य भारत के 112 सबसे अविकसित ज़िलों में बदलाव लाना है।

- NITI आयोग द्वारा संचालित तथा एकीकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांतों से प्रेरित ADP का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में प्रभावशीलता:

- **मुख्य सफलताएँ:**
  - **डाटा-संचालित दृष्टिकोण:** सामाजिक-आर्थिक विषयों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का प्रयोग करके प्रगति का आकलन किया जाता है। मासिक डेल्टा रैंकिंग डाटा-संचालित निर्णय लेने और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है।
  - **स्थानीयकृत कार्यान्वयन:** मुख्य चालक के रूप में राज्य ज़िला-विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप शासन को सक्षम बनाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
  - **समावेशन और SDG स्थानीयकरण:** सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के "लीव नो वन बिहाइंड (LNOB)" सिद्धांत के अनुरूप है।
  - **क्षमता निर्माण:** NITI आयोग, मंत्रालयों, विकास भागीदारों और ज़िला स्तरीय अधिकारियों के बीच सहयोग से ज़मीनी स्तर पर शासन क्षमता में वृद्धि हुई है।
  - **प्रमुख क्षेत्रों में सुधार:**
    - **स्वास्थ्य एवं पोषण:** पोषण अभियान जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में कमी।
    - **बुनियादी ढाँचा विकास:** पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास और सड़क निर्माण परियोजनाओं में तीव्रता लाना।
- **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
  - **असमान प्रगति:** जबकि कुछ ज़िलों ने महत्त्वपूर्ण सुधार हासिल किया है, वहीं अन्य ज़िले विभिन्न प्रशासनिक अक्षमताओं और स्थानीय शासन की अकुशलताओं के कारण पिछड़ गए हैं।
    - NITI आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दाहोद जैसे ज़िलों ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, लेकिन बिहार के कई चिह्नित ज़िले शासन की अक्षमताओं और रसद संबंधी बाधाओं के कारण पिछड़ रहे हैं।
  - **सरल लक्ष्यों पर ध्यान:** कार्यक्रम में अल्पकालिक, आसानी से प्राप्त किये जा सकने वाले लक्ष्यों पर ज़ोर दिया गया है, जिससे गरीबी और बेरोज़गारी जैसे संरचनात्मक व प्रणालीगत मुद्दों की उपेक्षा होने का खतरा है।
    - उदाहरण के लिये, यद्यपि शिक्षा के बुनियादी अवसंरचना में सुधार हुआ है, फिर भी कई ज़िलों में अधिगम के परिणाम (जैसा कि ASER रिपोर्ट द्वारा संकेत दिया गया है) अभी भी निम्न स्तर पर हैं।
  - **डाटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता:** ज़िलों द्वारा स्वयं-रिपोर्ट किये गए डाटा पर निर्भरता, प्रदर्शन मीट्रिक्स की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
  - **अत्यधिक कार्यभार वाले प्रशासन:** ज़िला प्रशासन अनेक प्राथमिकताओं के कारण अत्यधिक तनावग्रस्त है, जिससे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उनका केवल कार्यक्रम पर ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** कार्यक्रम को अभी तक नवाचार और संसाधन जुटाने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है।

- **सुधार के लिये सुझाव**
  - **संस्थागत क्षमता को मज़बूत बनाना:**
    - प्रभावी हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने और कार्यान्वित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये ज़िला अधिकारियों को केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है।
    - अत्यधिक कार्यभार वाले ज़िला प्रशासन पर बोझ कम करने के लिये अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात किया जाना चाहिये।
  - **अल्पकालिक लक्ष्यों से आगे अपना ध्यान व्यापक करना:**
    - गरीबी, बेरोज़गारी और क्षेत्रीय असमानता जैसे प्रणालीगत मुद्दों का समाधान दीर्घकालिक, संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ आसान उपायों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
    - सतत् आजीविका सृजित करने के लिये कौशल विकास पहलों को रोज़गार के अवसरों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - **डाटा गुणवत्ता और निगरानी में सुधार:**
    - रैंकिंग के लिये प्रयुक्त स्व-रिपोर्ट किये गए डाटा को मान्य करने के लिये स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट स्थापित किया जाना आवश्यक है।
    - गतिशील निर्णय लेने के लिये रियल टाइम डाटा एनालिसिस के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **ज़िलों के बीच क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहन:**
    - सफल मॉडलों की पुनरावृत्ति के लिये आकांक्षी ज़िलों में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन समाधानों को साझा करने के लिये मंच बनाया जाना आवश्यक है।
  - **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना:**
    - विकास परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त संसाधन, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये निजी क्षेत्र व नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी करना।
  - **लाभ की संधारणीयता को बढ़ावा देना:**
    - स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये अल्पकालिक हस्तक्षेप से दीर्घकालिक विकास योजनाओं की ओर संक्रमण आवश्यक है।
- समग्र विकास के लिये ADP लक्ष्यों को डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

ADP एक अभिनव शासन मॉडल है जो एकीकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करता है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को दर्शाता है। स्थानीय आकांक्षाओं का अभिनिर्धारण करके और उन्हें दिशा देकर, यह परिवर्तन के लिये एक प्रभाव उत्पन्न करता है। इन 112 ज़िलों के प्रत्येक गाँव का विकास सामाजिक न्याय और सतत् राष्ट्रीय प्रगति हासिल करने के लिये आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : 21वीं सदी में विदेश नीति के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में आर्थिक राजकौशल किस प्रकार विकसित हुई है? भारत के सामरिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- आर्थिक राजकौशल को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- 21वीं सदी में आर्थिक राजकौशल का विकास बताइये।
- भारत की आर्थिक राजकौशल के उपयोग पर प्रकाश डालिये।
- भारत की आर्थिक स्थिति के लिये चुनौतियाँ और अवसर बताइये।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

आर्थिक राजकौशल से तात्पर्य सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विदेश नीति के साधन के रूप में आर्थिक साधनों– जैसे व्यापार, निवेश, प्रतिबंध और विकास सहायता के उपयोग से है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- 21वीं सदी में, वैश्वीकरण और आर्थिक अंतरनिर्भरता के कारण भू-राजनीति में परिवर्तन हो रहा है तथा राष्ट्र प्रभाव प्रदर्शित करने, संसाधनों को सुरक्षित करने और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तीव्रता से आर्थिक राजकौशल की ओर रुख कर रहे हैं।

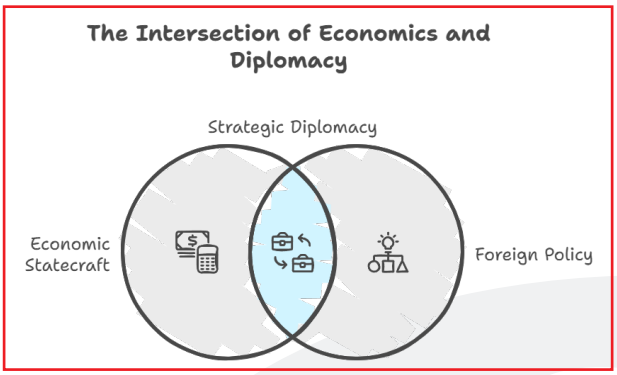

मुख्य भाग:

21वीं सदी में आर्थिक राजकौशल का विकास:

- **कठोर शक्ति से आर्थिक साधनों की ओर बदलाव:** राष्ट्र प्रभाव स्थापित करने के लिये मृदु, कम टकराव वाले राजनयिक साधन के रूप में आर्थिक साधनों का उपयोग तीव्रता से कर रहे हैं।
  - **उदाहरण:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना में निवेश के माध्यम से अपनी भू-राजनीतिक अभिगम का विस्तार करना है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की भूमिका:** वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण ने आर्थिक निर्भरता को लाभ उठाने का एक शक्तिशाली साधन बना दिया है।
  - **उदाहरण:** अमेरिका-चीन व्यापार बैर इस बात पर प्रकाश डालता है कि आर्थिक अंतर-निर्भरता को किस प्रकार हथियार बनाया जा सकता है।
- **प्रतिस्पर्धा में भू-अर्थशास्त्र:** भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आर्थिक राजकौशल केंद्रीय हो गई है, जिसमें प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी प्रतिबंध और निवेश शक्ति समीकरणों को आयाम देते हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बहुत प्रभावित किया।
- **रणनीतिक गठबंधन और व्यापार समझौते:** आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय व्यापार समझौते रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण साधन बन गए हैं।
  - **उदाहरण:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के गठन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आर्थिक शक्ति को प्रबल किया है।

भारत द्वारा आर्थिक राजकौशल का प्रयोग:

- **व्यापार कूटनीति:** भारत ने रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये व्यापार समझौतों और तरज़ीही बाज़ार अभिगम का लाभ उठाया है।
  - **उदाहरण:** भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पश्चिम एशिया में भारत की उपस्थिति को बढ़ाता है।
- **विकास सहायता एवं सहायता:** भारत विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में सद्भावना तथा प्रभाव बनाने के लिये विकास साझेदारी का उपयोग करता है।
  - **उदाहरण:** अफ्रीकी देशों को भारत की ऋण सहायता और अफगानिस्तान में संसद भवन जैसी परियोजनाएँ आर्थिक कूटनीति का प्रतीक हैं।
- **ऊर्जा कूटनीति:** ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक नीति की आधारशिला है, जिसमें संसाधनों को सुरक्षित करने और ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाने के प्रयास शामिल हैं।
  - **उदाहरण:** भारत द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसे नवीकरणीय ऊर्जा कूटनीति में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
- **बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** भारत IMEC कॉरिडोर जैसी पहलों के माध्यम से चीन की BRI का मुकाबला कर रहा है।
  - **उदाहरण:** चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।
- **प्रौद्योगिकी और रणनीतिक निवेश:** भारत प्रमुख देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने और उभरते क्षेत्रों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी साझेदारी का उपयोग करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उदाहरण:** समुत्थानशील सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिये क्वाड की पहल में भारत की भागीदारी आर्थिक साधनों के रणनीतिक उपयोग को दर्शाती है।

- **परक्रामण के विरुद्ध आर्थिक रक्षा:** भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन जैसे विशिष्ट देशों पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - **उदाहरण:** "आत्मनिर्भर भारत" पहल और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना है।

भारत की आर्थिक नीति के लिये चुनौतियाँ और अवसर:

- **चुनौतियाँ:**
  - **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** भारत को चीन की आर्थिक विस्तारवाद से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों के माध्यम से, जो भारत के सामरिक हितों के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा करती हैं।
    - **उदाहरण:** दक्षिण एशिया में, विशेषकर श्रीलंका और नेपाल में, भारी निवेश के माध्यम से चीन का प्रभाव।
  - **व्यापार असंतुलन:** चीन, ASEAN जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा इसकी आर्थिक क्षमता को कमज़ोर करता है।
  - **आर्थिक निर्भरता:** तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भरता, आर्थिक दबाव का मुकाबला करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है।
  - **क्षमता संबंधी बाधाएँ:** बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना या सहायता परियोजनाओं के लिये सीमित वित्तीय संसाधन आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की भारत की क्षमता में बाधा डालते हैं।
  - **वैश्विक संरक्षणवाद:** वैश्विक व्यापार में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ भारत के निर्यात-संचालित विकास और वैश्विक व्यापार एकीकरण के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

- **अवसर:**
  - **सामरिक क्षेत्रीय भूमिका:** भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद-प्रशांत संपर्क और व्यापार मार्गों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।
    - **उदाहरण:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी पहल रणनीतिक दृढ़ता को बढ़ाती है।
  - **प्रौद्योगिकी और सेवाओं में मज़बूती:** भारत के IT और फार्मास्युटिकल क्षेत्र आर्थिक वार्ताओं एवं साझेदारियों में महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं।
    - **उदाहरण:** कोविड-19 विश्वमारी के दौरान "विश्व की फार्मेसी" के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका।
  - **वैश्विक दक्षिण में प्रभाव का विस्तार:** अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की विकास सहायता एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ इसके प्रभाव को मज़बूत करने में मदद करती हैं।
    - **उदाहरण:** G20 पहलों में भारत की सक्रिय भूमिका और ग्लोबल साउथ मुद्दों का समर्थन।

निष्कर्ष:

21वीं सदी में भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये आर्थिक नीति एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी है। व्यापार, निवेश, सहायता और कनेक्टिविटी को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों के साथ एकीकृत करके, भारत स्वयं को एक प्रमुख भू-आर्थिक भागिदार के रूप में स्थापित कर रहा है। हालाँकि, अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिये, भारत को घरेलू बाधाओं को दूर करने, संस्थागत क्षमताओं को प्रबल करने और समुत्थानशील साझेदारी के निर्माण करने की आवश्यकता है।

प्रश्न : "प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के एक विशिष्ट घटक के रूप में उभरी है।" भारत की प्रवासी सहभागिता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। **(150 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के प्रवासी समुदाय के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के प्रमुख घटक प्रवासी कूटनीति के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- प्रवासी कूटनीति के उपयोग में चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- प्रवासी कूटनीति को बढ़ाने के लिये आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का प्रवासी समुदाय, जिसमें 146 देशों में फैले 31 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। धन-प्रेषण (वर्ष 2021 में 89 बिलियन डॉलर, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है) से लेकर भारत के संदर्भ में वैश्विक धारणाओं को प्रभावित करने तक, प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति का आधार बन गई है।

मुख्य भाग:

भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के एक घटक के रूप में प्रवासी कूटनीति:

- **सांस्कृतिक कूटनीति**
  - **सांस्कृतिक राजदूत:** भारतीय प्रवासी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, योग, आयुर्वेद और दिवाली व होली जैसे त्योहारों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - उदाहरण के लिये, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रवासी भारतीयों के समर्थन (आंशिक रूप से) के कारण सफल हुआ है।
  - **भारतीय पहचान का संरक्षण:** भारत को जानो कार्यक्रम (KIP) और प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) जैसी पहल दूसरी व तीसरी पीढ़ी के प्रवासी युवाओं के बीच भारत की संस्कृति से जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं तथा उन्हें सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में स्थापित करती हैं।
  - **भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देना:** विदेशों में भारतीय भाषाओं (हिंदी, तमिल, आदि) को संरक्षित करने के प्रयास सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करते हैं, जैसा कि सिंगापुर और मॉरीशस में तमिल भाषी आबादी में देखा गया है।
- **आर्थिक कूटनीति**
  - **विप्रेषण:** भारत को वर्ष 2021 में 89 बिलियन डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जिसने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। खाड़ी प्रवासी समुदाय विप्रेषण प्रवाह का एक प्रमुख स्रोत हैं।
  - **निवेश और उद्यमिता:** मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के तहत NRI निवेश को घरेलू (FDI नहीं) मानने जैसी नीतियों ने भारत के इनोवेशन ईको-सिस्टम में निवेश को बढ़ावा दिया है।
    - भारतीय प्रवासी उद्यमियों ने फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्ट-अप के विकास में योगदान दिया है।
  - **परोपकार:** प्रवासी भारतीयों के भारत विकास फाउंडेशन (IDF-OI) जैसी पहल, स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा जैसी सामाजिक विकास परियोजनाओं में प्रवासी योगदान को प्रोत्साहित करती है।
- **राजनीतिक समर्थन**
  - **भारत के हितों की पैरवी करना:** प्रवासी भारतीयों ने भारत के हितों की पैरवी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि: अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता (वर्ष 2008) और भारत द्वारा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में (वर्ष 2017) पुन: निर्वाचित करना।
  - **वैश्विक राजनीति में प्रभाव:** विवेक रामास्वामी (अमेरिकी उद्यमी और राजनीतिज्ञ), लियो वराडकर (फाइन गेल (Fine Gael) पार्टी से संबंधित एक पूर्व आयरिश राजनेता) और एंटोनियो कोस्टा (पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री) जैसे भारतीय मूल के प्रमुख नेता भारत एवं उनके मेज़बान देशों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे राजनयिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिये समर्थन:** प्रवासी समूहों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये पैरवी की है, जिससे वैश्विक धारणा प्रभावित हुई है।

- **सकारात्मक वैश्विक छवि का निर्माण**
  - **"ब्रांड इंडिया":** प्रवासी सदस्य अनौपचारिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने मेज़बान देशों में भारत के लोकतंत्र, बहुलवाद और समावेशिता के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।
    - विविध क्षेत्रों में भारतीय मूल के पेशेवरों की सफलता (जैसे- सुंदर पिचाई, सत्य नडेला) वैश्विक प्रतिभा के स्रोत के रूप में भारत की छवि को बढ़ाती है।
  - **सॉफ्ट पावर इवेंट्स:** हाउडी मोदी (ह्यूस्टन, 2019) और वेम्बली इवेंट (लंदन, 2015) जैसे प्रवासी-केंद्रित कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के बीच गर्व की भावना बढ़ाते हैं एवं विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते हैं।
  - **प्रवासी श्रमिकों का कल्याण:** भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) और रेस्क्यू मिशन (जैसे- दक्षिण सूडान में संकट मोचन ऑपरेशन) जैसे कार्यक्रम संकट/आपदा के दौरान अपने प्रवासी समुदाय की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

- **प्रवासी कूटनीति के प्रयोग में चुनौतियाँ**
  - **असमान ध्यान:** भारत के प्रवासी जुड़ाव में प्राय: अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के धनी प्रवासियों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि खाड़ी देशों के निम्न आय वर्ग को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जो प्रवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं।
  - **सुरक्षा चिंताएँ:** प्रवासी समुदाय के कुछ वर्गों ने अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन किया है, जैसे कि कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तान आंदोलन, जिससे कूटनीतिक चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।
  - **सीमित राजनीतिक समर्थन:** यद्यपि प्रवासी भारतीयों ने भारत के हितों के लिये पैरवी की है, फिर भी भारत प्रवासी भारतीयों की चिंताओं, जैसे अमेरिका में H-1B वीज़ा सुधार या खाड़ी श्रमिकों के अधिकारों के मुद्दे पर समर्थन करने में कम प्रभावी रहा है।

प्रवासी कूटनीति को बढ़ाने की दिशा में आगे की राह

- **समावेशी सहभागिता:** विकसित देशों के धनी प्रवासियों के साथ-साथ खाड़ी देशों के निम्न आय वाले प्रवासी समूहों पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है।
- **कल्याण तंत्र को मज़बूत करना:** संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिये भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) के लिये वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **नीतिगत सुधार:** प्रवासी भारतीयों की सहभागिता में सुधार के लिये उनके दोहरी नागरिकता और मताधिकार की मांग पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिये ई-माइग्रेट जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- **प्रवासी नेतृत्व वाले समर्थन:** प्रवासी समूहों को भारत की वैश्विक आकांक्षाओं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और बहुपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने में रणनीतिक साझेदार के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख घटक है, जो इसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान से लाभान्वित होती है। प्रवासी कूटनीति में भारत की सफलताओं के बावजूद, असमान फोकस और सुरक्षा चिंताओं जैसी चुनौतियाँ इसकी पूरी क्षमता को सीमित कर देती हैं। इन कमियों को दूर करने से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ सकता है तथा रणनीतिक संपदा के रूप में प्रवासी समुदाय को सुदृढ़ किया जा सकता है।

प्रश्न : "दक्षिण एशियाई संबंधों में जल कूटनीति महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।" भारत से संबंधित सीमा पार जल विवादों का विश्लेषण कीजिये और क्षेत्रीय स्थिरता पर उनके प्रभावों की विवेचना कीजिये। **(250 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- दक्षिण एशियाई संबंधों में जल कूटनीति किस प्रकार महत्त्वपूर्ण होती जा रही है, यह बताते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत से जुड़े सीमा पार जल मुद्दों पर प्रकाश डालिये।
- क्षेत्रीय स्थिरता पर सीमा पार जल मुद्दों का प्रभाव बताइये।
- जल कूटनीति को मज़बूत करने के सुझावों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अस्तित्व, आर्थिक विकास और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिये जल एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है। दक्षिण एशिया में, जहाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जैसी नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं, सीमा पार जल प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

- साझा नदी प्रणालियाँ भारत को उसके पड़ोसियों— पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चीन से जोड़ती हैं, लेकिन जल बँटवारे, संसाधनों के उपयोग एवं बाँध निर्माण को लेकर विवाद भी खड़े करती हैं।

मुख्य भाग:

भारत से जुड़े सीमा पार जल मुद्दे:

- **भारत-पाकिस्तान: सिंधु जल संधि (IWT)**
  - विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि (वर्ष 1960) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के साझाकरण को नियंत्रित करती है।
    - चुनौतियाँ: पाकिस्तान भारत पर पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं (जैसे: किशनगंगा और रातले परियोजनाएँ) का निर्माण करके संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।
    - दूसरी ओर, भारत का कहना है कि पाकिस्तान संधि के तहत अनुमत वैध परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करता है।
- **भारत-बांग्लादेश: गंगा और तीस्ता नदियाँ**
  - गंगा जल संधि (वर्ष 1996) शुष्क मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर भारत और बांग्लादेश के बीच जल बँटवारे को नियंत्रित करती है।
    - चुनौतियाँ: ग्रीष्म-शुष्क महीनों के दौरान, बांग्लादेश भारत पर अपर्याप्त जल छोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे कृषि और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    - जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं ने जल की उपलब्धता में कमी को लेकर विवादों को तीव्र कर दिया है।
    - तीस्ता नदी मुद्दा: बांग्लादेश तीस्ता नदी के जल में समान हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल द्वारा अपनी जल आवश्यकताओं का हवाला देते हुए विरोध के कारण यह समझौता लंबित है।
- **भारत-चीन: ब्रह्मपुत्र नदी**
  - ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत (यारलुंग त्सांगपो) से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है।
    - चुनौतियाँ: चीन द्वारा जांगमू बाँध जैसे बड़े बाँधों के निर्माण से भारत में, विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान, नीचले क्षेत्र की ओर जल प्रवाह में कमी आने की चिंता उत्पन्न हो गई है।
    - औपचारिक जल-बंटवारे समझौते का अभाव तथा नदी प्रवाह पर सीमित डाटा-शेयरिंग से अनिश्चितता बढ़ती है।
- **भारत-नेपाल: महाकाली और कोसी नदियाँ**
  - महाकाली संधि (वर्ष 1996): जल-बँटवारे और टनकपुर बैराज जैसी परियोजनाओं के निर्माण को नियंत्रित करती है।
    - चुनौतियाँ: नेपाल ने भारत पर एकतरफा बाँध निर्माण और संधि के प्रावधानों का कार्यान्वयन न करने का आरोप लगाया।
    - कोसी बैराज जैसी भारतीय परियोजनाओं के कारण नेपाल में बाढ़ आने से असंतोष उत्पन्न होता है।

क्षेत्रीय स्थिरता पर सीमा पार जल मुद्दों का प्रभाव:

- **भू-राजनीतिक तनाव और विश्वास की कमी**
  - जल विवाद मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को और अधिक गंभीर बना देते हैं, जैसे: भारत-पाकिस्तान शत्रुता या भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पड़ोसी देश भारत की जल प्रबंधन परियोजनाओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका मानना है कि इनका प्रयोग दबाव बनाने के लिये किया जा सकता है, विशेष रूप से अत्यधिक राजनीतिक तनाव के दौरान।

- **पर्यावरण और आजीविका संबंधी चिंताएँ**
  - जल बँटवारे को लेकर विवादों के कारण प्राय: सहयोगी परियोजनाओं में विलंब होता है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण और जल संकट की स्थिति और भी विकट हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, तीस्ता जल-बँटवारा समझौते में विलंब से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के लाखों किसान प्रभावित होते हैं, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
- **"हाइड्रो-हेजेमनी" का खतरा**
  - भारत, जोकि अधिकांश नदियों का ऊपरी तटवर्ती राष्ट्र है, पर प्राय: पड़ोसी देशों द्वारा एकतरफा जल अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से 'जल-आधिपत्य' स्थापित करने का आरोप लगाया जाता है।
    - इससे क्षेत्रीय असंतोष बढ़ता है और नेपाल व बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देश भी समर्थन के लिये चीन की ओर बढ़ेंगे।
- **जलवायु परिवर्तन एक खतरा बढ़ाने वाला कारक**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने और अनियमित मानसून के कारण दक्षिण एशिया में जल की कमी बढ़ रही है, जिससे विवादों की आवृत्ति बढ़ रही है।
    - उदाहरण के लिये, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रह्मपुत्र का प्रवाह कम होने से भारत-चीन-बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग के लिये छूटे अवसर**
  - जल विवाद ऊर्जा, सिंचाई और आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशिया की संभावनाओं में बाधा डालते हैं।
    - उदाहरण के लिये, गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी तंत्र के लिये एक व्यापक बेसिन-व्यापी दृष्टिकोण का अभाव संयुक्त बाढ़ नियंत्रण और सतत् नदी बेसिन विकास को बाधित करता है।

जल कूटनीति को मज़बूत करने के लिये सुझाव:

- **बेसिन-व्यापी सहयोग तंत्र**
  - सहयोगात्मक नदी बेसिन प्रबंधन के लिये मेकांग नदी आयोग जैसे बहुपक्षीय कार्यढाँचे का निर्माण करना, डाटा साझाकरण, संयुक्त योजना और न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **द्विपक्षीय समझौतों को मज़बूत बनाना**
  - पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों सहित सभी हितधारकों को वार्ता प्रक्रिया में शामिल करके तीस्ता समझौते जैसे लंबित समझौतों में तेज़ी लाई जा सकती है।
- **डाटा साझाकरण और पारदर्शिता**
  - भारत और चीन को बाढ़ या न्यूनतम वर्षा वाले मौसम के दौरान अविश्वास को कम करने के लिये, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र के लिये, मज़बूत डाटा-साझाकरण समझौते स्थापित करने चाहिये।
- **क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना**
  - सीमा पार जल प्रबंधन पर चर्चा आरंभ करने तथा विश्वास-निर्माण उपायों को बढ़ावा देने के लिये SAARC और BIMSTEC जैसे मंचों का उपयोग करना आवश्यक है।
- **जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ**
  - जलवायु-अनुकूल जल-साझाकरण तंत्र विकसित करना आवश्यक है जो ग्लेशियर के पिघलने, नदी के प्रवाह में कमी तथा क्षेत्र में जल की बढ़ती मांग के प्रभाव को संतुलित कर सके।
- **संयुक्त विकास परियोजनाएँ**
  - अंतर-निर्भरता और साझा लाभ को बढ़ावा देने के लिये जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं के संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
    - उदाहरण के लिये, भारत और नेपाल आपसी ऊर्जा व जल सुरक्षा के लिये पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसी विलंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया में सीमा पार जल मुद्दे क्षेत्रीय स्थिरता के लिये तेज़ी से महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि जल की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तनाव को बढ़ा रही है। द्विपक्षीय समझौतों को मज़बूत करना, डाटा साझा करने के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा देना और बेसिन-व्यापी दृष्टिकोण का अंगीकरण को संघर्ष के स्रोत से सहयोग के साधन में बदलने के लिये आवश्यक है। ऐसा करके, भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र में सतत् विकास एवं स्थायी शांति सुनिश्चित कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए एक दशक से अधिक समय हो चुका है। क्या यह अपने मूल उद्देश्य—सामाजिक समावेश और शिक्षा तक समान पहुँच—को प्राप्त करने में सफल रहा है? विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए उत्तर दीजिये।
- सामाजिक समावेशन में RTE अधिनियम की उपलब्धियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- सामाजिक समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियों और संबंधित RTE मुद्दों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जड़ें वर्ष 1993 में ***उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले*** में दिये गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निहित हैं, जिसमें शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।

- इसके बाद, 86वें संविधान संशोधन (वर्ष 2002) द्वारा अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, साथ ही अनुच्छेद 45 (DPSP) और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्त्तव्यों) में संशोधन करके 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया।

मुख्य भाग:

सामाजिक समावेशन में RTE अधिनियम की उपलब्धियाँ:

- **सामाजिक-आर्थिक समूहों में नामांकन में वृद्धि:** RTE अधिनियम के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) जैसे सीमांत समुदायों में।
- उदाहरण के लिये सत्र 2014-15 से 2021-22 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई।
  - निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये 25% आरक्षण से वंचित पृष्ठभूमि के लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली है।
- **बेहतर बुनियादी अवसंरचना और अभिगम:** अधिनियम में बुनियादी अवसंरचना के मानदंडों को अनिवार्य किया गया है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिये रैंप, अलग शौचालय और पेयजल तक सुगमता, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
- **सीमांत समूहों को मुख्यधारा में लाना:** दिव्यांग बच्चों को शामिल करना (वर्ष 2012 के संशोधन के माध्यम से) और गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिये घर-आधारित शिक्षा।

सामाजिक समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियाँ:

- **शिक्षा की गुणवत्ता:** हालाँकि पहुँच में सुधार हुआ है, लेकिन अधिगम के परिणाम निम्नस्तरीय बने हुए हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में कमी को उजागर करती है, जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को कमज़ोर करती है।
  - सरकारी स्कूल प्राय: अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, अनुपस्थिति और निम्नस्तरीय शिक्षण पद्धति से ग्रस्त रहते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सीमांत समूहों पर पड़ता है।
- **कार्यान्वयन में कमी:** शिक्षा के लिये ज़िला सूचना प्रणाली (DISE) के अनुसार, देश भर में केवल 13% स्कूल ही सभी RTE मानदंडों, जैसे छात्र-शिक्षक अनुपात और बुनियादी अवसंरचना के मानकों का अनुपालन करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- गैर-अनुपालन के लिये विशिष्ट दंड का अभाव राज्य और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व को कम करता है।

- **कुछ समूहों का बहिष्कार:** यह अधिनियम छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कवर नहीं करता है, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (समावेश के लिये एक महत्त्वपूर्ण आधार) पर इसका प्रभाव सीमित हो जाता है।
  - अल्पसंख्यक और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को RTE अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है, जिससे संभवत: इन संस्थानों से सीमांत समूह बाहर हो जाएंगे।
- **आरक्षण कोटा चुनौतियाँ:** वित्त पोषण में विलंब और प्रतिपूर्ति की कमी के कारण 25% EWS कोटा लागू करने में निजी स्कूलों के प्रतिरोध ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।
- **बहु-ग्रेड शिक्षण:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के कारण बहु-ग्रेड शिक्षण होता है, जिससे वंचित समूहों के लिये शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होता है।

आगे की राह:

- **कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करना:** नियमित लेखापरीक्षा के माध्यम से बेहतर उत्तरदायित्व, गैर-अनुपालन के लिये दंडात्मक प्रावधान और राज्य व स्थानीय सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
  - RTE के लिये पर्याप्त वित्तीय आवंटन, विशेष रूप से 25% EWS कोटे के तहत निजी स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति के लिये।
- **शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना:** शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर शिक्षक के प्रदर्शन की निगरानी किये जाने की आवश्यकता है।
  - ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में अंतराल को पाटने के लिये प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **समावेशी शिक्षा नीतियाँ:** प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करके 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करने के लिये अधिनियम का विस्तार किया जा सकता है।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल उनकी स्वायत्तता से समझौता किये बिना RTE सिद्धांतों का पालन करें।
- **उन्नत सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सीमांत समूहों के लिये बुनियादी अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और अभिगम में सुधार के लिये सरकारों, निजी स्कूलों एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्कूल विकास का स्वामित्व लेने के लिये स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) को सशक्त बनाया जाना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वंचित समुदायों की आवाज़ सुनी जाए।

निष्कर्ष:

RTE अधिनियम ने सीमांत समूहों के लिये शिक्षा तक पहुँच में सुधार, नामांकन में वृद्धि और बुनियादी अवसंरचना को बेहतर बनाकर सामाजिक समावेशन के लिये एक मज़बूत आधार तैयार किया है। इन अंतरों को समाप्त करने के लिये अधिक निवेश, नवीन नीतियों और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित एक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। तभी RTE अधिनियम सभी के लिये सामाजिक न्याय और समान शिक्षा के साधन के रूप में अपनी क्षमता को सही मायने में पूरा कर सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र की दोहरी भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसे औपचारिक क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया में उत्पन्न चुनौतियों और रोज़गार सृजन क्षमता बनाए रखने के उपायों का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- औपचारिकीकरण के दौरान रोज़गार की संभावना को संरक्षित करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अनौपचारिक क्षेत्र भारत के कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा है तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है, जो एक महत्त्वपूर्ण रोज़गार सृजनकर्त्ता एवं एक असुरक्षित क्षेत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को इसके रोज़गार क्षमता को कम किये बिना औपचारिक बनाना नीति-निर्माताओं के लिये एक बड़ी चुनौती है।

मुख्य भाग:

अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में चुनौतियाँ:

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ**
  - **दस्तावेज़ीकरण का अभाव:** कई अनौपचारिक व्यवसायों और श्रमिकों के पास उचित दस्तावेज़ीकरण का अभाव होता है, जिससे औपचारिक प्रणालियों में एकीकरण कठिन हो जाता है।
    - ई-श्रम पोर्टल के अनुसार, 94% से अधिक श्रमिक की आय प्रतिमाह 10,000 रुपए से भी कम है, और कई के पास उचित पहचान या रोज़गार इतिहास के रिकॉर्ड का अभाव है, जिससे औपचारिक पंजीकरण कठिन हो जाता है।
  - **निम्न साक्षरता स्तर:** वर्ष 2021 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनसंख्या का केवल 77.7% ही साक्षर है तथा अनौपचारिक श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं के बीच यह दर कम है।
    - श्रमिकों के बीच सीमित वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, EPFO या ई-श्रम पोर्टल जैसे औपचारिक तंत्रों की उनकी समझ में बाधा डालती है।
  - **उद्यमों का विखंडन:** अनौपचारिक उद्यम प्राय: छोटे, परिवार द्वारा संचालित और बिखरे हुए होते हैं, जिससे विनियमन एवं औपचारिकीकरण के प्रयास कठिन हो जाते हैं।
- **आर्थिक बाधाएँ**
  - **अनुपालन की लागत:** GST फ्रेमवर्क के तहत किसी व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिये कर दाखिल करने और अनुपालन के लिये अग्रिम लागत की आवश्यकता होती है, जो निर्वाह स्तर की आय अर्जित करने वाले कई छोटे विक्रेताओं या कारीगरों के लिये वहन करने योग्य नहीं है।
  - **ऋण तक पहुँच संबंधी समस्याएँ:** देश के 64 मिलियन MSME में से केवल 14% के पास ऋण तक पहुँच है, क्योंकि उनके पास संपार्श्विक या औपचारिक दस्तावेज़ का अभाव है।
- **सामाजिक चुनौतियाँ**
  - **लैंगिक असमानताएँ:** अनौपचारिक श्रमिकों में महिलाएँ 52.81% हैं (ई-श्रम पोर्टल) लेकिन समान कार्य के लिये उन्हें पुरुषों की तुलना में 30-50% कम वेतन मिलता है।
    - बच्चों की देखभाल या मातृत्व अवकाश की कमी के कारण वे और भी अधिक वंचित हो जाती हैं।
  - **सांस्कृतिक प्रतिरोध:** ग्रामीण श्रमिक प्राय: औपचारिकीकरण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें नौकरशाही बाधाओं या स्वायत्तता के नुकसान का भय रहता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीतिगत एवं प्रशासनिक मुद्दे**
  - **सुदृढ़ आँकड़ों का अभाव:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर व्यापक आँकड़ों का अभाव (यद्यपि ई-श्रम के माध्यम से प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी पिछड़ा हुआ है) साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में बाधा डालता है।
  - **अप्रभावी शिकायत निवारण:** अनौपचारिक श्रमिकों के पास प्राय: विवादों (अक्तूबर 2024 में सैमसंग इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर थे) को सुलझाने या सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिये तंत्र तक पहुँच नहीं होती है।

औपचारिकता निभाते हुए रोज़गार की संभावनाओं का संरक्षण:

- **क्रमिक एवं प्रोत्साहन-आधारित औपचारिकीकरण:** औपचारिक संरचनाओं में परिवर्तन करने वाले व्यवसायों के लिये कर प्रोत्साहन और रियायती अनुपालन लागत की पेशकश की जानी चाहिये।
  - EPFO और डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसी औपचारिक व्यवस्थाओं में विश्वास दृढ़ करने हेतु श्रमिकों के लिये वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये।
- **लचीले श्रम विनियमन:** स्तरीय अनुपालन प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है, जहाँ छोटे व्यवसायों के लिये मानदंडों में ढील दी गई है और धीरे-धीरे पूर्ण अनुपालन की ओर संक्रमण किया गया है।
  - आर्थिक गतिविधि को बाधित किये बिना भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये ई-श्रम जैसे पोर्टलों पर पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिये।
- **सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा:** PM-स्वनिधि व प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन जैसी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों के लिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - राज्यों और नियोक्ताओं के बीच पेंशन, बीमा तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसे लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **लिंग-संवेदनशील उपाय:** अनुच्छेद 39(d) के तहत समान कार्य के लिये समान वेतन लागू करने के साथ ही महिला श्रमिकों के लिये मातृत्व लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और कौशल विकास के अवसरों का सृजन करने के लिये महिला-केंद्रित स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** श्रमिकों के रोज़गार इतिहास तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान को ट्रैक करने, पंजीकृत करने एवं प्रबंधित करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता है।
  - अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक वित्तीय नेटवर्क में एकीकृत करने के लिये डिजिटल भुगतान प्रणालियों और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

सतत् आर्थिक विकास के लिये अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना अपरिहार्य है। हालाँकि कम साक्षरता, लैंगिक असमानता एवं आर्थिक बाधाओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, डेटा-संचालित नीति-निर्माण और प्रोत्साहन-आधारित औपचारिकता इन मुद्दों को हल कर सकती है। एक संतुलित, समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि औपचारिकता अर्थव्यवस्था और इसके सबसे भेद्य योगदानकर्त्ताओं दोनों को सशक्त करे।

प्रश्न : "वित्तीय समावेशन आवश्यक है लेकिन समावेशी विकास के लिये यह पर्याप्त नहीं है।" इस कथन के आलोक में, व्यापक समावेशी विकास प्राप्त करने में भारत की प्रगति का मूल्यांकन कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन के महत्त्व पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- समावेशी विकास के लिये वित्तीय समावेशन की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- व्यापक समावेशी विकास प्राप्त करने में समग्र चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये उपाय बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों और व्यवसायों, विशेष रूप से वंचित समूहों के लोगों को बैंकिंग, भुगतान, ऋण, बीमा और बचत जैसी सस्ती एवं आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

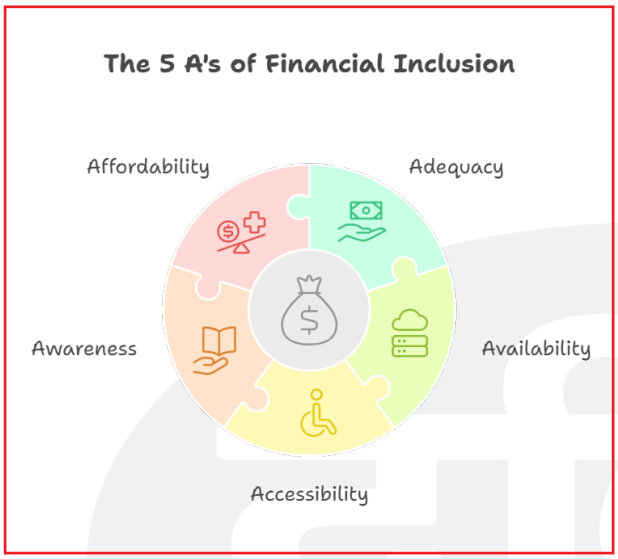

मुख्य भाग:

समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व:

- **आर्थिक सशक्तीकरण:** वित्तीय समावेशन बचत, ऋण और बीमा की सुलभता को सक्षम करके आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को सुदृढ़ करता है।
  - अगस्त 2023 तक 50 करोड़ से अधिक PMJDY खाते खोले जाएंगे)
  - वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल मुद्रा लाभार्थियों में से 63.6% महिला उद्यमी (लिंग-केंद्रित वित्तीय समावेशन) थीं।
- **गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय:** कल्याणकारी लाभों और वित्तीय ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करके, वित्तीय समावेशन आय असमानताओं को कम करता है तथा सीमांत समुदायों का उत्थान करता है।
  - प्रधानमंत्री-जन धन खातों के माध्यम से सरकार द्वारा 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।
    - IMF ने इसे 'एक तार्किक आश्चर्य' बताया है।
- **डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र:** मज़बूत डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के कारण वित्तीय समावेशन में तेज़ी आई है, जिससे लेन-देन में सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।
  - वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान में 89.5 मिलियन लेनदेन के साथ भारत विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा।

समावेशी विकास के लिये वित्तीय समावेशन की सीमाएँ

- **कम वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय समावेशन इसके लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता के बिना अप्रभावी है, क्योंकि कई खाते निष्क्रिय रहते हैं। (वर्ष 2022 तक लगभग 20% PMJDY खाते निष्क्रिय थे)।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** यद्यपि शहरी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी के कारण पिछड़ जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये बैंकिंग तक भौतिक अभिगम उत्तर-पूर्व में सबसे कम थी, जहाँ सत्र 2020-21 में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर केवल 19 शाखाएँ थीं।
- **सीमित बहुआयामी प्रभाव:** वित्तीय समावेशन मौद्रिक पहलुओं का समाधान करता है लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं कौशल विकास में संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान नहीं करता है।
  - आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) 39.4% बना हुआ है।

व्यापक समावेशी विकास प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **निरंतर गरीबी और असमानता:** भारतीय आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 53% संपत्ति है, जबकि देश की गरीब आधी जनसंख्या के पास केवल 4.1% संपत्ति के लिये संघर्ष कर रही है।
- **विशाल अनौपचारिक कार्यबल:** 90% श्रमिक अनौपचारिक हैं, जिनके पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है (ILO)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन (बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP महाराष्ट्र का लगभग 1/5वाँ हिस्सा है)।
- **बुनियादी कार्यढाँचे की कमी:** ग्रामीण सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं (एक चौथाई भारतीयों के पास अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है।) की कमी है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उपाय:

- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिये।
- **लक्षित सब्सिडी और DBT:** प्रत्यक्ष अंतरण के लिये JAM ट्रिनिटी की तरह सब्सिडी (खाद्य, ईंधन, उर्वरक) का बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिये।
- **क्षेत्रीय और क्षेत्रीय अंतराल को समाप्त करना:** बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - विश्व बैंक - फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की पहुँच में 10% की वृद्धि से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 1.38% बढ़ जाएगी।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य:** समग्र शिक्षा और आयुष्मान भारत जैसी पहल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

वित्तीय समावेशन ने वित्तीय अभिगम में सुधार करके और वंचितों को सशक्त बनाकर समावेशी विकास की नींव रखी है, लेकिन यह अपने आप में अपर्याप्त है। व्यापक विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और सामाजिक समानता में एक साथ प्रगति की आवश्यकता है।

प्रश्न : "भारत के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे को आधुनिक और कुशल बनाने के लिये मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है? इस संदर्भ में, भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारों के योगदान का विश्लेषण कीजिये।"
(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये कुशल लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसंरचना के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत के लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिये मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के पक्ष में तर्क दीजिये।
- भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में भारतमाला की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में समर्पित वस्तु परिवहन गलियारों की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये कुशल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI)- वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर रहने वाले भारत को उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 14-18%, जबकि वैश्विक औसत 8% है—आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) का सामना करना पड़ रहा है।

- भारतमाला परियोजना और समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) सड़क, रेल एवं बंदरगाह नेटवर्क को एकीकृत करके बहु-मॉडल कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

कुशल रसद → कम लागत → तेजी से माल की आवागमन → बेहतर व्यापार → आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता

मुख्य भाग:

भारत के लॉजिस्टिक्स को इष्टतम करने के लिये मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी:

- **रसद लागत में कमी:** बहु-मॉडल परिवहन, परिवहन साधनों को दक्षता के लिये इष्टतम करके भारत में उच्च रसद लागत (GDP का 14%) को कम करता है।
- **निर्बाध माल ढुलाई:** यह एंड-टू-एंड तक सुचारु संपर्क सुनिश्चित करता है, विलंब को न्यूनतम करता है तथा आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह लागत, समय और विश्वसनीयता के संदर्भ में सबसे इष्टतम मॉडल संयोजन को चुनने और डिज़ाइन करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन भी प्रदान करता है।
- **सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करना:** इससे सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है, जाम, प्रदूषण और अनुरक्षण लागत में कमी आती है।

- **एक्ज़िम व्यापार के लिये समर्थन:** औद्योगिक केंद्रों को बंदरगाहों और वैश्विक बाज़ारों से जोड़कर निर्यात-आयात दक्षता को बढ़ाता है।
  - इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कारोबार में सुविधा होगी, जो भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्द्धी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **क्षेत्रीय विकास:** अविकसित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और असमानताओं को कम किया जाता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन:** प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकटों जैसे व्यवधानों के दौरान बुनियादी अवसंरचना की विश्वसनीयता और अनुकूलनशीलता में सुधार करता है।

भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में भारतमाला की भूमिका

- **उन्नत आर्थिक गलियारे:** भारतमाला का लक्ष्य स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारों सहित प्रमुख मार्गों पर माल ढुलाई यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये 26,000 किलोमीटर वाले आर्थिक गलियारे विकसित करना है।
- **प्रथम और अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी:** 8,000 किमी अंतर-राज्यीय गलियारों और 7,500 किमी. फीडर मार्गों का विकास, लॉजिस्टिक्स श्रृंखलाओं में अंतराल को समाप्त करता है तथा उद्योगों एवं उपभोक्ताओं के लिये पहुँच में सुधार करता है।
- **सीमा और तटीय संपर्क:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बुनियादी अवसंरचना में सुधार करके नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देता है।
  - सागरमाला और भारतमाला के माध्यम से तटीय क्षेत्रों को जोड़ने से बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे निर्यात एवं आयात दोनों में सुविधा होगी।
- **आधुनिक एक्सप्रेस-वे और ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ:** ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास से पारंपरिक मार्गों पर भीड़भाड़ कम हो जाती है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे ने दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटाकर केवल 12 घंटे कर दिया।

भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में समर्पित माल गलियारों की भूमिका:

- **तीव्र एवं कुशल माल ढुलाई यातायात:** DFC विशेष रेलवे मार्ग हैं, जो माल ढुलाई यातायात के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जो तीव्र एवं भारी रेलगाड़ियों के परिचालन में मदद करते हैं।
  - पूर्वी DFC (EDFC) और पश्चिमी DFC (WDFC) औद्योगिक केंद्रों, कोयला खदानों, बिजली संयंत्रों तथा बंदरगाहों से कनेक्टिविटी में सुधार करते हैं।
- **रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करना:** भारत के पारंपरिक रेल नेटवर्क का स्वर्णिम चतुर्भुज, जो 52% यात्री और 58% माल ढुलाई यातायात का परिवहन करता है, अत्यधिक भीड़भाड़ से ग्रस्त है।
  - DFC माल ढुलाई यातायात को समर्पित मार्गों पर मोड़कर इस बोझ को कम करते हैं।
  - वर्तमान में औसतन 325 ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं, जो वर्ष 2023 से 60% अधिक है। DFC पर मालगाड़ियाँ अधिक तीव्रता, अधिक परिवहन और अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- **निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार को मज़बूत करना:** मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल जैसे बंदरगाहों को जोड़ने वाला पश्चिमी DFC, EXIM कार्गो के लिये कनेक्टिविटी बढ़ाता है।
  - WDFC की डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनें निर्यात के लिये परिवहन लागत को कम करती हैं, जिससे भारतीय सामान वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनते हैं।
- **क्षेत्रीय आर्थिक विकास:** शोध के अनुसार DFC का "सामाजिक-समानता प्रभाव" होता है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

और कम लॉजिस्टिक्स लागत के माध्यम से राज्यों (प्रति व्यक्ति कम GDP वाले राज्य) को लाभ मिलता है।
  - फीडर मार्ग आंतरिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और छोटे व्यवसायों के लिये अभिगम को बेहतर बनाते हैं।
- **भविष्य की विस्तार योजनाएँ:** चार अतिरिक्त गलियारों, जैसे पूर्वी तट गलियारा (खड़गपुर-विजयवाड़ा) और उत्तर-दक्षिण गलियारा (विजयवाड़ा-इटारसी) की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को और अधिक इष्टतम बनाना है।

निष्कर्ष:

भारतमाला परियोजना और समर्पित माल ढुलाई गलियारा कनेक्टिविटी में सुधार, लागत में कमी और बहु-मॉडल एकीकरण को बढ़ाकर भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत को वर्ष 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

प्रश्न : भारत की संघीय राजकोषीय व्यवस्था क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को कम करने में कितनी प्रभावी रही है? हालिया वित्तीय सुधारों और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के संघीय राजकोषीय व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- राजकोषीय संघवाद ने क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को किस प्रकार संतुलित किया है, इस पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- अभी भी जो अंतराल शेष हैं उपर चर्चा कीजिये।
- आगे का रास्ता सुझाएँ
- क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को किस हद तक दूर किया गया है और आगे की राह क्या है, इस बात पर ज़ोर देते हुए उचित निष्कर्ष कीजिये।

परिचय:

संविधान में उल्लिखित भारत की संघीय राजकोषीय व्यवस्था का उद्देश्य समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को संतुलित करना है।

- हालाँकि, कर अंतरण (अनुच्छेद 270), अनुदान सहायता (अनुच्छेद 275) और वित्त आयोग की सिफारिशों (अनुच्छेद 280) जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद, क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएँ बनी हुई हैं।

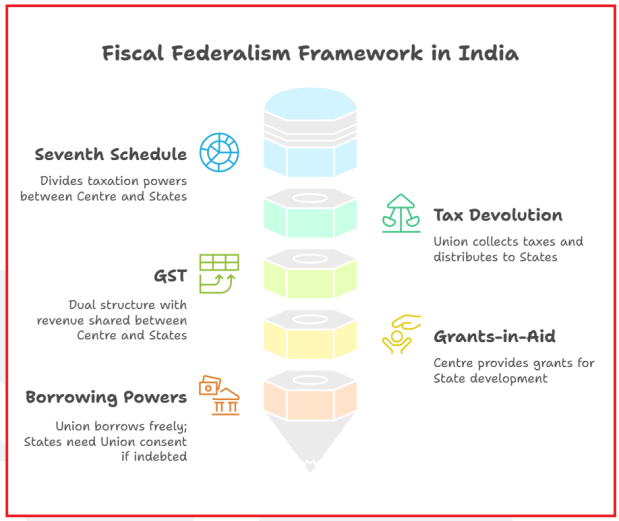

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने वाला राजकोषीय संघवाद:

- **कर अंतरण में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015-20) के बाद, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% हो गई (बाद में संशोधित कर 41% कर दी गई)।
  - व्यय को प्राथमिकता देने में राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) कार्यान्वयन (वर्ष 2017):** एकीकृत कर संरचना, व्यापक प्रभाव को कम करना।
  - GST परिषद (अनुच्छेद 279A) कराधान में सहकारी संघवाद सुनिश्चित करता है।
- **अनुदान एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS):** आपदा राहत, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिये विशिष्ट अनुदान।
  - योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय से क्षेत्रीय वित्तपोषण की ओर परिवर्तन।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उधार और राजकोषीय उत्तरदायित्व:** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम घाटे को सीमित करता है लेकिन संकटों (जैसे: कोविड-19) में समुत्थानशक्ति प्रदान करता है।
  - राज्यों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अतिरिक्त उधार (GSDP के 5% तक) की अनुमति दी गई।
  - हालाँकि, अभी भी महत्त्वपूर्ण अंतराल मौजूद हैं जिनमें शामिल हैं:
- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन और राज्य कर स्वायत्तता का क्षरण:** केंद्र के पास उच्च राजस्व स्रोतों (आयकर, CGST, विदेशी लेन-देन) पर कराधान की शक्ति बनी रहती है, जबकि राज्य मुख्य रूप से SGST और छोटे स्थानीय करों पर निर्भर रहते हैं।
  - GST के बाद, राज्यों को कर दरें निर्धारित करने में सीमित स्वायत्तता मिली है, जिससे वे संघ के अंतरण पर निर्भर हो गए हैं, जिसमें प्राय: विलंब हो जाता है (उदाहरण के लिये, राज्यों द्वारा लंबित GST क्षतिपूर्ति बकाया)।
- **वित्त आयोग के अंतरण में बदलते रुझान:** 15वें वित्त आयोग का फार्मूला जनसंख्या (15%), क्षेत्र (15%), आय अंतर (45%), जनसांख्यिकीय संक्रमण (12.5%), वन क्षेत्र (10%) और कर प्रयास (2.5%) के आधार पर कर अंतरण आवंटित करता है।
  - आय अंतर मानदंड तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से प्रगतिशील राज्यों के लिये नुकसानदेह है, जबकि ऐतिहासिक रूप से गरीब राज्यों के लिये फायदेमंद है।
  - यह तरीका निश्चित रूप से कम विकसित राज्यों की सहायता करता है, लेकिन उच्च विकास वाले राज्यों में उनके राजकोषीय हिस्से को लेकर असंतोष उत्पन्न करता है।
- **सहायता अनुदान में कमी तथा उपकर एवं अधिभार में वृद्धि**
  - सहायता अनुदान ₹1.95 लाख करोड़ (2015-16) से घटकर ₹1.65 लाख करोड़ (सत्र 2023-24) हो गया है, जिससे राज्यों के लिये विवेकाधीन निधि कम हो गई है।
  - उपकर और अधिभार संग्रह में 133% की वृद्धि हुई (सत्र 2017-18 से सत्र 2022-23 तक), लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया।
  - इसका गरीब राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो विकास परियोजनाओं के लिये केंद्रीय अनुदान पर अधिक निर्भर रहते हैं।

आगे की राह:

- **राज्यों के लिये अधिक राजकोषीय स्वायत्तता:** क्षेत्रीय आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये GST के तहत कराधान में राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। GST क्षतिपूर्ति बकाया राशि का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **वित्त आयोग के आवंटन में सुधार:** उच्च विकास वाले राज्यों के लिये अंतर-राज्यीय समानता बनाए रखने हेतु प्रोत्साहनों के साथ आय अंतर मानदंड को संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।
  - राज्य-स्तरीय वित्तीय नियोजन को और भी बेहतर बनाने के लिये अप्रतिबंधित अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिये।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण:** वित्तीय रूप से कमज़ोर राज्यों को सहायता देने के लिये केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या को युक्तिसंगत बनाए जाने (एन.के. सिंह समिति) अथवा राज्य सह-वित्तपोषण दायित्वों को कम किये जाने की आवश्यकता है।
  - क्षेत्र-विशिष्ट विकास सुनिश्चित करने के लिये योजना तैयार करने में राज्य सरकारों को अधिक अवसर दिया जाना चाहिये।
- **उपकर और अधिभार साझाकरण तंत्र पर पुनर्विचार:** राजकोषीय असंतुलन को कम करने की दिशा में उपकर और अधिभार राजस्व के एक हिस्से को राज्यों के साथ साझा करने के लिये एक तंत्र को संस्थागत बनाये जाने की आवश्यकता है।
- **विकासात्मक व्यय के लिये उधार लेने का लचीलापन बढ़ाना:** बुनियादी अवसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिये जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन वाले राज्यों हेतु उच्च उधार सीमा की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

यद्यपि राजकोषीय अंतरण सुनिश्चित करने में बेहतर प्रगति हुई है, फिर भी राजस्व के बढ़ते केंद्रीकरण, राज्य अनुदानों में गिरावट एवं उधार प्रतिबंधों जैसे बहुत बड़े अंतराल अभी भी बने हुए हैं, जो कम

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विकसित राज्यों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे मौजूदा असमानताएँ और बढ़ जाती हैं। समान विकास हासिल करने के लिये, सुधारों के तहत राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, अधिक निष्पक्ष राजस्व-साझाकरण तंत्र और व्यय नियोजन में लचीलेपन के साथ सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : "आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी संसाधन अनुकूलन और समावेशन को बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम हो सकती है।" जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपाय बताते हुए इस कथन की विवेचना कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित चिंताओं को बताइये।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपायों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

साइबर आतंकवाद, डिजिटल अरेस्ट और लंबे समय तक उग्रवाद जैसे उभरते खतरे परंपरागत कानून प्रवर्तन कार्यढाँचे को चुनौती देते हैं। परिणामस्वरुप, आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी ने प्रमुखता हासिल की, जो प्रौद्योगिकी, बुनियादी अवसंरचना और परिचालन दक्षता में उनकी विशेषज्ञता से प्रेरित है।

मुख्य भाग:

आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की अपरिहार्य भूमिका:

- **तकनीकी विशेषज्ञता:** निजी क्षेत्र निगरानी प्रणाली, AI और साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान विकसित करने में दक्ष है।
  - **उदाहरण:** TCS जैसी निजी फर्मों ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (CCTNS) जैसे सरकारी कार्यक्रमों में योगदान दिया।
- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण:** भारत की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना (जैसे: विद्युत संयंत्र, दूरसंचार नेटवर्क) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा निजी संस्थाओं के स्वामित्व में है या उनके द्वारा संचालित है, जिससे सुरक्षा में उनकी भागीदारी आवश्यक हो जाती है।
  - **उदाहरण:** BALCO (भारत एल्युमिनियम कंपनी) ने छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहाँ जनजातीय विद्रोह प्रचलित है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमों को लागू करके प्रभावित समुदायों को मुख्यधारा में ला दिया है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास एवं सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो रहे हैं।
- **साइबर सुरक्षा को दृढ़ करना:** महत्त्वपूर्ण प्रणालियों पर बढ़ते साइबर हमलों के साथ, फायरवॉल, खतरा पहचान तंत्र और डेटा सुरक्षा कार्यढाँचे को विकसित करने में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता अपरिहार्य है।
  - **उदाहरण:** CERT-In और मास्टरकार्ड ने सहयोग एवं सूचना साझाकरण के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **सुरक्षा कार्यों में सार्वजनिक-निजी सहयोग:** निजी सुरक्षा एजेंसियाँ शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में संसाधन अंतराल को दूर करके सरकारी प्रयासों में सहायता करती हैं।
  - **उदाहरण:** निजी सुरक्षा सेवा उद्योग भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, और यह पुलिस बलों के लिये पूरक के रूप में कार्य कर सकता है, विशेष रूप से बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा जैसे गैर-महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्यों के लिये।

आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित चिंताएँ

- **सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा लाभ की प्राथमिकता:** निजी संस्थाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता दे सकती हैं, विशेष रूप से संघर्षग्रस्त या आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निजी कंपनियाँ प्राय:** परिचालन जोखिम और कम लाभ का हवाला देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असुरक्षित क्षेत्रों में इकाइयाँ स्थापित करने से हिचकिचाती हैं।

- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम:** निजी फर्मों के साथ साझेदारी से संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा का दुरुपयोग, जासूसी या साइबर हमलों का जोखिम बढ़ जाता है।
  - पेगासस स्पाइवेयर विवाद ने निगरानी प्रणालियों में अनियंत्रित निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।
- **जवाबदेही का अभाव:** निजी कंपनियाँ पारंपरिक उत्तरदायित्व कार्यढाँचे से परे काम कर सकती हैं, जिससे पारदर्शिता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - इराक युद्ध के दौरान ब्लैकवाटर घटना ने सुरक्षा अभियानों में अनियमित निजी क्षेत्र की भागीदारी के खतरों को उजागर किया।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपाय:

- **विधिक एवं नियामक कार्यढाँचा:** सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका को नियंत्रित करने वाले सख्त कानून स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें लाइसेंसिंग, प्रदर्शन मानक और उल्लंघन के लिये दंड शामिल हैं।
  - साइबर सुरक्षा जैसी तकनीक-संचालित निजी सुरक्षा सेवाओं को शामिल करने के लिये निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (PSARA), 2005 का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग प्रोटोकॉल:** ओवरलैप से बचने और संचालन के दौरान सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिये भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की आवश्यकता है।
  - निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से युक्त NATGRID परियोजना, सरकारी निगरानी के साथ सुरक्षित खुफिया जानकारी साझा करने को सुनिश्चित करती है।
- **डेटा संरक्षण सुरक्षा उपाय:** संवेदनशील जानकारी के लीक को रोकने के लिये दृढ़ डेटा-साझाकरण और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल लागू किया जाना चाहिये।
  - डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सार्वजनिक -निजी भागीदारी में संवेदनशील डेटा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये आधार तैयार करता है।
- **क्षमता निर्माण और नैतिक प्रशिक्षण:** निजी संस्थाओं को विधिक एवं नैतिक मानकों के साथ संचालन संरेखित करने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
  - समन्वय और जवाबदेही बढ़ाने के लिये निजी सुरक्षा एजेंसियों व सरकारी कर्मियों के लिये संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये।
- **स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र:** निजी क्षेत्र के परिचालनों का लेखापरीक्षण करने और अनुपालन लागू करने के लिये स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना करने की आवश्यकता है।
  - वित्तीय क्षेत्र के RBI और SEBI विनियमन के समान, एक समर्पित सुरक्षा नियामक आंतरिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी की निगरानी कर सकता है।

निष्कर्ष

अब यह आवश्यक हो गया है कि निजी क्षेत्र को भी आंतरिक सुरक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि सुरक्षा संबंधी समस्याएँ व खतरे जटिल होते जा रहे हैं, और सरकारी संसाधन इनसे निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। चाहे वह महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा हो, साइबर खतरों से निपटना हो या संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना हो, निजी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है। संतुलित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ, निजी संस्थाएँ समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए भारत के आंतरिक सुरक्षा कार्यढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ कर सकती हैं।

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारत द्वारा वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिये निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में प्रयासों की समीक्षा कीजिये। इन लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और संभावित अवसरों पर चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भूमि क्षरण तटस्थता और भारत के लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- LDN लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- LDN लक्ष्य प्राप्त करने में अवसरों की विवेचना कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भूमि क्षरण तटस्थता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता स्थिर रहती है या संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से बढ़ती है। भारत, जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.32% हिस्सा भूमि क्षरण से ग्रस्त है, भूमि क्षरण की समस्या से निपटने और इसके पुनर्भरण के लिये हस्तक्षेप को प्राथमिकता दे रहा है।

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्ति के लक्ष्य की प्रतिबद्धता जताई है।

मुख्य भाग:

LDN लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियाँ:

- **बढ़ता भूमि क्षरण:** भारत को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गंभीर मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत में लगभग 68% फसल क्षेत्र सूखे की चपेट में है, जिससे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है।
  - रेत के अतिक्रमण के कारण थार रेगिस्तान का विस्तार कृषि भूमि और ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।
- **असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ:** उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम हो गई है तथा लवणता बढ़ गई है।
  - हरियाणा में भूजल की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुँच गई है, जहाँ 143 में से 88 ब्लॉक को अतिदोहित श्रेणी में रखा गया है जहाँ अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणता बढ़ रही है।
- **तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण:** बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं, रियल एस्टेट और खनन के लिये अतिक्रमण के कारण उपजाऊ भूमि का नुकसान हुआ है।
  - अनुमान है कि शहरीकरण के कारण वर्ष 2000 से 2030 के दौरान प्रति वर्ष 1.6 से 3.3 मिलियन हेक्टेयर प्रमुख कृषि भूमि का नुकसान होगा।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा पैटर्न, बढ़ता तापमान एवं निरंतर अनावृष्टि से भूमि क्षरण की स्थिति और भी खराब हो रही है।
  - बुंदेलखंड क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है, जिसके कारण मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और संकटपूर्ण पलायन हुआ है।
- **जागरूकता और भागीदारी का अभाव:** किसानों और ग्रामीण समुदायों में प्राय: संधारणीय भूमि प्रथाओं के बारे में जागरूकता की कमी होती है या उन्हें अपनाने से तत्काल आर्थिक नुकसान का डर रहता है।
  - पारंपरिक फसल पद्धतियों से कृषि वानिकी या जैविक कृषि की ओर संक्रमण में अनिच्छा प्रगति को सीमित करती है।

LDN लक्ष्य प्राप्त करने के अवसर

- बड़े पैमाने पर वनरोपण और पुनर्वनरोपण: ग्रीन इंडिया मिशन और कैम्पा फंड वन क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिसका मुख्य फोकस बंजर भूमि पर है।
  - **उदाहरण:** अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से मरुस्थलीकरण को कम करना है।
- **टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ:** परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी योजनाएँ रासायनिक कृषि आदान को कम करने को प्रोत्साहित करती हैं।
  - आंध्र प्रदेश के शून्य बजट प्राकृतिक कृषि मॉडल ने भूमि क्षरण को कम किया और मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया, जो एक अनुकरणीय मॉडल है।
- **कृषि वानिकी:** कृष्ट भूमि पर वृक्ष लगाने से अपरदन रुकता है, जैव विविधता बढ़ती है तथा मृदा संरचना की पुन: पूर्ति होती है।
  - कर्नाटक के बाँस मिशन ने बंजर कृषि भूमि के पुन: भरण करने के लिये कृषि वानिकी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) जैसे एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, चेक डैम और मृदा पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार अभियान ने मृदा नमी प्रतिधारण और जल उपलब्धता को बढ़ाकर भूमि क्षरण को कम किया।
- **सटीक हस्तक्षेप के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और स्थानीय समुदायों को शामिल करना:** उन्नत प्रौद्योगिकियाँ क्षरित भूमि की पहचान करती हैं, मरुस्थलीकरण की निगरानी करती हैं तथा पुनर्स्थापन प्रभावों का आकलन करती हैं।
  - मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और ग्राम स्तरीय समितियों को शामिल करके सहभागी भूमि पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना भारत के लिये एक पारिस्थितिक आवश्यकता और सामाजिक-आर्थिक अनिवार्यता दोनों है। समग्र और समावेशी दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देकर, भारत आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को संतुलित करते हुए एक दीर्घकालिक भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। यह मिशन न केवल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करता है बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है, कृषि उत्पादकता बढ़ाता है और भारत को मरुस्थलीकरण से निपटने में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

प्रश्न : "मृदा प्रदूषण का जल संदूषण और जैवविविधता हानि के साथ गहरा संबंध है।" चर्चा कीजिये कि भारत में मृदा प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिये पर्यावरण संरक्षण हेतु एकीकृत दृष्टिकोण कैसे प्रभावी हो सकता है? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैवविविधता ह्रास के बीच संबंध को बताते हुए उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैवविविधता ह्रास के बीच अंतर्संबंधों का समर्थन करने वाले प्रमुख तर्क दीजिये।
- मृदा प्रदूषण से निपटने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैवविविधता का ह्रास आपस में संबद्ध हुई चुनौतियाँ हैं जो भारत की पर्यावरणीय एवं कृषि संधारणीयता को कमज़ोर कर रही हैं। अत्यधिक उर्वरक प्रयोग, शहरीकरण और निर्वाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण करते हैं, जल निकायों को प्रदूषित करती है तथा पश्चिमी घाट एवं हिमालय जैसे जैवविविधता हॉटस्पॉट को खतरे उत्पन्न करते हैं।

उदाहरण:

कृषि अपवाह ➡ पोषक तत्त्व संदूषण (सुपोषण) ➡ शैवाल प्रस्फुटन ➡ अवरुद्ध सूर्यप्रकाश और बाधित प्रवाल-ज़ूजैन्थेले सहजीविता ➡ प्रवाल विरंजन

मुख्य भाग:

मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैवविविधता हानि के बीच अंतर्संबंध:

- **मृदा प्रदूषण और जल संदूषण:** रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से पोषक तत्त्वों का रिसाव होता है, जिससे सतही और भूजल संसाधन संदूषित होते हैं।
  - उदाहरण: पंजाब में नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग के कारण जलभृतों में नाइट्रेट का अत्यधिक संचय हो जाता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह जाता है।
  - भारी धातुओं वाले औद्योगिक अपशिष्ट का मृदा और जल में रिसाव होता है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।
- **मृदा प्रदूषण और जैवविविधता ह्रास:** क्षीण मृदा के कारण उर्वरता कम हो जाती है, जिससे वनस्पति और वन्य जीव आवास प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण: पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती (कर्तन-दहन) से वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है, जिससे हूलॉक गिब्बन जैसी मूल प्रजातियों को नुकसान पहुँच रहा है।
  - स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (जैसे: DDT) मृदा और जल में संचित हो जाते हैं, जिससे खाद्य शृंखला एवं पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं (जैसे: DDT के कारण शिकारी पक्षियों के अंडे का सुभेद्य हो जाना)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जल संदूषण और जैवविविधता ह्रास:** संदूषित जल निकाय ऑक्सीजन की कमी (यूट्रोफिकेशन/सुपोषण) और विषाक्त पदार्थों के जैवसंचय के माध्यम से जलीय जैवविविधता को नुकसान पहुँचाते हैं।
  - उदाहरण: यमुना नदी औद्योगिक अपशिष्टों और कृषि अपवाह से ग्रस्त है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है।

मृदा प्रदूषण से निपटने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण

- **संधारणीय कृषि पद्धतियाँ**
  - **जैविक कृषि और जैवउर्वरक:** सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता कम करने और मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है।
  - **एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (INM):** रासायनिक उर्वरकों को जैविक इनपुट और जैव उर्वरकों के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।
    - जैव उर्वरकों के लिये प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकृत उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी (NBS) को संशोधित करने की आवश्यकता है।
  - **कृषि वानिकी और फसल चक्र:** कृषि वानिकी और फसल चक्र के अंगीकरण से जैवविविधता में वृद्धि, मृदा संरचना में सुधार एवं मृदा अपरदन में कमी आती है।
    - बेहतर मृदा संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिये पारंपरिक वाडी प्रणालियों (वृक्ष-आधारित कृषि) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **मृदा स्वास्थ्य के लिये जल प्रबंधन**
  - **सूक्ष्म सिंचाई तकनीक:** जलभराव और लवणीकरण को रोकने के लिये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई है, लेकिन इसके विस्तार (वर्तमान में केवल 19% कवरेज) की आवश्यकता है।
  - **आर्द्रभूमि पुनर्भरण:** कृषि एवं औद्योगिक अपवाह से प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने के लिये आर्द्रभूमि का उपयोग तथा डाउनस्ट्रीम जल निकायों और आसपास की मृदा के संरक्षण की आवश्यकता है।
- **वनरोपण और जैवविविधता पुनर्स्थापन**
  - **वनरोपण कार्यक्रम:** मृदा उर्वरता और वन्य जीव आवास को पुनर्स्थापित करने के लिये क्षतिग्रस्त भूमि पर देशी वनस्पति लगाए जाने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण: राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) को समुदाय-नेतृत्व वाली भूमि पुनर्स्थापन के लिये MGNREGA के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - **मैंग्रोव पुनर्स्थापन:** तटीय मृदा को लवणता के अतिक्रमण से बचाना तथा जलीय जैवविविधता को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण: तमिलनाडु के मैंग्रोव वनरोपण कार्यक्रम को देश भर में बढ़ाया जा सकता है।
- **जलवायु-अनुकूल मृदा संरक्षण**
  - **संरक्षण कृषि:** शून्य जुताई, मल्चिंग और कवर फसल जैसी पद्धतियाँ मृदा अपरदन को कम करती हैं और मिट्टी में कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं।
    - उदाहरण: बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, हैप्पी सीडर जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ पंजाब में शून्य-जुताई पद्धति को बढ़ावा देता है।
  - **समुत्थानशील रणनीतियाँ:** बाढ़, सूखे और अनियमित वर्षा प्रति समुत्थानशक्ति बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) परियोजनाओं को मृदा स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **जैव उपचार और प्रदूषण नियंत्रण**
  - भारी धातुओं और औद्योगिक विषाक्त पदार्थों से दूषित मृदा के शोधन के लिये फाइटोएक्स्ट्रेक्शन जैसी जैव-उपचार तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण: गुजरात के अंकलेश्वर में औद्योगिक रूप से प्रदूषित मृदा को शुद्ध करने के लिये जैव-उपचार का प्रयोग किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **माइक्रोप्लास्टिक संदूषण नियंत्रण:** कृषि प्लास्टिक के स्थान पर स्टार्च आधारित प्लास्टिक जैसे जैवनिम्नीकरणीय विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा अपशिष्ट निपटान को विनियमित किया जाना चाहिये।
  - संधारणीय पैकेजिंग के लिये प्लास्टिक के स्थान पर जूट के बैग का प्रयोग किया जाना चाहिये।
  - आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंज़ूरी दी है कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है।

- **एकीकृत नीति कार्यढाँचा**
  - **एकीकृत पर्यावरण नीतियाँ:** मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों (जैसे- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) को जल प्रबंधन योजनाओं (जैसे- जल शक्ति अभियान) और जैवविविधता कार्यक्रमों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।
  - **डिजिटल मृदा मानचित्रण:** मृदा क्षरण की निगरानी करने तथा क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिये ISRO के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

- **समुदाय और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान**
  - **सहभागी दृष्टिकोण:** मृदा और जल संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिये, विशेष रूप से राजस्थान तथा पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।
  - **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** मृदा अपरदन, जल संदूषण और वन आवरण में परिवर्तन की निगरानी के लिये AI एवं ड्रोन का उपयोग करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैवविविधता का ह्रास आपस में जुड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनसे निपटने के लिये पर्यावरण संरक्षण की समन्वित एवं एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर, जल प्रबंधन में सुधार करके और जैवविविधता को पुनर्स्थापित करके, भारत अपने पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करते हुए मृदा संदूषण को दूर कर सकता है।

प्रश्न : "कानूनी संरक्षण के बावजूद भारत की आर्द्रभूमियों का क्षरण जारी है। आर्द्रभूमि संरक्षण के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं और इन परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिये कौन-से नवीन दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं?" **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- आर्द्रभूमि के महत्त्व को संक्षेप में बताकर उत्तर दीजिये।
- आर्द्रभूमि संरक्षण में कार्यान्वयन की चुनौतियाँ बताइये।
- आर्द्रभूमि संरक्षण के लिये नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जैवविविधता, जल सुरक्षा और जलवायु विनियमन के लिये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र आर्द्रभूमि, भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 4.86% हिस्सा कवर करते हैं।

- वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत कानूनी संरक्षण के बावजूद, अतिक्रमण, प्रदूषण एवं असंतुलित विकास के कारण इनका क्षरण जारी है।

मुख्य भाग:

आर्द्रभूमि संरक्षण में कार्यान्वयन चुनौतियाँ:

- **व्यापक पहचान और मानचित्रण का अभाव**
  - कई आर्द्रभूमियाँ मानचित्रित नहीं हैं या उनका अभिलेखीकरण नहीं किया गया है, विशेष रूप से लघु आर्द्रभूमियाँ (<2.25 हेक्टेयर) जो आर्द्रभूमि नियम, 2017 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
  - सटीक एवं अद्यतन भू-स्थानिक आँकड़ों का अभाव प्रभावी निगरानी में बाधा डालता है।

- **अतिक्रमण और शहरीकरण**
  - तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण बुनियादी अवसंरचना, कृषि और रियल एस्टेट विकास पर अतिक्रमण बढ़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स, जो अपशिष्ट जल उपचार के लिये महत्त्वपूर्ण है, शहरी विस्तार के कारण दबाव में है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रदूषण और सुपोषण**
  - अनुपचारित मलजल, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपवाह के निर्वहन से रासायनिक प्रदूषण और सुपोषण होता है।
  - उदाहरण के लिये, मणिपुर में लोकतक झील गाद और कीटनाशक अपवाह से ग्रस्त है।
- **वेटलैंड नियमों का कमज़ोर प्रवर्तन**
  - आर्द्रभूमि नियम, 2017 मुख्य रूप से अधिसूचना और विनियमन पर केंद्रित हैं, लेकिन इनमें पुनर्स्थापन और सामुदायिक भागीदारी पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।
    - प्रदूषण फैलाने वालों और अतिक्रमणकारियों के लिये निगरानी एवं जवाबदेही सीमित है।
- **जन जागरूकता का अभाव**
  - स्थानीय समुदायों द्वारा प्राय: आर्द्रभूमियों को कम महत्त्व दिया जाता है तथा उन्हें महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के बजाय केवल बंजर भूमि माना जाता है।
  - चिल्का झील (ओडिशा) और वेम्बनाड झील (केरल) जैसी आर्द्रभूमियों का सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्त्व अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**
  - बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न से आर्द्रभूमियाँ सूख रही हैं, जिससे जैवविविधता एवं जल विज्ञान चक्र प्रभावित हो रहा है।

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिये नवीन दृष्टिकोण:

- **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान**
  - **उपग्रह मानचित्रण और GIS:** आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य, अतिक्रमण और प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
    - राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और मूल्यांकन (NWIA) का विस्तार किया जा सकता है।
  - **AI और IoT सेंसर:** pH, ऑक्सीजन के स्तर और प्रदूषक सांद्रता जैसे जल गुणवत्ता मापदंडों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये IoT सेंसर तैनात किया जाना चाहिये।
- **समुदाय-आधारित आर्द्रभूमि प्रबंधन**
  - **सहभागी दृष्टिकोण:** स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से आजीविका के लिये आर्द्रभूमि पर निर्भर समुदायों को इको-टूरिज़्म और संधारणीय मात्स्यिकी के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिये।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान (PES)**
  - PES मॉडल लागू किया जाना चाहिये जहाँ उद्योग या शहरी स्थानीय निकाय आर्द्रभूमि को बनाए रखने के लिये स्थानीय समुदायों को वित्तीय मुआवज़ा देते हैं।
    - आर्द्रभूमि के आसपास के किसानों को कीटनाशकों के उत्सर्जन को कम करने के लिये जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **कानूनी और संस्थागत कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना**
  - आर्द्रभूमि नियमों का विस्तार करके इसमें छोटे और मौसमी वेटलैंड्स को शामिल किया जाना चाहिये, जो भूजल पुनर्भरण और जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन पहल**
  - क्षरित हो चुकी आर्द्रभूमि के पुनर्स्थापन के लिये मूल वनस्पति लगाना, गाद निकालना, तथा बफर ज़ोन बनाने जैसी प्राकृतिक इंजीनियरिंग तकनीकों को अपनाया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, लोकतक विकास प्राधिकरण (LDA) ने झील से गाद निकालने का काम शुरू करके झील की जल निकासी में सुधार लाने के लिये ठोस प्रयास किये हैं।
- **जन जागरूकता अभियान**
  - बाढ़ नियंत्रण, जल निस्यंदन और जैवविविधता संरक्षण में आर्द्रभूमि के महत्त्व पर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिये।
  - स्कूल पाठ्यक्रम में आर्द्रभूमि शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिये तथा व्यापक पहुँच के लिये सोशल मीडिया अभियान का सहारा लिया जाना चाहिये।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी**
  - आर्द्रभूमि संरक्षण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जैसे सफाई अभियान प्रायोजित करना और उपचार संयंत्रों का निर्माण करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हरित अवसंरचना विकसित करने के लिये उद्योगों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये जिससे आर्द्रभूमि की क्षति न्यूनतम हो।

निष्कर्ष:

भारत की आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिकी संतुलन, जैवविविधता और जल-संरक्षण को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि शहरीकरण, प्रदूषण और शासन संबंधी चुनौतियों के कारण इनका क्षरण तत्काल ध्यान देने की माँग करता है। तकनीकी नवाचार, सहभागी शासन और सुदृढ़ कानूनी ढाँचे को शामिल करके, भारत रामसर कन्वेंशन के उद्देश्य को आगे बढ़ा सकता है तथा सतत् विकास के लिये इन आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्रों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : "एक मज़बूत IT सेवा क्षेत्र होने के बावजूद, भारत का गहन-तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने में पिछड़ने के कारण संरचनात्मक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण कीजिये तथा एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपाय सुझाइये।" **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- IT- सेक्टर के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये और इस बात पर प्रकाश डालिये कि प्रगति के बावजूद, डीप टेक सेक्टर अभी भी पीछे है।
- अंतर के पीछे संरचनात्मक और संस्थागत कारक बताइये।
- एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के IT सेवा क्षेत्र ने देश को वैश्विक तकनीकी अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित कर दिया है, तथा सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- हालाँकि, डीप-टेक क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन, जिसमें AI, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं - अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं।

मुख्य भाग:

अंतराल के संरचनात्मक और संस्थागत कारक:

- **लंबी धारण अवधि और वित्तपोषण विसंगति**
  - IT सेवाओं से जुड़े त्वरित रिटर्न के विपरीत, डीप टेक उद्यमों में लंबे R&D चक्र और उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है, जो प्राय: 7-10 वर्षों तक चलती है।
    - वेंचर कैपिटलिस्ट (VC) आमतौर पर 3-5 वर्ष की छोटी निवेश अवधि को प्राथमिकता देते हैं।
    - वर्ष 2023 में, भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स में फंडिंग में 77% की गिरावट दर्ज की गई, वैश्विक निवेशकों ने सीमित रुचि दिखाई।
- **प्रतिभा की कमी और प्रतिभा पलायन**
  - भारत में प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक निकलते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3% के पास ही AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी कौशल होता है।
  - सिलिकॉन वैली और कनाडा जैसे वैश्विक नवाचार केंद्रों की ओर प्रतिभा पलायन से प्रतिभा का यह अंतर और बढ़ जाता है तथा घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना**
  - डीप टेक के लिये विशेष अनुसंधान अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जैसे सुपरकंप्यूटिंग सुविधाएँ और उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाएँ।
    - हालाँकि, भारत के पास वैश्विक कंप्यूटर अवसंरचना का 2% से भी कम हिस्सा है, जो अमेरिका और चीन से बहुत पीछे है, जिनके पास 60% संसाधनों का प्रभुत्व है।
  - राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन जैसी पहल के बावजूद बुनियादी अवसंरचना के विकास की धीमी गति से स्टार्टअप्स की लागत बढ़ जाती है।
- **विनियामक अस्पष्टता**
  - ड्रोन, AI और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राय: अस्पष्ट या विकसित नियामक कार्यढाँचे का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, भारत की ड्रोन नीति वर्ष 2018 और 2021 के दौरान काफी विकसित हुई, जिससे ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में देरी हुई।

- विनियामक सैंडबॉक्स का अभाव प्रयोग और नवाचारों के विस्तार में बाधा डालता है।

- **बौद्धिक संपदा चुनौतियाँ**
  - पेटेंट दाखिल करना और उसकी रक्षा करना महंगा और समय लेने वाला काम है।
    - भारत में पेटेंट अनुदान प्रक्रिया औसतन 58 महीने की है, जबकि अमेरिका में यह 23 महीने की है।

एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपाय:

- **डीप-टेक क्लस्टर**
  - बेंगलुरु (AI और रोबोटिक्स) और हैदराबाद (एयरोस्पेस और रक्षा) जैसे प्रमुख शहरों में डीप टेक के लिये समर्पित क्लस्टर स्थापित किये जा सकते हैं।
  - स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और कॉर्पोरेट्स के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कर प्रोत्साहन और रियायती बुनियादी अवसंरचना प्रदान की जा सकती है।
- **डीप-टेक केंद्रित वेंचर फंड**
  - डीप टेक के अनुरूप लंबी निवेश अवधि (7-10 वर्ष) के साथ सरकार समर्थित उद्यम निधि शुरू कर सकती है।
  - स्टार्टअप्स के लिये 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स जैसी पहलों का विस्तार करके इसका एक प्रतिशत विशेष रूप से डीप टेक परियोजनाओं के लिये आवंटित किया जाना चाहिये।
  - निवेशों के जोखिम को कम करने के लिये मिश्रित वित्त मॉडल के माध्यम से निजी वी.सी. फर्मों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
- **विनियामक सैंडबॉक्स**
  - AI, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त प्रणालियों के लिये क्षेत्र-विशिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स लागू किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, एक स्वचालित वाहन सैंडबॉक्स एथर एनर्जी जैसी कंपनियों को नियंत्रित परिस्थितियों में नवाचारों का परीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे नियामक स्पष्टता में तेज़ी आए।
- **प्रतिभा पूल को मज़बूत करना**
  - क्वांटम कंप्यूटिंग और ऊर्जा भंडारण जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशिष्ट डीप-टेक पाठ्यक्रम और उद्योग-प्रायोजित पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिये IIT और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।
  - कुशल प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु गहन प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शुरू की जानी चाहिये।
- **खुले नवाचार मंच**
  - स्टार्टअप, कॉरपोरेट और शिक्षा जगत को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय खुले नवाचार मंच बनाए जाने चाहिये। उदाहरण के लिये:
    - स्वास्थ्य सेवा के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्लेटफॉर्म, कैंसर का पता लगाने के लिये समाधानों के सह-विकास हेतु निरमई जैसे स्टार्टअप को अस्पतालों के साथ जोड़ सकता है।
- **डीप-टेक व्यावसायीकरण निधि**
  - अकादमिक शोध को बाज़ार-तैयार उत्पादों में बदलने के लिये समर्पित संसाधन आवंटित किये जाने चाहिये। उदाहरण के लिये:
    - एक व्यावसायीकरण निधि IISc बैंगलोर से उभरने वाले ठोस-अवस्था बैटरी स्टार्टअप्स का समर्थन कर सकती है।
- **वैश्विक गठबंधन**
  - सिलिकॉन वैली, तेल अवीव और सिंगापुर जैसे वैश्विक केंद्रों के साथ साझेदारी स्थापित की जा सकती है:
    - क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर भारत-इज़रायल द्विपक्षीय कार्यशाला सीमा पार सहयोग के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **IP पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना**
  - पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना चाहिये ताकि औसत अनुदान समय को 58 महीने से घटाकर वैश्विक मानकों (23 महीने) तक लाया जा सके।
  - भारतीय स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वैश्विक पेटेंट फाइलिंग लागत के लिये सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

भारत का सुदृढ़ IT सेवा क्षेत्र और सुदृढ़ STEM आधार डीप-टेक विकास के लिये एक आशाजनक आधार प्रदान करता है। विशेष क्लस्टर, विनियामक सैंडबॉक्स और वैश्विक सहयोग जैसे उपायों को लागू करके, भारत खुद को डीप टेक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है, जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और सतत् विकास जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान को आगे बढ़ा सकता है।

प्रश्न : भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता को मज़बूत करने में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग में उभरती प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु जोखिमों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- जलवायु अनुकूलन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका बताइये।
- जलवायु अनुकूलन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका को और दृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- मुख्य बिंदुओं और दूरदर्शी दृष्टिकोण का सारांश प्रस्तुत करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिये विश्व का सातवाँ सबसे सुभेद्य देश था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट-आधारित रिमोट सेंसिंग, हाई-रिज़ॉल्यूशन क्लाइमेट मॉडल और IoT-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी उभरती हुई तकनीकें जलवायु जोखिमों का पूर्वानुमान करने, अनुकूलन करने और उन्हें कम करने की भारत की क्षमता को बढ़ा रही हैं।

मुख्य भाग:

जलवायु अनुकूलन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका

- **आपदा मोचन की तैयारी के लिये बेहतर मौसम पूर्वानुमान:** उन्नत पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियाँ चरम मौसमी घटनाओं के लिये पूर्व चेतावनी प्रदान करती हैं, जिससे अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने में मदद मिलती है।
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML):** AI-संचालित मॉडल मानसून परिवर्तनशीलता, चक्रवाती संरचनाओं और हीटवेव में पैटर्न का पता लगाने के लिये जलवायु डेटासेट का वृहत विश्लेषण करते हैं।
    - ML अल्पकालिक और दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करता है।
    - उदाहरण: NASA के सहयोग से, IBM एक ओपन-सोर्स फाउंडेशन मॉडल जारी कर रहा है जिसे विभिन्न मौसम और जलवायु-संबंधी अनुप्रयोगों के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
  - **डॉप्लर मौसम रडार (DWR):** डॉप्लर रडार तूफान, भारी वर्षा और बिजली के लिये उच्च परिशुद्धता वाले अल्पकालिक पूर्वानुमान प्रदान करते हैं।
    - ये रडार आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) और नगरीय बाढ़ को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
    - वर्ष 2023 तक, गंभीर मौसमी घटनाओं की निगरानी के लिये देश भर में 39 डॉप्लर मौसम रडार (DWR) वितरित किये जाएंगे।
- **दीर्घकालिक योजना के लिये हाई-रिज़ॉल्यूशन जलवायु मॉडल:** जलवायु मॉडल भविष्य की जलवायु प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हैं, नीति निर्माण और बुनियादी अवसंरचना के विकास में सहायता करते हैं।
  - क्षेत्रीय जलवायु मॉडल (RCM) और वैश्विक जलवायु मॉडल (GCM) तापमान प्रवृत्तियों, मानसून पैटर्न और समुद्र-स्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना और कृषि नीतियों को डिज़ाइन करने में सहायता करते हैं।

- **रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग:** उपग्रह जलवायु मापदंडों की निरंतर निगरानी करते हैं तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को समर्थन प्रदान करते हैं।
  - भू-स्थिर और ध्रुवीय-परिक्रमा उपग्रह चक्रवातों, वर्षा पैटर्न, महासागरीय तापमान और निर्वनीकरण की दरों पर नज़र रखते हैं।
    - बाढ़, सूखा और मरुस्थलीकरण की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने में सहायता प्रदान करते हैं।
    - INSAT-3DR उपग्रह चक्रवात की रियल टाइम ट्रैकिंग करता है, तथा आपदा मोचन प्रयासों में सहायता करता है।
- **पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिये बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT:** प्रौद्योगिकी-संचालित डेटा विश्लेषण और स्वचालन जलवायु जोखिम आकलन की गति एवं सटीकता में सुधार करते हैं।
  - यह क्लाइमेट सिमुलेशन के तेज़ी से प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है, जोखिम आकलन को बढ़ाता है।
    - चरम मौसमी घटनाओं के दौरान ठीक समय पर निर्णय लेने में सहायता करता है।
- **IoT-आधारित सेंसर नेटवर्क:** स्वचालित मौसम केंद्र हाइपरलोकल डेटा प्रदान करते हैं, जिससे ससमय पूर्वानुमान में सुधार होता है।
  - IoT सेंसर बिजली की गतिविधि, मृदा की नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव का पता लगाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, IMD द्वारा विकसित दामिनी लाइटनिंग अलर्ट ऐप, ठीक समय पर तड़ित (आकाशीय बिजली गिरने) की चेतावनी भेजता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हताहतों की संख्या कम हो जाती है।

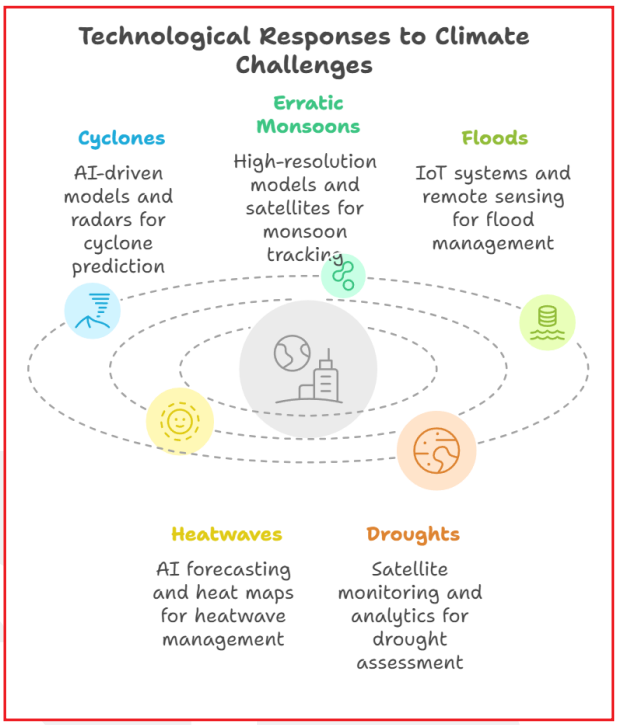

जलवायु अनुकूलन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका को और सुदृढ़ करने के उपाय:

- पूर्वानुमान में AI और ML एकीकरण को सुदृढ़ करना– पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिये वैश्विक AI अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग किये जाने की आवश्यकता है।
- डॉप्लर रडार नेटवर्क का विस्तार- पूर्वोत्तर भारत जैसे जलवायु-सुभेद्य क्षेत्रों में अधिक डॉप्लर रडार तैनात किये जाने की आवश्यकता है।
- स्वदेशी जलवायु मॉडल विकसित करना- भारत में विकसित हाई-रिज़ॉल्यूशन मॉडल में निवेश करके विदेशी मॉडलों पर निर्भरता कम किये जाने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक जागरूकता और चेतावनी प्रणाली को बढ़ाना - मौसम ऐप जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से ससमय जलवायु चेतावनियों की पहुँच में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- IoT-आधारित मौसम अवसंरचना में वृद्धि- हाइपरलोकल पूर्वानुमान प्रदान करने के लिये ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में स्वचालित मौसम स्टेशनों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ मौसमी पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाकर, आपदा मोचन हेतु तैयारी को सुदृढ़ करके और दीर्घकालिक नीति नियोजन का समर्थन करके भारत की जलवायु-अनुकूल रणनीतियों को उन्नत कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से मोचन के लिये जीवन, बुनियादी अवसंरचना तथा आजीविका की सुरक्षा के लिये AI, उपग्रह निगरानी, डॉपलर रडार और IoT-आधारित प्रणालियों को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण होगा। एक प्रौद्योगिकी-संचालित जलवायु अनुकूलन दृष्टिकोण एक गर्म होते विश्व में भारत के संवहनीय भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : युवा आईएएस अधिकारी आशुतोष बाढ़ प्रभावित ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान उनकी टीम ने लोगों को निकालने और राहत पहुँचाने के लिये अथक प्रयास किया। हालाँकि, एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया गया कि राहत शिविरों का प्रबंधन अपर्याप्त है, जिसमें अपर्याप्त स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल थीं। इस लेख ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोरीं, जिसके कारण आशुतोष के प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना हुई।

आशुतोष मानते हैं कि कुछ आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि धन की कमी के कारण बचाव प्रयासों में वास्तविक कमियाँ हैं। उनके वरिष्ठ ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट मांगी है, जबकि राज्य सरकार ने उन्हें जनता के असंतोष को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिये कथानक को नियंत्रित करने पर ध्यान देने को कहा है। इस बीच, उन्हें चल रहे राहत प्रयासों का समन्वय जारी रखने की भी आवश्यकता है।

आशुतोष अपनी प्रतिष्ठा को बचाने और राहत कार्यों में वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के बीच उलझे हुए हैं। इस दुविधा में वह जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन के बीच संतुलन किस प्रकार बना पाएंगे।

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

(ख) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

(ग) आशुतोष तत्काल संकट और स्थिति से उजागर प्रणालीगत मुद्दों, दोनों को हल करने के लिये क्या कदम उठा सकते हैं?

परिचय:

यह मामला बाढ़ प्रभावित ज़िले में राहत कार्यों का प्रबंधन करने वाले एक युवा ज़िला मजिस्ट्रेट आशुतोष के इर्द-गिर्द घूमता है। अपनी टीम के प्रयासों के बावजूद, राहत शिविरों में खराब स्थितियों को उजागर करने वाली एक पत्रकार की रिपोर्ट ने सार्वजनिक आलोचना को जन्म दिया है, जिससे संसाधनों की कमी के कारण होने वाली कमियों का पता चलता है। आशुतोष को वास्तविक परिचालन चुनौतियों का समाधान करने, जनता की धारणा को प्रबंधित करने तथा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं प्रभावी प्रशासन के अपने नैतिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

(क) इस स्थिति में शामिल हितधारक:

हितधारक	भूमिका/रुचि
आशुतोष (ज़िला मजिस्ट्रेट)	संसाधनों की कमी और सार्वजनिक आलोचना के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रभावी राहत कार्यों में संतुलन बनाए रखना।
बाढ़ प्रभावित लोग	उचित स्वच्छता, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहित समय पर तथा पर्याप्त राहत की मांग करना।
ज़िला प्रशासन टीम	राहत प्रयासों में सहायता करना, संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करना तथा परिचालन दक्षता बनाए रखना।
राज्य सरकार	उचित प्रशासन सुनिश्चित करना, सार्वजनिक धारणा का प्रबंधन करना तथा ज़िले को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
पत्रकार	राहत प्रबंधन में समस्याओं पर प्रकाश डालना तथा प्रशासन को जवाबदेह बनाना।
मीडिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता	स्थिति को बढ़ाना, जनमत को आयाम देना तथा संभावित रूप से सरकारी कार्रवाई को प्रभावित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन	राहत प्रयासों में सहायता करना तथा प्रशासन की प्रभावशीलता के लिये निगरानीकर्त्ता के रूप में कार्य करना।
स्वास्थ्य रक्षक सुविधाएँ प्रदान करने वाले	राहत शिविरों में चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
सार्वजनिक आलोचक	बेहतर प्रदर्शन और पारदर्शिता के लिये प्रशासन पर दबाव डालना।
आशुतोष के वरिष्ठ अधिकारी	जिसने स्थिति का आकलन करने तथा आगामी कार्रवाई के लिये मार्गदर्शन हेतु विस्तृत रिपोर्ट मांगा है।

(ख) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण:

- **जवाबदेही बनाम सार्वजनिक धारणा:** राहत कार्यों में कमियों को स्वीकार करने की आवश्यकता और सार्वजनिक आलोचना को प्रबंधित करने तथा प्रशासन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के दबाव के बीच संतुलन बनाना।
- **पारदर्शिता बनाम क्षति नियंत्रण:** यह निर्णय लेना कि राहत उपायों में कमियों को खुले तौर पर स्वीकार किया जाए या विश्वास और जनता का मनोबल बनाए रखने के लिये स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **संसाधन की कमी बनाम सार्वजनिक अपेक्षाएँ:** सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित नागरिकों की उच्च अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हुए पर्याप्त राहत प्रदान करने का प्रयास करना।
- **तत्काल कार्रवाई बनाम दीर्घकालिक योजना:** तत्काल संकट से निपटने के लिये तत्काल राहत उपायों को प्राथमिकता देना बनाम भविष्य में बेहतर आपदा तैयारी के लिये प्रणालीगत मुद्दों को हल करने के लिये कदम उठाना।
- **व्यक्तिगत ईमानदारी बनाम संगठनात्मक दबाव:** प्रतिष्ठा प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिये वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के व्यक्तिगत मूल्यों को कायम रखना।
- **राहत प्रयास बनाम मीडिया आलोचना:** मीडिया के आरोपों और सार्वजनिक जाँच से विचलित होने के बावजूद चल रहे राहत कार्यों एवं स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- **व्यक्तिगत दोष बनाम प्रणालीगत जवाबदेही:** आपदा प्रबंधन में खामियों के लिये व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी स्वीकार करना बनाम व्यापक प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करना।

(ग) आशुतोष तात्कालिक संकट और स्थिति से उजागर प्रणालीगत मुद्दों, दोनों को हल करने के लिये क्या कदम उठा सकते हैं ?

तत्काल संकट से निपटने के लिये कदम:

- **राहत कार्य बढ़ाना:**
  - राहत शिविरों में स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल जैसी विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की जा सकती है।
  - संसाधन अंतराल को प्रभावी ढंग से कम करने के लिये स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और चिकित्सा टीमों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
  - त्वरित एवं कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिये।
- **संचार माध्यमों को मज़बूत करना:**
  - राहत उपायों के संदर्भ में जनता के साथ पारदर्शी और वास्तविक समय पर संवाद के लिये एक समर्पित टीम नियुक्त की जानी चाहिये।
  - सटीक जानकारी प्रसारित करने, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिये स्थानीय रेडियो एवं सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना:**
  - प्रभावित आबादी से शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने के लिये एक हेल्पडेस्क या हेल्पलाइन स्थापित की जानी चाहिये।
  - जनता का विश्वास बहाल करने के लिये शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये।
- **संसाधनों का रणनीतिक आवंटन करना:**
  - सबसे तत्काल आवश्यकताओं (जैसे- गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र या महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग जैसे कमज़ोर समूह) के आधार पर राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संसाधनों का अनुरोध करने के लिये राज्य स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया टीमों के साथ समन्वय किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मीडिया को शामिल करना:**
  - सामने आई चुनौतियों को स्वीकार करने, उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा बताने तथा सुधार के लिये प्रशासन के प्रयासों पर ज़ोर देने के लिये एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जानी चाहिये।
  - पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिये पत्रकारों को उन्नत शिविरों का दौरा करने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये।

प्रणालीगत मुद्दों के समाधान हेतु कदम:

- **संकट के बाद ऑडिट आयोजित करना:**
  - वर्तमान आपदा प्रबंधन प्रयासों में संसाधनों की कमी, संभार-तंत्र में विलंब और समन्वय विफलताओं सहित कमियों का मूल्यांकन करने के लिये एक कार्यबल का गठन किया जाना चाहिये।
  - राज्य सरकार के लिये एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने हेतु निष्कर्षों का दस्तावेज़ीकरण करना।
- **आपदा-रोधी बुनियादी अवसंरचना का निर्माण:**
  - बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में उच्च आश्रय स्थल, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसे दीर्घकालिक समाधानों में निवेश का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।
  - समुदाय-आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिये।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना:**
  - अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्त्ताओं के लिये नियमित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिये।
  - सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राहत शिविर कर्मियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और रसद समन्वय में प्रशिक्षित किया गया है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को दृढ़ बनाना:**
  - भविष्य के संकटों के लिये संसाधनों और विशेषज्ञता का एक विश्वसनीय नेटवर्क बनाने के लिये स्थानीय व्यवसायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी विकसित की जानी चाहिये।
  - आपातकालीन आपूर्ति शृंखलाओं के लिये पूर्व-व्यवस्थित समझौते स्थापित किया जाना चाहिये।
- **निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार:**
  - समय पर निकासी और बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिये बाढ़ पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों को उन्नत करने की सिफारिश की जानी चाहिये।
  - भेद्यता आकलन के लिये भू-स्थानिक मानचित्रण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **नीतिगत सुधारों को सुनिश्चित करना:**
  - आपदा प्रबंधन नीतियों में संशोधन की सिफारिश किया जाना चाहिये ताकि उन्हें अधिक समावेशी बनाया जा सके, विशेष रूप से कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए।
  - आपदा-प्रवण ज़िलों के लिये धन आवंटन बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता:**
  - आपदा मोचन के लिये तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान शुरू की जानी चाहिये।
  - स्थानीय आपदा कार्रवाई योजना विकसित करने में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

आशुतोष को संकट से उजागर हुई व्यवस्थागत कमियों को दूर करते हुए जनता का भरोसा फिर से बनाने के लिये जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ तत्काल राहत प्रयासों को संतुलित करना चाहिये। प्रभावी संचार, रणनीतिक संसाधन आवंटन और हितधारकों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देकर, वह मौजूदा चुनौतियों का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही, आपदा प्रबंधन में दीर्घकालिक सुधारों की शुरुआत करने से ज़िले की समुत्थानशक्ति सुदृढ़ होगी जिससे भविष्य में बेहतर तैयारी और आपदा मोचन संभव हो सकेगा।

प्रश्न : आप एम.बी.ए. (अंतिम वर्ष) के छात्र अमन के साथ एक निजी छात्रावास में रहते हैं, जो कई व्यक्तिगत और शैक्षणिक चुनौतियों से जूझ रहा है। लंबी बीमारी के कारण, पिछले दो सेमेस्टर में अमन के ग्रेड में काफी गिरावट आई है, जिससे कैंपस प्लेसमेंट के लिये उसकी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पात्रता खतरे में पड़ गई है। उसकी वित्तीय स्थिति भी अनिश्चित है, कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर भारी भरकम शैक्षिक ऋण का बोझ है।

जैसे-जैसे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ निकट आ रही हैं, अमन की चिंता बढ़ती जा रही है और वह आपको परीक्षा के पेपर खरीदने की अपनी योजना के बारे में बताता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्लेसमेंट के मानदंडों को पूरा करता है। वह अपने खराब स्वास्थ्य, आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देकर अपने निर्णय को सही ठहराता है और इसे अपना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बताता है। निराश होकर अमन आपको दोस्ती और ज़िम्मेदारी की भावना का हवाला देते हुए आपसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिये वित्तीय सहायता मांगता है।

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं ?

(ख) इस स्थिति में नैतिक मुद्दे क्या हैं ?

(ग) इस स्थिति में आपकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं तथा आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

परिचय:

यह मामला एक नैतिक दुविधा पर आधारित है, जहाँ आपको आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संघर्षरत छात्र अमन का समर्थन करने तथा सत्यनिष्ठा एवं शैक्षणिक ईमानदारी के सिद्धांतों को बनाए रखने के बीच चुनाव करना पड़ता है। प्लेसमेंट सुरक्षित करने के लिये परीक्षा प्रश्न-पत्र खरीदने की अमन की योजना वित्तीय कठिनाई, एक शैक्षिक ऋण और विफलता के डर के दबाव को दर्शाती है जो आपको नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ सहानुभूति को संतुलित करने के लिये बाध्य करती है।

मुख्य भाग:

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं ?

हितधारक	भूमिका/रुचि
प्रिय (मित्र)	नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अमन को भावनात्मक एवं नैतिक समर्थन प्रदान करना।
अमन (रूममेट)	एक छात्र भारी वित्तीय और शैक्षणिक दबाव में है तथा वह ऐसा समाधान चाहता है जिससे नैतिक मानकों से समझौता हो सकता है।
शैक्षिक संस्था	शैक्षिक सत्यनिष्ठा की शुचिता सुनिश्चित करना, निष्पक्ष प्रणाली बनाए रखते हुए वास्तविक चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को सहायता प्रदान करना।
नियोक्ता	वास्तविक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की भर्ती करना तथा नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
समाज	शिक्षा और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी, योग्यता तथा नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना।

(ख) इस स्थिति में नैतिक मुद्दे क्या हैं ?

इस स्थिति में कई नैतिक मुद्दे शामिल हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है:

- **मित्रता और ईमानदारी के बीच संघर्ष:**
  - मित्रता: निष्ठा और सहानुभूति की स्वाभाविक भावना किसी को संकट के समय अमन का साथ देने के लिये बाध्य कर सकती है।
  - सत्यनिष्ठा: परीक्षा प्रश्न-पत्र खरीदने जैसे अनैतिक कार्य में सहायता करना नैतिक सिद्धांतों और शैक्षणिक मूल्यों के विपरीत है जिससे भावनात्मक संबंधों एवं नैतिक कर्त्तव्यों के बीच टकराव उत्पन्न करता है।
- **अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक नुकसान:**
  - यद्यपि अमन की सहायता करने से उसे तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन इससे संभावित निष्कासन, प्रतिष्ठा को नुकसान तथा विश्वास की हानि जैसे गंभीर परिणाम होने का खतरा है, जिससे उसके भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **गलत काम में मिलीभगत:**
  - किसी अनैतिक कार्य के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना आपको अनैतिक कार्य में शामिल करता है, आपकी नैतिक स्थिति से समझौता करता है तथा कदाचार को तर्कसंगत बनाने वाला एक हानिकारक उदाहरण तैयार करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शैक्षणिक अखंडता को कमज़ोर करना:**
  - अमन के कार्यों का समर्थन करना शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करता है, दूसरों की कड़ी मेहनत का अवमूल्यन करता है तथा बेईमानी की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे समग्र शैक्षणिक वातावरण को नुकसान पहुँचता है।
- **न्याय का नैतिक सिद्धांत:**
  - अमन को वैध प्रक्रियाओं को दरकिनार करने में मदद करना उन अन्य छात्रों के प्रति अन्याय है जो नैतिक मानकों का पालन करते हैं, जिससे निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

(ग) आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

सुझाई गई कार्यवाही:

- **सहानुभूति रखें और विश्वास बनाना:** अमन की चिंताओं को बिना किसी निर्णय के सुनते हुए उसके संघर्ष की गहराई को स्वीकार करना चाहिये।
  - इससे विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है और उसे पता चलता है कि आप वास्तव में उसकी भलाई के बारे में परवाह करते हैं।
- **अनैतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करना:** उसे नरमी से समझाना चाहिये कि परीक्षा प्रश्न-पत्र खरीदना अनैतिक और हानिकारक क्यों है।
  - संभावित जोखिमों, जैसे: अनुशासनात्मक कार्रवाई, विश्वसनीयता की हानि तथा उसके कॅरियर की संभावनाओं को नुकसान, पर प्रकाश डालना चाहिये।
  - इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि ईमानदारी एक आधारभूत मूल्य है, जिससे किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।
- **नैतिक विकल्प सुझाना:** मदद के लिये कॉलेज प्रशासन या संकाय से संपर्क करने का सुझाव दिया जाना चाहिये।
  - कई संस्थानों में असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों के लिये प्रावधान हैं, जैसे शैक्षणिक रियायत, अतिरिक्त समय या वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - अध्ययन संसाधन साझा करके, अध्ययन समूह बनाकर या प्रभावी अध्ययन तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करके अमन को अपनी परीक्षाओं के लिये रणनीतिक तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता किया जाना चाहिये।
- **व्यावहारिक सहायता प्रदान करना:** यदि संभव हो तो, वैध उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये, जैसे: ट्यूशन, अध्ययन सामग्री, या ट्यूटर को नियुक्त करना।
  - यह नैतिक सीमाओं के भीतर उसकी मदद करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - अमन को उसके वित्तीय बोझ को कम करने के लिये अंशकालिक कार्य के अवसर या छात्रवृत्ति तलाशने में सहायता की जानी चाहिये।
- **निगरानी और समर्थन:** यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रियता बरतनी चाहिये कि अमन तनाव के दौरान अनैतिक कार्यों का सहारा न ले।
  - उसे प्रोत्साहन और आश्वासन देने के लिये नियमित रूप से उससे संपर्क बनाए रखना चाहिये।

निष्कर्ष:

नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये करुणा और ईमानदारी के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यद्यपि अमन के संघर्षों के साथ सहानुभूति रखना आवश्यक है, फिर भी अनैतिक व्यवहार में उसका समर्थन करने से उसके भविष्य तथा निष्पक्षता और ईमानदारी के मूल्यों दोनों से समझौता हो सकता है। उसे नैतिक विकल्पों की ओर निर्देशित करके और वास्तविक समर्थन प्रदान करके, आप नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए उसकी चुनौतियों को दूर करने में उसकी मदद कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उसकी सत्यनिष्ठा की रक्षा करता है बल्कि शैक्षणिक प्रणाली के भीतर ईमानदारी के महत्त्व को भी सुदृढ़ करता है।

प्रश्न : स्थानीय रोज़गार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक बढ़ते अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के समीप सात वर्ष पूर्व एक कपड़ा रंगाई इकाई स्थापित की गई थी। इस इकाई से हज़ारों लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है और इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया, लेकिन इसने अनुपचारित अपशिष्टों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

को पास की नदी में प्रवाहित कर जल को गंभीर रूप से संदूषित कर दिया। इससे क्षेत्र के वासियों में त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो गई हैं, भू-जल संदूषित हो गया है तथा आसपास के गाँवों में कृषि उत्पादकता को भी नुकसान पहुँचा है। बार-बार शिकायतों के बावजूद, स्थिति खराब होने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे किसानों, पर्यावरण समूहों और प्रभावित नागरिकों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शनों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर दिया है, जिससे सरकार को इकाई को बंद करने पर विचार करने के लिये मज़बूर होना पड़ा है।

हालाँकि, फैक्ट्री बंद होने से श्रमिकों की बड़ी संख्या में बेरोज़गारी बढ़ेगी और इससे उत्पादित रंगों पर निर्भर व्यवसायों पर असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यूनिट से जुड़े सहायक उद्योगों एवं ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, आपको संकट को हल करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने तथा आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिये स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं ?

(ख) इस स्थिति में नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या हैं ?

(ग) पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखते हुए संकट को हल करने के लिये तत्काल एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाइये।

परिचय:

यह मामला एक कपड़ा रंगाई फैक्ट्री पर आधारित है, जिसने स्थानीय रोज़गार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, लेकिन पास की नदी में अनुपचारित अपशिष्ट उत्सर्जित कर गंभीर जल संदूषण का कारण बना है। इससे स्वास्थ्य संकट, भू-जल संदूषण और कृषि उत्पादकता में कमी आई है, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

- यद्यपि फैक्ट्री को बंद करने से पर्यावरण सुरक्षा पुनर्स्थापित हो सकती है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और आर्थिक व्यवधान का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है।
- ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में चुनौतियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संवहनीयता और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर संकट का समाधान करने की हैं।

मुख्य भाग:

(क) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं ?

हितधारक	भूमिका/रुचि
निवासी (स्थानीय जनसंख्या)	जल-संदूषण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, जिसमें स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रभाव शामिल है।
किसान	सिंचाई और कृषि गतिविधियों के लिये नदी और भूजल पर निर्भर हैं।
कपड़ा रंगाई फैक्ट्री	यह न केवल संदूषण का स्रोत है, बल्कि स्थानीय रोज़गार और अर्थव्यवस्था में भी इसका प्रमुख योगदान है।
कपड़ा रंगाई फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक	रोज़गार और आजीविका के लिये कारखाने पर निर्भर हैं।
सहायक उद्योग	फैक्ट्री द्वारा उत्पादित रंगों पर निर्भर व्यवसाय (जैसे: परिधान निर्माता, छोटे व्यवसाय)।
पर्यावरण समूह/ कार्यकर्त्ता	पर्यावरण सुरक्षा और संधारणीय औद्योगिक प्रथाओं का समर्थन करना।
राज्य संदूषण नियंत्रण बोर्ड	औद्योगिक संदूषण की निगरानी और पर्यावरण मानकों को लागू करने के लिये नियामक प्राधिकरण।
किसान एवं नागरिक समूह	संदूषण के विरुद्ध संगठित विरोध प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग।
मीडिया	मुद्दे को उजागर करना और जनमत तैयार करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

(ख) इस स्थिति में नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या हैं ?

नैतिक चुनौतियाँ:

- **पर्यावरणीय नैतिकता बनाम आर्थिक विकास:** यह स्थिति औद्योगिक विकास (जो रोज़गार प्रदान करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है) तथा पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी के बीच संघर्ष को दर्शाती है।
  - फैक्ट्री को अपशिष्ट उत्सर्जन द्वारा प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देना संवहनीयता और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है।
- **लापरवाही के लिये जवाबदेही:** प्रदूषण मानदंडों के प्रति फैक्ट्री की उपेक्षा और नियमों को लागू करने में अधिकारियों की विफलता, कॉर्पोरेट एवं सरकारी जवाबदेही के संदर्भ में गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करती है।
  - यह लापरवाही पारदर्शिता, न्याय और सुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
- **भावी पीढ़ियों के अधिकार (अंतर-पीढ़ीगत समानता):** जल संसाधनों का संदूषण और कृषि भूमि को होने वाली क्षति, भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिये खतरा है, जो संधारणीय प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  - नैतिक नेतृत्व के लिये दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सार्वजनिक हितों की सुरक्षा हेतु कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सामाजिक चुनौतियाँ:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट:** अपशिष्टों के अनुपचारित निर्वहन से गंभीर जल संदूषण हो रहा है, जिससे त्वचा रोग, श्वसन संबंधी बीमारियाँ और भूजल संदूषण हो रहा है।
  - इससे स्थानीय आबादी, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमज़ोर समूहों पर स्वास्थ्य संबंधी कुप्रभाव पड़ा है।
- **कृषि उत्पादकता में कमी:** संदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है और कृषि उत्पादन कम हो गया है, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है तथा ग्रामीण सुभेद्यता बढ़ गई है।
  - यह मुद्दा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है।
- **सामुदायिक विरोध और अविश्वास:** अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण किसानों, पर्यावरण समूहों और नागरिकों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।
  - ये विरोध प्रदर्शन सरकार और जनता के बीच विश्वास के टूटने को उजागर करते हैं, जिससे सामाजिक अशांति एवं सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है।
- **प्रभाव की असमानता:** हालाँकि कारखाना के मालिक और व्यवसाय वित्तीय घाटे को सहन कर सकते हैं, लेकिन किसान, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक एवं ग्रामीण गरीब जैसे सीमांत समूह स्वास्थ्य, आजीविका व स्वच्छ जल तक पहुँच पर संदूषण के प्रभाव का खामियाज़ा भुगतते हैं।

प्रशासनिक चुनौतियाँ:

- **पर्यावरण विनियमों का प्रवर्तन:** संदूषण मानदंडों का अनुपालन न करने पर फैक्ट्री की निगरानी करने और उसे दंडित करने में विफलता, राज्य संदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विनियामक प्रवर्तन में खामियों को उजागर करती है।
- **प्रतिस्पर्द्धी प्राथमिकताओं में संतुलन:** ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में कई प्राथमिकताओं में संतुलन (जैसे: सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना और आर्थिक व्यवधानों को न्यूनतम करना) बनाए रखने की आवश्यकता है।
  - इसके लिये सावधानीपूर्वक, बहु-हितधारक वार्ता और नीति-निर्माण की आवश्यकता है।
- **संसाधन और क्षमता संबंधी बाधाएँ:** संधारणीय समाधानों (जैसे: अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करना या वैकल्पिक रोज़गार के अवसर प्रदान करना) को लागू करने के लिये वित्तीय संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता और समय की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

(ग) पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखते हुए संकट को हल करने के लिये तत्काल एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाइये।

तत्काल उपाय:

- **पर्यावरण अनुपालन को तत्काल लागू करना:** कपड़ा रंगाई इकाई को नदी में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन तत्काल बंद करने का निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पर्यावरण कानूनों (जैसे: जल (संदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974) के प्रावधानों के अनुसार, संदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर फैक्ट्री पर कठोर दंड लगाए जाने चाहिये।
- अस्थायी उपाय के रूप में दूषित नदी जल के उपचार के लिये गतिशील जल उपचार इकाइयाँ तैनात की जानी चाहिये या निजी एजेंसियों से काम लिया जाना चाहिये।

- **स्वास्थ्य संकट प्रबंधन:** संदूषण के कारण होने वाली त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियों के समाधान के लिये प्रभावित गाँवों में चिकित्सा शिविर स्थापित किये जाने चाहिये।
  - प्रभावित व्यक्तियों को रियायती या नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
  - तात्कालिक जल संकट को कम करने के लिये टैंकरों या सामुदायिक जल सुविधाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल वितरित किये जाने चाहिये।
- **तनाव कम करने के लिये हितधारकों को शामिल करना:** सभी हितधारकों- नागरिकों, किसानों, कारखाना मालिकों, श्रमिकों, पर्यावरण समूहों और सहायक व्यवसायों के साथ परामर्श किये जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सरकार की कार्य योजना समझाई जा सके और उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया जा सके।
  - प्रदर्शनकारियों को सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित किये जाने चाहिये तथा समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करके सार्वजनिक व्यवधान को समाप्त किये जाने चाहिये।
- **अल्पकालिक संदूषण नियंत्रण योजना लागू करना:** फैक्ट्री को अंतरिम समाधान के रूप में अस्थायी अपशिष्ट उपचार इकाइयाँ (ETU) स्थापित करने का निर्देश दिया जाना चाहिये।
  - राज्य संदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को दैनिक अनुपालन की निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये शामिल किया जाना चाहिये कि निर्वहन से पहले अपशिष्टों का उपचार किया जाए।
- **बेरोज़गारी संकट को रोकना:** कारखाना मालिकों को चेतावनी जारी की जानी चाहिये, तथा उन्हें इस शर्त पर परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिये कि वे संदूषण को नियंत्रित करने के लिये तत्काल कदम उठाएं।
  - मनरेगा जैसे सरकारी वित्तपोषित कार्यक्रमों के माध्यम से या पर्यावरण शोधन प्रयासों (जैसे: नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं) में प्रभावित श्रमिकों को नियोजित करके अस्थायी वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों का सृजन किया जाना चाहिये।

दीर्घकालिक उपाय:

- **स्थायी संदूषण नियंत्रण अवसंरचना को अनिवार्य बनाना:** सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि फैक्ट्री में पूर्ण पैमाने पर, अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ETP) स्थापित हो जिसमें शून्य तरल निर्वहन (ZLD) तकनीक हो। अनुपालन के लिये समयसीमा 6-12 महीने निर्धारित की जा सकती है।
  - निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कारखाने का समय-समय पर पर्यावरण ऑडिट कराए जाने की आवश्यकता है।
- **एक संधारणीय औद्योगिक मॉडल विकसित करना:** कारखाने के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये स्वच्छ उत्पादन तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल रंगों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **पर्यावरण पुनर्स्थापन:** दूषित नदी और भूजल को साफ करने के लिये एक स्थायी नदी प्रबंधन और पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।
  - इसमें नदी के किनारों से गाद निकालना, जैव-उपचार और वनरोपण शामिल हो सकता है।
  - मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में संवहनीय कृषि पद्धतियों (जैसे: फसल विविधीकरण, जैविक कृषि) को लागू किया जाना चाहिये।
- **कमज़ोर समूहों के लिये वैकल्पिक आजीविका:** कारखाना संचालन में कमी के कारण आय खोने के जोखिम वाले किसानों और श्रमिकों के लिये, कृषि प्रसंस्करण, मात्स्यिकी या नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के लिये तैयार करने हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये।
  - अतिरिक्त रोज़गार सृजन के लिये स्वच्छ, संधारणीय इनपुट पर निर्भर सहायक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदायों और उद्योगों को सतत् विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिये।
  - जल संरक्षण और संदूषण निगरानी प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

इस संकट को हल करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और आर्थिक व्यवधान को कम करता है। जल-संदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवा सहायता जैसे तात्कालिक उपायों को दीर्घकालिक समाधानों द्वारा पूरक होना चाहिये, जिसमें संधारणीय औद्योगिक प्रथाएँ एवं आजीविका विविधीकरण शामिल हैं। उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देकर, इस मुद्दे को समावेशी एवं सतत् विकास के अवसर में बदला जा सकता है।

प्रश्न : आप एक ऐसे शहर के पुलिस अधीक्षक हैं, जहाँ महिलाओं को लक्षित करते हुए ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में एक मामले ने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है: एक युवा महिला ने बार-बार ऑनलाइन उत्पीड़न और ब्लैकमेल किये जाने के बाद आत्महत्या कर ली है। जाँच में पता चला कि उत्पीड़न एक प्रमुख राजनेता के बेटे सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया गया था।

जब आप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं, तो आप पर जाँच को धीमा करने या बंद करने के लिये बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है। एक वरिष्ठ राजनेता आपसे सीधे संपर्क करता है, आपके कॅरियर की संभावनाओं का उल्लेख करता है और संकेत देता है कि यदि आप सहयोग करने से इंकार करते हैं, तो यह आपके पेशेवर विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

साथ ही, पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और कार्यकर्त्ताओं ने जवाबदेही की मांग करते हुए बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मीडिया घटनाक्रम पर गंभीरता से नज़र रख रहा है और जनता की भावना न्याय के पक्ष में है। हालाँकि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और यदि आप जाँच को सख्ती से आगे बढ़ाते हैं, तो आपको स्थानांतरित किये जाने का जोखिम हो सकता है।

(क) इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

(ख) पुलिस अधीक्षक के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्यों?

(ग) इस मामले को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए, लोक सेवा में ईमानदारी और जवाबदेही के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

परिचय:

यह मामला एक युवा महिला के आत्महत्या की हाई-प्रोफाइल जाँच के इर्द-गिर्द घूमता है, जो ऑनलाइन उत्पीड़न और ब्लैकमेल से प्रेरित है, जिसमें एक राजनेता का बेटा भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक के रूप में, जाँच को रोकने के लिये राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, साथ ही जनता का विरोध, मीडिया की जाँच और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पेशेवर जोखिमों और बाह्य प्रभावों के साथ न्याय दिलाने के लिये संतुलन इस दुविधा का मूल है।

मुख्य भाग:

(क) मामले में नैतिक दुविधाएँ

- **पीड़ित परिवार के लिये न्याय बनाम राजनीतिक दबाव**
  - अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिये निष्पक्ष और गहन जाँच सुनिश्चित करना कानून के शासन को बनाए रखने, पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने तथा जनता में विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिये आवश्यक है।
    - राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे झुकने से आपके कॅरियर की संभावनाएँ सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन इससे जवाबदेही कम हो जाती है तथा दंड से मुक्ति की एक अनैतिक मिसाल कायम होती है।
- **सार्वजनिक कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत कॅरियर की संभावनाएँ**
  - एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करना और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राजनीतिक दबाव की अवहेलना करने से स्थानांतरण, व्यावसायिक ठहराव या प्रशासनिक पदानुक्रम में प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

- **कानून का शासन बनाम सत्ता का दुरुपयोग**
  - जाँच जारी रखना कानून के समक्ष समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही इसमें शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हों।
    - राजनीतिक प्रभाव के आगे झुकने से अन्याय की संस्कृति कायम रह सकती है, जहाँ शक्तिशाली लोग परिणामों से बचते हैं।
- **सार्वजनिक हित बनाम राजनीतिक सुविधा**
  - ऑनलाइन उत्पीड़न के बढ़ते खतरे से निपटना और न्याय सुनिश्चित करना समाज के लिये एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करेगा।
    - अल्पकालिक राजनीतिक सद्भाव की अनदेखी करने से प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ टकराव से बचा जा सकता है, लेकिन इससे जनता का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा।
- **व्यावसायिक ईमानदारी बनाम संस्थागत दबाव**
  - अपने नैतिक कर्त्तव्य को निभाने के लिये बाह्य दबावों की परवाह किये बिना साहस और निष्पक्षता के साथ कार्य करना आवश्यक है।
    - दबाव के आगे झुकना राजनीतिक वर्ग के हितों के अनुरूप हो सकता है, लेकिन इससे न्याय के रक्षक के रूप में प्रशासनिक भूमिका से समझौता होगा।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बनाम प्रतिशोध का डर**
  - मामले की सक्रिय जाँच और सार्वजनिक संवाद कायम रखने से पुलिस बल में विश्वास मज़बूत होता है।
    - न्याय के लिये आक्रामक प्रयास के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत या व्यावसायिक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें दरकिनार किया जाना या दंडित किया जाना शामिल है।
- **सार्वजनिक भावना को संतुलित करना बनाम प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल का पालन करना**
  - व्यापक विरोध और जन आक्रोश का जवाब देने से न्याय प्रणाली में विश्वास दृढ़ होता है।
    - मामले में पूर्वाग्रह से बचने के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मीडिया के दबाव के बावजूद जाँच निष्पक्ष और प्रक्रियात्मक बनी रहे

(ख) पुलिस अधीक्षक के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्यों?

- **कानूनी रूप से मज़बूत मामला बनाना**
  - मामले को सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक निपटाने के लिये सक्षम एवं विश्वसनीय अधिकारियों के साथ एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया जाना चाहिये। इससे साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम से कम होता है।
  - डिजिटल फुटप्रिंट, चैट रिकॉर्ड और CCTV फुटेज सहित पुख्ता और अकाट्य सबूत इकट्ठा किया जाना चाहिये, ताकि ऐसा केस बनाया जा सके जो राजनीतिक एवं न्यायिक जाँच का सामना कर सके।
    - क्यों: पुख्ता सबूतों पर आधारित केस को खारिज़ करने या इसमें हेरफेर के अवसर सीमित होते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दबाव में भी।
- **पारदर्शिता के साथ उचित प्रक्रिया का पालन करना**
  - प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि गिरफ्तारी और तलाशी जैसे सभी प्रक्रियात्मक कदम कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
  - जनता के साथ पारदर्शिता बनाए रखते हुए संस्थागत निगरानी सुनिश्चित करने के लिये उच्च अधिकारियों और न्यायालय को नियमित अपडेट प्रदान किया जाना चाहिये।
    - क्यों: उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन पक्षपात या प्रक्रियागत चूक के आरोपों से बचाता है, जिससे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जाँच को बंद करने की संभावना कम हो जाती है।
- **मीडिया और जनमत का रणनीतिक लाभ उठाना**
  - मामले की अद्यतन जानकारी मीडिया को सावधानीपूर्वक दी जानी चाहिये, तथा सनसनी फैलाए बिना विधि और न्याय के शासन पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- राजनीतिक हस्तक्षेप के लिये जन भावना और विरोध का प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे विधि- व्यवस्था को बनाए रखने में न्याय के महत्त्व का संकेत मिले।
  - क्यों: जनता का दबाव राजनीतिक हस्तक्षेप को महंगा बना सकता है, क्योंकि जब लोग प्रभावशाली व्यक्तियों पर दबाव डालते हैं, तो उनसे जवाबदेही की उम्मीद बढ़ जाती है।

- **आवश्यकतानुसार न्यायिक निगरानी का सहारा लेना**
  - यदि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, तो न्यायिक निगरानी की मांग की जानी चाहिये, जैसे कि उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जाँच बिना किसी बाधा के आगे बढ़े।
  - राजनीतिक या संस्थागत दबावों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिये।
    - क्यों: न्यायिक निगरानी निष्पक्षता प्रदान करती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये संभावित प्रतिक्रिया से भी रक्षा करती है।
- **राजनीतिक दबाव से निपटते समय पेशेवर तटस्थता बनाए रखना**
  - वरिष्ठ राजनेता को दृढ़तापूर्वक लेकिन सम्मानपूर्वक कानूनी और सार्वजनिक बाधाओं के बारे में समझाया जाना चाहिये, जिनके कारण मामले को दबाना असंभव है।
  - वरिष्ठों से संस्थागत समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिये, स्थिति को व्यक्तिगत अवज्ञा के बजाय कानूनी और प्रशासनिक मामले के रूप में देखा जाना चाहिये।
    - क्यों: युक्ति और दृढ़ता का संतुलन प्रत्यक्ष प्रतिशोध के जोखिम को कम करता है साथ ही न्याय के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाने में सहायक सिद्ध होता है।
- **पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करना**
  - पीड़ित के परिवार को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिये, यदि आवश्यक हो तो पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिये तथा जाँच की प्रगति के बारे में नियमित जानकारी दी जानी चाहिये।
  - जाँच में जनता का विश्वास बनाने के लिये नागरिक समाज संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया जाना चाहिये।
    - क्यों: पीड़ित परिवार का समर्थन करने से जनता का विश्वास बढ़ता है और न्याय सुनिश्चित होता है, जिससे जनता की हताशा के हानिकारक आख्यानों में बदलने का जोखिम कम होता है।
- **पेशेवर परिणामों के लिये तैयार रहना**
  - स्थानांतरित या दरकिनार किये जाने की संभावना को स्वीकार किया जाना चाहिये और इसे अपने कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये एक पेशेवर जोखिम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।
  - मामले में की गई सभी कार्रवाइयों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिये ताकि बाद में सवाल उठने पर प्रक्रियात्मक ईमानदारी का प्रदर्शन किया जा सके।
    - क्यों: न्याय के लिये सैद्धांतिक रुख अपनाने से कॅरियर का अल्पकालिक जोखिम हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक पेशेवर विश्वसनीयता बढ़ती है।

इस दृष्टिकोण का तर्क:

इस कार्यवाही से व्यावहारिकता और नैतिकता में संतुलन स्थापित होता है:

- **विधि का शासन प्रथम:** कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए न्याय किया जाता है, तथा हस्तक्षेप की गुंजाइश को न्यूनतम रखा जाता है।
- **न्यूनतम जोखिम:** चतुराईपूर्ण संचार, न्यायिक निगरानी और सार्वजनिक समर्थन के माध्यम से राजनीतिक परिणामों को कम किया जाता है।
- **दीर्घकालिक विश्वसनीयता:** अपने कर्त्तव्य के अनुरूप कार्य करने से व्यक्तिगत और संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ती है, भले ही अल्पकालिक चुनौतियाँ हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

(ग) लोक सेवा में ईमानदारी और जवाबदेही का महत्त्व

- **लोक सेवा में ईमानदारी का महत्त्व**
  - **निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना**
    - मामले में: जाँच को दबाने के लिये राजनीतिक दबाव के बावजूद, अधिकारी की ईमानदारी केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेगी। इससे पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित होता है और विधि का शासन सुदृढ़ होता है।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: ईमानदारी सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हों।
  - **सार्वजनिक विश्वास का निर्माण**
    - मामले में: गहन जाँच के बावजूद भी न्याय के प्रति अधिकारी की दृढ़ प्रतिबद्धता पुलिस बल में विश्वास बढ़ाती है तथा जनता को आश्वस्त करती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: सार्वजनिक संस्थाओं को वैधता नागरिकों के विश्वास से मिलती है, जिसे केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब अधिकारी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
  - **संस्थागत मूल्यों की रक्षा**
    - मामले में: अनैतिक मांगों का विरोध करके, अधिकारी विधिक प्रवर्तन की विश्वसनीयता की रक्षा करता है तथा न्याय के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता है।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: ईमानदारी का एक भी उल्लंघन पूरे संस्थागत विश्वसनीयता को नष्ट कर सकता है तथा शासन में जनता का विश्वास कम कर सकता है।
- **लोक सेवा में जवाबदेही का महत्त्व**
  - **कानून के शासन को कायम रखना**
    - मामले में: जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि राजनेता के बेटे सहित प्रभावशाली व्यक्तियों पर भी अन्य नागरिकों के समान ही कानूनी प्रक्रियाएँ लागू होंगी।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: सभी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराना कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देता है, भविष्य में उल्लंघनों को रोकता है तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को दृढ़ करता है।
  - **जनता की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया**
    - मामले में: जनता का विरोध ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने में न्याय और पारदर्शिता की मांग को उजागर करता है। अधिकारी को स्पष्ट संचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये जिम्मेदारी से काम करना चाहिये।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और ऐसे मामलों में निर्णायक कार्रवाई करने में विफलता से न्याय प्रणाली के प्रति व्यापक मोहभंग हो सकता है।
  - **सत्ता के दुरुपयोग से बचना**
    - मामले में: जवाबदेही सुनिश्चित करने का अर्थ है अभियुक्तों को बचाने के लिये राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और निष्पक्ष जाँच प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
    - महत्त्वपूर्ण क्यों: जवाबदेही नियंत्रण और संतुलन बनाती है, भ्रष्टाचार, अधिकार के दुरुपयोग व मनमाने निर्णय लेने को रोकती है।

निष्कर्ष:

यह मामला सरकारी अधिकारियों की कानून के शासन को बनाए रखने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, यहाँ तक कि भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद भी। पीड़िता और उसके परिवार के लिये न्याय सुनिश्चित करना, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना तथा पेशेवर ईमानदारी बनाए रखना न केवल जनता का प्रशासन में विश्वास दृढ़ कर सकता है बल्कि जवाबदेही के लिये एक मिसाल भी कायम कर सकता है।

प्रश्न : आरव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है जो एक दूरस्थ ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में कार्यरत है। उसकी पत्नी मीरा एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। उनकी एक छह वर्ष की बेटी है, जिसकी मुख्य रूप से देखभाल उनके (आरव और मीरा) कामकाज़ी जीवन के कारण दादी-नानी और एक घरेलू सहायिका ही करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एक शाम, आरव दिन भर के कार्य के बाद ऑफिस से निकलने ही वाला होता है कि उसे मुख्य सचिव का एक ज़रूरी फोन आता है। ज़िले के बाहरी इलाके में किसी फैक्ट्री में एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई है, जिसमें गंभीर संख्या में लोग हताहत हुए हैं। बचाव कार्यों की देखरेख और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ समन्वय के लिये उसकी तत्काल उपस्थिति की आवश्यकता है।

उसी समय, उसे एक और कॉल आती है—इस बार उसकी पत्नी से; जिसमें उसे बताया जाता है कि उनकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है और उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। घर पर उसकी उपस्थिति उसके परिवार को भावनात्मक सहारा प्रदान करेगी, विशेषकर इसलिये क्योंकि मीरा की अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी होनी है।

आरव अपने पेशेवर कर्त्तव्य के बीच दुविधा में उलझा हुआ है, जिसके तहत कई लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली विपत्ति से मोचन के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर एक पति और पिता के रूप में उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। उसे तय करना है कि इस स्थिति में उसकी प्राथमिकता क्या है।

(क) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कीजिये।

(ख) यदि आप आरव की जगह होते तो इस स्थिति को कैसे संभालते?

(ग) इस मामले के संदर्भ में, लोक सेवकों के लिये बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने में संस्थागत तंत्र के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

परिचय:

यह मामला सिविल सेवकों के सामने कार्य-जीवन संतुलन की एक सामान्य दुविधा को प्रस्तुत करता है, जहाँ ज़िला मजिस्ट्रेट आरव एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का प्रबंधन करने के अपने पेशेवर कर्त्तव्य और अपनी अचानक बीमार बेटी की देखभाल करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच फँस जाता है।

- उनके निर्णय के नैतिक, प्रशासनिक और भावनात्मक निहितार्थ हैं तथा यह संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो सिविल सेवकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता किये बिना अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाता है।

मुख्य भाग:

(क) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं का अभिनिर्धारण कर चर्चा कीजिये।

- **व्यावसायिक कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत दायित्व:** ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आरव को एक जानलेवा औद्योगिक दुर्घटना में बचाव कार्यों की देखरेख करने का कार्यभार सौंपा गया है।
  - हालाँकि, एक पिता के रूप में उनका नैतिक दायित्व है कि वे अपनी बीमार बेटी के लिये उपस्थित रहें, विशेषकर अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में।
- **सार्वजनिक हित बनाम पारिवारिक कल्याण:** दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए हैं तथा उनके त्वरित हस्तक्षेप से जान बच सकती है और आगामी विषम परिस्थिती को रोका जा सकता है।
  - दूसरी ओर, उनकी बेटी की अचानक बीमारी के कारण उनकी भावनात्मक और उपस्थिति आवश्यक हो गई है, जो परिवार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **उपयोगितावाद बनाम कर्त्तव्य-नैतिकता:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण औद्योगिक विपत्ति के प्रबंधन द्वारा व्यापक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने पर आधारित है।
  - हालाँकि, एक कर्त्तव्य-शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एक पिता के रूप में उसके नैतिक कर्त्तव्य पर बल देता है, जहाँ उसके बच्चे की तत्काल आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।
- **प्रत्यायोजन बनाम प्रत्यक्ष भागीदारी:** आरव अपनी बेटी की स्वास्थ्य आपातस्थिति का ध्यान रखते हुए आपदा प्रबंधन का कार्य अपने अधीनस्थों को सौंप सकता है।
  - इसके विपरीत, संकट प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी से अधिक कुशल और प्रभावी आपदा मोचन हो सकता है, जिससे प्रशासन में जनता का विश्वास दृढ़ होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भावनात्मक निर्णय बनाम तर्कसंगत निर्णय:** एक पिता के रूप में उसकी भावनात्मक प्रवृत्ति उसे संकट में अपनी बेटी के साथ रहने के लिये प्रेरित करती है तथा उसकी सुविधा और भलाई सुनिश्चित करती है।
  - हालाँकि, तर्कसंगत निर्णय लेने से यह पता चलता है कि एक लोक सेवक के रूप में, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी औद्योगिक संकट का प्रबंधन करना है जहाँ जीवन दाँव पर है।

(ख) यदि आप आरव की जगह होते तो इस स्थिति को कैसे संभालते?

- **यदि मैं आरव की जगह होता/होती, तो:**

मैं एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता, जो समय की कमी, कार्यभार सौंपने की संभावनाओं और प्रत्येक स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कुशल संकट प्रबंधन एवं पारिवारिक सहयोग दोनों को सुनिश्चित करता।

1. तत्काल कार्रवाई:

- **दोनों स्थितियों की गंभीरता का आकलन:** औद्योगिक दुर्घटना (हताहतों की संख्या, आग का खतरा, जारी जोखिम) और मेरी बेटी की स्थिति (लक्षण, तत्काल चिकित्सा आवश्यकताएँ) के बारे में शीघ्रता से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी।
- **तात्कालिकता के आधार पर त्वरित निर्णय लेना:** चूँकि औद्योगिक आपदा में कई लोग हताहत हुए हैं और इसके लिये नेतृत्व की आवश्यकता होती है, इसलिये यह घर पर मेरी सशरीर उपस्थिति से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - हालाँकि, मेरी बेटी का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है और उसके लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. परिवार की भलाई सुनिश्चित करना:

- **किसी विश्वसनीय पारिवारिक डॉक्टर को बुलाना:** घर पर बाल रोग विशेषज्ञ को बुलाए जाने या मेरी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिये रसद की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता कि मेरे माता-पिता/घरेलू सहायक इसका समन्वय करें।
- **अपनी पत्नी से बात करना:** मीरा को यह बताया जाना आवश्यक है कि मैंने व्यवस्था कर दी है और उसे आश्वस्त भी करता कि हमारी बेटी सुरक्षित है।
  - इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करता कि सर्जरी के दौरान उसकी सहायता करने के लिये उसके सहायक स्टाफ को स्थिति के बारे में जानकारी हो।
- **किसी विश्वसनीय मित्र या रिश्तेदार को शामिल करना:** यदि संभव हो, तो किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र को घर पर उपस्थित रहने के लिये कहता ताकि वह अतिरिक्त भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सके।

3. औद्योगिक स्थल पर संकट प्रबंधन:

- **प्रारंभिक मोचन का कार्य वरिष्ठ अधिकारी को सौंपना:** अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट (ADM) या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को घटनास्थल पर पहुँचने और बचाव हेतु समन्वय शुरू करने का निर्देश देने की आवश्यकता है।
- **अधिकारियों को तत्काल आदेश जारी करना:** पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा मोचन बल को कार्रवाई के लिये बुलाए जाने की आवश्यकता है। सुनिश्चित किया जाता कि एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँचें।
- **मार्ग में ब्रीफिंग:** दुर्घटना स्थल पर जाते समय, दोनों स्थितियों– हताहतों की संख्या, राहत प्रयास और मेरी बेटी की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक है।

4. प्रभावी ज़मीनी नेतृत्व:

- **बचाव कार्यों का पर्यवेक्षण करना:** उचित चिकित्सा सहायता, पीड़ितों की निकासी सुनिश्चित की जाती और संभावित खतरों (गैस रिसाव, विस्फोट, आदि) को नियंत्रित किया जाता।
- **मीडिया और सार्वजनिक संचार का उपयोग करना:** व्यवस्था बनाए रखने और गलत सूचना को रोकने के लिये आधिकारिक बयान जारी किया जाना आवश्यक है।
- **पारिवारिक स्थिति की निगरानी जारी रखना:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि मेरी बेटी को उचित देखभाल मिल रही है, समय-समय पर घर से अपडेट लेना आवश्यक है।

5. स्थिति सामान्य होने के बाद घर लौटना:

- सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन दल कार्यभार संभालें: एक बार जब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी और विशेषज्ञ (अग्निशमन दल, चिकित्सा दल, औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी) कार्यभार संभाल लेंगे, तो मैं अपने अधीनस्थों को आगे की जिम्मेदारियाँ सौंप दूंगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अपनी बेटी के साथ रहने के लिये घर लौटना:** यह सुनिश्चित करने के बाद कि औद्योगिक दुर्घटना स्थल स्थिर हो गया है, मैं अपनी बेटी की व्यक्तिगत रूप से जाँच करने, उसे भावनात्मक समर्थन प्रदान करने तथा उसकी सर्जरी के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने के लिये घर लौटूंगा।

(ग) इस मामले के संदर्भ में, लोक सेवकों के लिये बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने में संस्थागत तंत्र के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

- **कार्य-परिवार संघर्षों को कम करना:** लोक सेवकों को प्राय: ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है और प्राय: ऐसा परिवार के साथ समय बिताने की कीमत पर होता है।
  - आपातकालीन सहायता प्रणालियों जैसी व्यवस्थाएँ उन्हें आधिकारिक जिम्मेदारियों से समझौता किये बिना व्यक्तिगत संकटों का प्रबंधन करने में मदद कर सकती हैं।
- **प्रतिनिधिमंडल और समर्थन प्रणालियों को सुदृढ़ करना:** एक अच्छी तरह से काम करने वाना प्रशासन पदानुक्रमिक प्रतिनिधिमंडल पर निर्भर करती है, जहाँ जिम्मेदारियाँ प्रभावी ढंग से वितरित की जाती हैं।
  - अधीनस्थों (ADM, SDM, आपातकालीन मोचन दल) को सशक्त बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि एक अधिकारी पर अत्यधिक बोझ न पड़े और आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्तिगत आपातकालीन स्थितियों पर ध्यान दे सके।
- **ससमय संकट प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ई-समीक्षा और कमांड सेंटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक सेवकों को आपात स्थितियों में दूर से निगरानी और समन्वय करने में सक्षम बना सकते हैं।
  - इस मामले में तो नहीं, लेकिन कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल-टाइम डैशबोर्ड और स्वचालित रिपोर्टिंग से भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता कम हो सकती है तथा पूर्ण व्यक्तिगत त्याग के बिना दक्षता सुनिश्चित हो सकती है।
- परिवार सहायता नीतियों को संस्थागत बनाना– परिसर में आवास, डेकेयर सेंटर तथा सिविल सेवकों और उनके परिवारों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे प्रावधान तनाव को कम कर सकते हैं।
  - गैर-संकट स्थितियों में अधिकारियों के लिये लचीली कार्य नीतियाँ, शासन को प्रभावित किये बिना पारिवारिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण पहल:** उच्च तनाव वाले व्यवसायों से प्राय: बर्नआउट, मानसिक असंतुलन और रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं।
  - तनाव प्रबंधन कार्यशालाएँ, परामर्श सेवाएँ और सहकर्मी सहायता नेटवर्क जैसी सरकारी पहल, सिविल सेवकों को व्यक्तिगत सामंजस्य बनाए रखते हुए दबाव से निपटने में मदद कर सकती हैं।
    - उदाहरण के लिये, स्कैंडिनेवियाई देशों में, सिविल सेवकों के लिये व्यापक डेकेयर प्रणालियाँ संस्थागत तंत्र का हिस्सा हैं जो कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करती हैं।
- **नैतिक और व्यावसायिक दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाना:** संस्थागत तंत्र में स्पष्ट नैतिक ढाँचे शामिल होने चाहिये जो अधिकारियों को कर्त्तव्य और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करें।
  - प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ एक ऐसी संस्कृति बनाने में मदद करेंगी जहाँ पेशेवर कर्त्तव्यों के साथ-साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का भी सम्मान किया जाएगा।

निष्कर्ष

आरव की दुविधा संस्थागत तंत्र की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है जो लोक सेवकों को बिना किसी समझौते के पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने में सक्षम बनाती है। प्रभावी प्रतिनिधिमंडल, तकनीकी एकीकरण, पारिवारिक सहायता नीतियों और मानसिक कल्याण पहलों की एक संरचित प्रणाली प्रशासन को व्यक्तिगत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संकटों का कुशलतापूर्वक मोचन करने में सहायता कर सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "लोक सेवा में योग्यता के बिना करुणा, कल्याण की बजाय अधिक हानि का कारण बनती है।" शासन और नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- करुणा, क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- शासन में करुणा की महत्ता को बताते हुए योग्यता के बिना करुणा के जोखिमों पर प्रकाश डालिये।
- योग्यता की उपेक्षा के परिणामों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

करुणा सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करती है, जबकि योग्यता समाधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की क्षमता की गारंटी देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI), सहानुभूति, आत्म-जागरूकता और व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता शासन में योग्यता के बिना करुणा के नुकसान से बचने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

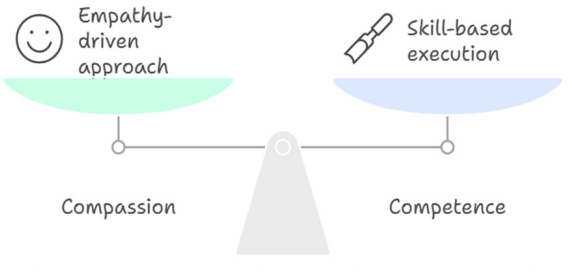

Balancing Compassion and Competence in Public Service

मुख्य भाग:

शासन में करुणा का महत्त्व

- **विश्वास का निर्माण:** करुणापूर्ण नीतियाँ नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास का निर्माण करने में मदद करती हैं।
  - निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता को दर्शाता है।
- **सुभेद्यता से निपटना:** सहानुभूति के साथ तैयार की गई नीतियाँ सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचती हैं।
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रदान की।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना:** दयालु शासन सीमांत समूहों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
  - ***"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"*** जैसी पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
- **नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** लोग करुणापूर्ण शासन के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं।
  - स्वच्छ भारत अभियान में जन-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

योग्यता के बिना करुणा के जोखिम

- **अकुशल कार्यान्वयन:** करुणापूर्ण लेकिन अनुचित तरीके से नियोजित पहल वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहती हैं।
  - अनियमित ऋण संबंधी छूट/अधित्यजन से किसानों की मूल समस्याओं का समाधान किये बिना राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है।
- **अनजाने में नुकसान:** दूरदर्शिता या विशेषज्ञता की कमी के कारण भावनात्मक निर्णय नुकसान पहुँचा सकते हैं।
  - निशुल्क बिजली योजनाओं के कारण पंजाब में भू-जल स्तर में गिरावट आई।
- **संसाधनों का अनुचित आवंटन:** संसाधनों को भावनात्मक रूप से प्रेरित लेकिन असंवहनीय नीतियों के साथ आवंटित कर दिया जाता है।
  - सुधारों के बिना अत्यधिक सब्सिडी से राजकोषीय स्वास्थ्य कज़ोर होता है।
- **उत्तरदायित्व का क्षरण:** क्षमता के बिना करुणा पर अत्यधिक ज़ोर निर्भरता को बढ़ावा देता है, तथा व्यक्तिगत एजेंसी को कम करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- विकास योजनाओं के बिना आपदा क्षेत्रों में लगातार सहायता प्रदान करने से स्थानीय आत्मनिर्भरता में बाधा उत्पन्न होती है।

योग्यता की उपेक्षा के परिणाम

- **हानिकारक परिणाम:** भावनात्मक लेकिन अनुचित तरीके से क्रियान्वित हस्तक्षेप से जनता में अविश्वास बढ़ सकता है।
  - ***उदाहरण:*** आपदा के बाद राहत पैकेज उपलब्ध कराने में विफलता से विरोध प्रदर्शन हो सकता है जिससे समुदाय की पीड़ा बढ़ सकती है तथा स्थिति और भी बदतर हो सकती है।
- **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:** यदि क्रियान्वयन के अभाव में करुणामयी वादे विफल हो जाते हैं तो नागरिकों का सरकार पर विश्वास समाप्त हो जाता है।
  - ***उदाहरण:*** संकट के दौरान बेरोज़गारी लाभ का विलंबित वितरण आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है।

शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

- **आत्म-जागरूकता:** तर्कसंगत निर्णय लेने के लिये अपने पूर्वाग्रहों और भावनात्मक आवेगों को पहचानना।
  - ***उदाहरण:*** एक लोक सेवक स्थायी कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिये लोकलुभावन दबाव का विरोध कर रहा है।
- **सहानुभूति के साथ व्यावहारिकता:** दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों की देखभाल में संतुलन स्थापित करना।
  - ***उदाहरण:*** आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में सहानुभूति और प्रदर्शन निगरानी के माध्यम से लक्षित विकास सुनिश्चित किया जाता है।
- **संघर्ष समाधान:** सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ विवादों का प्रबंधन करना।
  - ***उदाहरण:*** किसानों के विरोध प्रदर्शन को सहानुभूति और सक्षमता के साथ हल करने में प्रभावी वार्ता।
- **पारदर्शी संचार:** स्पष्ट और ईमानदार जुड़ाव के माध्यम से विश्वास का निर्माण।
  - ***उदाहरण:*** बाढ़ के दौरान केरल के पारदर्शी आपदा प्रबंधन ने करुणा और प्रणालीगत प्रतिक्रिया को संतुलित किया।

निष्कर्ष:

योग्यता के बिना करुणा से लोक सेवा में अकुशलता और हानि का जोखिम रहता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस अंतर को कम करती है, संतुलित, प्रभावी शासन को सक्षम बनाती है जो नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए स्थायी परिणाम सुनिश्चित करती है।

प्रश्न : "नैतिक साहस के लिये अक्सर संस्थागत निष्ठा और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाना या चयन करना आवश्यक होता है।" प्रशासनिक नैतिकता के संदर्भ में इस विचार पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक साहस को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- संस्थागत निष्ठा और सार्वजनिक हित में अंतर स्पष्ट कीजिये।
- संस्थागत निष्ठा के बजाय सार्वजनिक हित के चयन में चुनौतियों की चर्चा करते हुए प्रशासनिक नैतिकता में नैतिक साहस के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- संस्थागत निष्ठा और सार्वजनिक हित में संतुलन के उपाय बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक साहस नैतिक रूप से कार्य करने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की क्षमता है, भले ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लोक सेवकों के लिये, इसमें प्राय: संगठनात्मक मानदंडों और आदेशों को बनाए रखने वाली संस्थागत निष्ठा तथा सार्वजनिक हित के बीच संघर्ष शामिल होता है, जो सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है।

मुख्य भाग:

संस्थागत निष्ठा और सार्वजनिक हित

- **संस्थागत निष्ठा:** संगठन के नियमों, नीतियों और निर्देशों के प्रति निष्ठा।
  - ***उदाहरण:*** एक लोक सेवक/अधिकारी व्यक्तिगत आपत्तियों के बावजूद सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करता है।
- **सार्वजनिक हित:** सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने तथा न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***उदाहरण:*** सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा के लिये किसी सिविल सेवक द्वारा एक सरकारी योजना में भ्रष्टाचार को उजागर करना।

- **दोनों के बीच संघर्ष:** नैतिक दुविधाएँ तब उत्पन्न होती हैं जब संस्थागत निष्ठा जनता के कल्याण के विपरीत होती है।
  - ***उदाहरण:*** व्यावसायिक परिणामों के जोखिम के बावजूद संस्थागत कदाचारों पर मुखबिरी करना।

संस्थागत निष्ठा के बजाय सार्वजनिक हित को चुनने में चुनौतियाँ

- **व्यावसायिक परिणामों का जोखिम:** संस्थागत आदेशों के विरुद्ध कार्य करने पर निलंबन, पद-अवनति या उत्पीड़न हो सकता है।
  - ***उदाहरण:*** राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे को भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण निशाना बनाया गया।
- **वरिष्ठों का दबाव:** नौकरशाहों को आदेशों का पालन करने के लिये दबाव का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वह अनैतिक हो।
  - ***उदाहरण:*** वाटरगेट कांड ने प्रशासन में निहित नैतिक संघर्ष को उजागर किया।
- नियमों में अस्पष्टता: संस्थागत संरचना में नैतिक सीमाओं को हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिससे निर्णय लेना जटिल हो जाता है।
  - ***उदाहरण:*** मुखबिर के संरक्षण का अभाव प्राय: नैतिक कार्यों में बाधा डालता है।
- **सामाजिक और राजनीतिक परिणाम:** संस्थागत मानदंडों के विरुद्ध कार्य करने पर राजनीतिक या सामाजिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
  - ***उदाहरण:*** कथित 'सत्ता-विरोधी' कार्यों के विरुद्ध सार्वजनिक विरोध या आलोचना।

प्रशासनिक नैतिकता में नैतिक साहस का महत्त्व

- **सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा:** सार्वजनिक हित को बनाए रखने से सार्वजनिक धन और संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाता है।
  - ***उदाहरण:*** हरियाणा में भूमि आवंटन में अनियमितताओं को उजागर करने के लिये अशोक खेमका का प्रयास।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** नैतिक कार्य जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाते हैं।
  - ***उदाहरण:*** IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने संस्थागत विलंब के बावजूद जनजातीय कल्याण के लिये एक सड़क परियोजना के लिये जन-वित्तपोषण किया।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को दृढ़ करना:** सार्वजनिक हित में कार्य करने से निष्पक्षता, न्याय और समानता को बल मिलता है।
  - ***उदाहरण:*** यह सुनिश्चित करना कि कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सीमांत समुदायों को उनके अधिकार मिलें।
- **मिसाल कायम करना:** नैतिक साहस के कार्य भविष्य के लोक सेवकों को अनुपालन की तुलना में नैतिकता को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित करते हैं।
  - ***उदाहरण:*** दिल्ली मेट्रो परियोजना में पेशेवर ईमानदारी के प्रति ई. श्रीधरन की प्रतिबद्धता।

संस्थागत निष्ठा और सार्वजनिक हित में संतुलन

- **लोक सेवकों के लिये नैतिक प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिक दुविधाओं के समाधान पर मामले के अध्ययन को शामिल करना।
- **व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण को दृढ़ करना:** संस्थागत कदाचार को उजागर करने वालों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना:** नेताओं को संस्थागत लक्ष्यों को लोक कल्याण के साथ संरेखित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - ***उदाहरण:*** स्कैंडिनेवियाई देशों में सुशासन प्रथाएँ।
- **पारदर्शी तंत्र का निर्माण:** असहमति को दंडित किये बिना सार्वजनिक हित के अनुरूप निर्णय सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत सुधार।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिक साहस के लिये प्राय: संस्थागत निष्ठा और जनहित के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है। नैतिक लोक सेवकों को संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिये प्रयास के साथ जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस तनाव से निपटना चाहिये। नैतिक साहस को बढ़ावा देकर, प्रशासन वास्तव में व्यापक कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : "लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण के लिये केवल नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक की आवश्यकता है।" चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- लैंगिक संवेदीकरण को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- नीतिगत बदलावों से परे लैंगिक संवेदीकरण के महत्त्व को बताइये।
- नीतिगत कार्यढाँचे से परे आवश्यक उपायों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण का तात्पर्य शासन प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता, समझ और उत्तदायित्व सुनिश्चित करना है। यद्यपि आरक्षण और कानून जैसे नीतिगत परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हैं, वास्तविक परिवर्तन के लिये गहरे सामाजिक मानदंडों एवं कार्यस्थल संस्कृति में सुधार तथा प्रणालीगत चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

नीतिगत परिवर्तनों से परे लैंगिक संवेदीकरण का महत्त्व:

- **बदलती मानसिकता और दृष्टिकोण:** स्थानीय शासन में महिलाओं के लिये आरक्षण (73वें और 74वें संशोधन) को प्राय: पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पुरुष रिश्तेदारों (जैसे: ***प्रधानपति***) द्वारा छद्म नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है।
  - **कार्यस्थल संस्कृति में सुधार:** कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण-POSH) अधिनियम जैसी नीतियों के बावजूद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील सेवा वितरण को बढ़ाना:** लोक सेवकों में लैंगिक संवेदीकरण के बिना केवल नीतियों से ही समावेशी सेवा वितरण सुनिश्चित नहीं हो सकता है।
  - **उदाहरण:** न्याय और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ावा देने वाली नीतियों के बावजूद महिलाओं को पुलिस स्टेशनों या स्वास्थ्य केंद्रों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- **अंतर्विभागीय भेदभाव को समाप्त करना:** लिंग संबंधी नीतियाँ प्राय: सीमांत समुदायों (जैसे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक) की महिलाओं के समक्ष आने वाली जटिल चुनौतियों को नजरअंदाज़ कर देती हैं।
  - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये प्रावधानों के बावजूद, अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी के कारण भूमि अधिकारों या आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

नीतिगत कार्यढाँचे से परे आवश्यक उपाय:

- सक्षम लोक प्राधिकारियों के लिये लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रशिक्षण
  - प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व अन्य लोक सेवकों के लिये प्रवेश और सेवा दोनों स्तरों पर नियमित रूप से लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।
  - वास्तविक जीवन परिदृश्यों, अचेतन पूर्वाग्रह और लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रभावी शासन के केस स्टडीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण कंटेंट विकसित किये जाने चाहिये।
- **सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता:** लैंगिक समानता तथा शासन में महिलाओं की भूमिका के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिये गैर सरकारी संगठनों एवं स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से ज़मीनी स्तर पर अभियान आयोजित किये जाने चाहिये।
  - सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज़मीनी स्तर की महिला कार्यकर्त्ताओं (जैसे, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी) को सशक्त बनाया जाना चाहिये, जो उनके योगदान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
- **प्रशासन में महिलाओं के लिये नेतृत्व विकास:** मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये जहाँ वरिष्ठ महिला अधिकारी युवा महिला सिविल सेवकों को सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।
  - महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका के लिये तैयार करने हेतु नेतृत्व और परक्रामण कौशल कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिये।
  - प्रशासन में परिवर्तन लाने वाली महिला नेताओं को मान्यता देने के लिये प्रोत्साहन या पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: तेलंगाना की IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल, जिन्हें 'पीपुल्स ऑफिसर' के रूप में जाना जाता है, ने स्वास्थ्य सेवा एवं बुनियादी अवसंरचना में नागरिक-केंद्रित सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन में महिलाओं को प्रेरित किया है।

- **जेंडर ऑडिट और निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जेंडर डैशबोर्ड विकसित किये जाने की आवश्यकता है जो शासन, रोज़गार और विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुँच में महिलाओं की भागीदारी पर नज़र रख सके।
  - सेवा वितरण में लिंग आधारित चुनौतियों की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिये मोबाइल आधारित ऐप्स का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - ***"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"*** जैसी नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये लिंग-आधारित डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **सार्वजनिक संस्थानों में लैंगिक रूप से संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना का निर्माण:** सरकारी कार्यालयों में पृथक् शौचालय, बाल देखभाल सुविधाएँ और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी उचित सुविधाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  - विशिष्ट भूमिकाओं में महिला अधिकारियों के लिये घर से काम करने जैसे लचीले कार्य व्यवस्था की शुरुआत की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि नीतिगत परिवर्तन आधारभूत कार्य प्रदान करते हैं, फिर भी लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण को बदलने के लिये दृष्टिकोण, कार्यस्थल-परिवेश और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन के लिये लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रणालीगत और सांस्कृतिक मुद्दों का समाधान करके ही लोक प्रशासन वास्तव में लैंगिक समानता और समावेशिता का वाहक बन सकता है।

प्रश्न : "व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण सामूहिक सामाजिक चेतना को आयाम देते हैं।" लोक सेवा के संदर्भ में टिप्पणी कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण सामाजिक चेतना को आयाम देते हैं, इसके संक्षिप्त विवरण के साथ उत्तर दीजिये।
- व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक चेतना के बीच संबंध पर प्रकाश डालिये।
- सार्वजनिक सेवा और नैतिक दृष्टिकोण के गुणक प्रभाव पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- व्यक्तिगत नैतिकता को सामूहिक सामाजिक चेतना में बदलने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण समाज की सामूहिक सामाजिक चेतना की नींव बनाते हैं। व्यक्तिगत नैतिकता, ईमानदारी और मूल्य न केवल व्यक्तिगत व्यवहार को निर्देशित करते हैं बल्कि सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को भी प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक सेवा में, जहाँ निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, व्यक्तियों के नैतिक दृष्टिकोण शासन प्रणाली, सार्वजनिक विश्वास और सामूहिक सामाजिक व्यवहार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक चेतना के बीच संबंध

- **नेतृत्व मूल्यों का प्रतिबिम्ब:** उच्च नैतिक मानकों वाले सार्वजनिक अधिकारी समाज के लिये एक उदाहरण स्थापित करते हैं, जिसका सामूहिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।
  - **उदाहरण:** IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम, जिन्हें 'मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर' के रूप में जाना जाता है, ने बिना सरकारी सहायता के 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके निस्वार्थता का परिचय दिया, जिससे सामूहिक सामुदायिक प्रयासों को प्रेरणा मिली।
- **शासन में विश्वास का निर्माण:** व्यक्तिगत नैतिकता उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, तथा संस्थाओं में जनता का विश्वास उत्पन्न करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने चुनाव सुधारों में ईमानदारी को बरकरार रखा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के बारे में जनता की धारणा को नया स्वरूप दिया।

- **नीति कार्यान्वयन में भूमिका:** नैतिक लोक सेवक कल्याणकारी योजनाओं के न्यायसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करते हैं।
  - **उदाहरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारी शासन में जनता का विश्वास मज़बूत करते हैं।

सार्वजनिक सेवा और नैतिक दृष्टिकोण का गुणक प्रभाव

- **नैतिक नेतृत्व सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है:** नैतिक प्रतिबद्धता वाले नेता 'स्वच्छ भारत अभियान' या 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों में सामाजिक भागीदारी को प्रेरित करते हैं।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** नैतिक दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों को कम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
  - जनजातीय समुदायों के लिये भूमि अधिकारों को बढ़ावा देने जैसे सीमांत समूहों का समर्थन करने वाले लोक सेवक सामूहिक सामाजिक न्याय को बढ़ाते हैं।
- **नैतिक पतन का प्रतिरोध:** व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार और वंशवाद का प्रतिरोध करती है, तथा समाज में अनैतिक प्रथाओं को प्रचलित होने से रोकती है।
  - **उदाहरण:** सत्येंद्र दुबे जैसे व्हिसलब्लोअर (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ) ने संस्थागत उदासीनता को चुनौती दी।

व्यक्तिगत नैतिकता को सामूहिक सामाजिक चेतना में परिवर्तित करने में आने वाली चुनौतियाँ

- **प्रणालीगत बाधाएँ:** नैतिक व्यक्तियों को भ्रष्ट प्रणालियों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामाजिक प्रतिरोध:** पारंपरिक मानदंड और निहित स्वार्थ नैतिक सुधारों की सामूहिक स्वीकृति में बाधा डाल सकते हैं।
- **संस्थागत समर्थन का अभाव:** संरक्षण तंत्र के बिना, व्यक्तियों को नैतिक रुख बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है (उदाहरण के लिये, मुखबिरों का उत्पीड़न)।

आगे की राह:

- लोक सेवा में नैतिक आधार को सुदृढ़ बनाने के साथ ही लोक सेवकों के लिये अनिवार्य नैतिक प्रशिक्षण लागू किया जाना चाहिये ताकि वे एक दृढ़ नैतिक दिशा-निर्देश विकसित कर सकें तथा सिद्धांत आधारित रुख अपनाने की उनकी क्षमता में सुधार कर सकें।
  - *मिशन कर्मयोगी* जैसे कार्यक्रम सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- **नैतिक लोक सेवकों के लिये सुरक्षा को संस्थागत बनाना:** भ्रष्टाचार या अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे विधानों का निर्माण को किया जाना चाहिये।
  - अपने नैतिक निर्णयों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे लोक सेवकों की समीक्षा और सहायता के लिये स्वतंत्र निकायों की स्थापना की जानी चाहिये।
- **शासन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक सेवा निर्णयों को समाज की नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिये सहभागी शासन मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - केरल का *कुदुम्बश्री* मॉडल ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देता है, विश्वास और सामूहिक चेतना को बढ़ावा देता है।
- **मूल्य-आधारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना:** मज़बूत नैतिक आधार के साथ भावी नागरिकों का संवर्द्धन करने के लिये स्कूलों में मूल्य-आधारित शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्त्व पर बल देने के लिये अभियान चलाए जाने चाहिये, जिससे नैतिक शासन के लिये सामाजिक दबाव उत्पन्न हो।

निष्कर्ष:

व्यक्तिगत नैतिक दृष्टिकोण सामूहिक सामाजिक चेतना को आयाम देने वाले आधार के रूप में कार्य करते हैं, विशेष रूप से लोक प्रशासन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

में, जहाँ कुछ लोगों के कार्य लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को प्राथमिकता देने वाली शासन प्रणाली के निर्माण में लोक सेवकों का नैतिक संकल्प बहुत महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : "नैतिक विकास व्यावसायिक विकास जितना ही महत्त्वपूर्ण है।" कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- कॉर्पोरेट प्रशासन को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में नैतिक विकास की भूमिका बताइये।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में व्यावसायिक विकास की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए नैतिक और व्यावसायिक विकास के बीच संतुलन के महत्त्व को समझाइये।
- संतुलन प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- संतुलित रूप से निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कॉर्पोरेट प्रशासन वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, जिससे कॉर्पोरेट आचरण में उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यदि व्यावसायिक विकास तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधकीय दक्षता को बढ़ाता है, तो नैतिक विकास ईमानदारी, विश्वास और उत्तरदायित्व की संस्कृति का निर्माण करता है।

- नैतिक आधार के अभाव में, अकेले व्यावसायिक क्षमता ही शोषण और प्रशासनिक विफलता का कारण बन सकती है।

मुख्य भाग:

कॉर्पोरेट प्रशासन में नैतिक विकास की भूमिका

- **नैतिक निर्णय लेना:** नैतिक रूप से विकसित नेता केवल लाभ अधिकतमीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने निर्णयों के सामाजिक और नैतिक प्रभाव का आकलन करते हैं।
  - यह दृष्टिकोण समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और हितधारकों को नुकसान से बचाता है।
  - नारायणमूर्ति के नेतृत्व में इन्फोसिस ने पारदर्शी लेखांकन और निष्पक्ष कर्मचारी व्यवहार के माध्यम से नैतिक निर्णय लेने का प्रदर्शन किया, जिससे दीर्घकालिक हितधारकों का विश्वास अर्जित हुआ।
- **विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण:** नैतिक आचरण निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के विश्वास को दृढ़ करता है, जो व्यवसाय की निरंतरता के लिये आवश्यक है।
  - अच्छी प्रतिष्ठा वाली कंपनी निवेश आकर्षित करती है, ग्राहकों का विश्वास अर्जित करती है और प्रतिभा को बरकरार रखती है।
  - नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिये प्रसिद्ध टाटा समूह को निष्पक्षता और अखंडता के लिये वैश्विक ख्याति प्राप्त है, जो इसकी सफलता का आधार रही है।
- **घोटालों और भ्रष्टाचार को कम करना:** एक मज़बूत नैतिक आधार, अनैतिक प्रथाओं जैसे कि अनधिकृत व्यापार, वित्तीय धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी जो कंपनियों को विफल कर सकते हैं, को रोकने में मदद करता है।
  - धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन प्रथाओं के कारण हुए सत्यम घोटाले (वर्ष 2008) ने कमज़ोर नैतिक शासन के परिणामों को उजागर किया।
  - इसके परिणामस्वरूप SEBI के कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों के अंतर्गत सख्त प्रकटीकरण मानदंडों की शुरुआत जैसे सुधार हुए।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को कायम रखना:** नैतिक रूप से प्रेरित कंपनियाँ गरीबी, शिक्षा और पर्यावरण क्षरण जैसे मुद्दों का समाधान करते हुए सामाजिक कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं।
  - ITC ग्रामीण शिक्षा, किसान सशक्तीकरण के लिये e-Choupal और वनरोपण कार्यक्रमों में पहल के माध्यम से CSR को अपने मुख्य व्यवसाय मॉडल में एकीकृत करता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन में व्यावसायिक विकास की भूमिका

- **उन्नत दक्षता और नवाचार:** व्यावसायिक विकास नेताओं को प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिये नवाचार करने के लिये तकनीकी कौशल के साथ तैयार करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नवाचार और स्केलेबिलिटी के माध्यम से तेल, पेट्रोकेमिकल्स एवं दूरसंचार जैसे उद्योगों पर हावी होने के लिये पेशेवर विशेषज्ञता का लाभ उठाने में उत्कृष्ट है।

- **विनियामक अनुपालन:** लेखांकन मानकों, प्रशासनिक कार्यढाँचों और कॉर्पोरेट विनियमों की समझ यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा दंड से बचें।
  - पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) अनुपालन अपनाने वाली कंपनियाँ न केवल नियामक दायित्वों को पूरा करती हैं, बल्कि हितधारकों के बीच सद्भावना भी बनाती हैं।
- **जोखिम प्रबंधन:** पेशेवर रूप से विकसित नेतृत्व में जोखिमों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करने के लिये सुदृढ़ तंत्रों को लागू किया जा सकता है।

नैतिक और व्यावसायिक विकास में संतुलन का महत्त्व

- **धारणीयता:** नैतिक शासन की अनुपस्थिति पेशेवर क्षमता को कमज़ोर कर सकती है, जिससे असंधारणीय हो सकते हैं। इसी तरह, पेशेवर कौशल के बिना नैतिक उद्देश्य अकुशलता को जन्म दे सकते हैं।
  - वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान लेमैन ब्रदर्स के पतन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि किस प्रकार नैतिक विचारों की उपेक्षा (जैसे कि अत्यधिक जोखिम और अति-आर्थिक लाभ के उद्देश्य वाली नीति) विफलताओं का कारण बन सकती है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक विकास:** लाभप्रदता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कंपनियाँ दीर्घकालिक रूप से विकसित होने के लिये सक्षम होती हैं।
- **प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से बचना:** दृढ़ नैतिक आधार वाली कंपनियों को प्रतिष्ठा संबंधी संकट का सामना करने की संभावना कम होती है, जिसका वित्तीय और परिचालन संबंधी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
- **समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना:** नैतिक नेतृत्व एक निष्पक्ष, समावेशी और विविध कार्यस्थल सुनिश्चित करता है, जबकि व्यावसायिक विकास कर्मचारी उत्पादकता एवं नवाचार को बढ़ाता है।

संतुलन प्राप्त करने की चुनौतियाँ

- **अल्पकालिक लाभ अभिविन्यास:** कई कंपनियाँ दीर्घकालिक नैतिक विचारों की तुलना में अल्पकालिक वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
- **नैतिक प्रशिक्षण का अभाव:** कॉर्पोरेट नेतृत्व में प्राय: नैतिकता और मूल्यों में संरचित प्रशिक्षण का अभाव होता है।
- **परस्पर विरोधी हितधारक हित:** शेयरधारकों, कर्मचारियों और पर्यावरण के हितों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **विनियामक अंतराल:** कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के कमज़ोर प्रवर्तन से अनैतिक प्रथाओं को जारी रहने का मौका मिल सकता है।

निष्कर्ष:

नैतिक और व्यावसायिक विकास प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के दो स्तंभ हैं। यदि व्यावसायिक कौशल दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं, तो नैतिक अखंडता यह सुनिश्चित करती है कि दक्षता सामाजिक एवं हितधारक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य को पूरा करें। साथ ही ये कंपनियों को विश्वास बनाने, विकास को बनाए रखने तथा अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।

प्रश्न : "यदि उद्देश्य सद्गुणी न हो तो ज्ञान निरर्थक हो जाता है।" आज के समय में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग राष्ट्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने के लिये किया जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के विनियमन में कौन-से नैतिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिये? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए उत्तर दीजिये।
- सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लोकतंत्र में हेरफेर के पक्ष में तर्क दीजिये।
- सूचना प्रौद्योगिकी को विनियमित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिये नैतिक विचारों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

बयान में प्रौद्योगिकी के खतरों पर प्रकाश डाला गया है, जब इसे अच्छे उद्देश्यों से अलग कर दिया जाता है। आज की दुनिया में, डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दो पहलू हैं— यद्यपि इन प्रौद्योगिकियों ने संचार और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है तो इनके दुरुपयोग ने गलत सूचना, ध्रुवीकरण एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर को बढ़ावा दिया है।

मुख्य भाग:

सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लोकतंत्र में हेरफेर:

- **गलत सूचना और फर्ज़ी समाचार का प्रसार:** सोशल मीडिया एल्गोरिदम सटीकता की तुलना में सनसनीखेज़ कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फर्ज़ी समाचारों का व्यापक प्रसार होता है जो मतदाताओं को गलत सूचना देते हैं तथा जनता की राय को प्रभावित करते हैं।
  - ***उदाहरण:*** वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर फर्ज़ी खबरों ने अवैध खबरों को बढ़ावा दिया, जिससे मतदाताओं की धारणा प्रभावित हुई।
- **सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण और मनोवैज्ञानिक हेरफेर:** मतदाताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर डेटा विश्लेषण का प्रयोग करके सूक्ष्म रूप से लक्षित किया जा सकता है, जिससे उनके लिये अनुकूलित राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है, जो उनके विचारों को ध्रुवीकृत करता है तथा भावनाओं प्रभावित करता है।
  - कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले से पता चला कि किस प्रकार लक्षित दुष्प्रचार के लिये लाखों फेसबुक उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किया गया।
- **समाज का ध्रुवीकरण:** एल्गोरिदम "इको चैंबर" जैसी स्थिति बनाते हैं, जहाँ उपयोगकर्त्ताओं को केवल वही जानकारी दी जाती है जो उनके मौजूदा विश्वासों का समर्थन करती है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है तथा भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता कम हो जाती है।
  - यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों की आलोचना चरमपंथी या विभाजनकारी कंटेंट को बढ़ावा देने तथा भारत एवं अमेरिका जैसे देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण में योगदान देने के लिये की जाती रही है।
- **राजनीतिक विज्ञापन में पारदर्शिता का अभाव:** सोशल मीडिया पर अनियमित राजनीतिक विज्ञापनों में धन के स्रोतों और मंशा के बारे में पारदर्शिता का अभाव होता है, जिससे गुप्त अभियानों को चुनावों को प्रभावित करने का मौका मिल जाता है।
  - भारत में वर्ष 2024 के चुनावों में, असत्यापित राजनीतिक विज्ञापनों और डीप फेक न्यूज़ ने हेरफेर व गलत सूचना के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी थीं।
- **निगरानी और गोपनीयता का हनन:** सरकारें और निगम निगरानी के लिये डेटा एनालिटिक्स का दुरुपयोग करते हैं, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम होता है।
  - चीन की व्यापक निगरानी प्रणाली लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग के खतरों को उजागर करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी को विनियमित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये नैतिक विचार:

- **सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना**
  - **गलत सूचना का मुकाबला करना:** फर्ज़ी खबरों के प्रसार को रोकने के लिये एल्गोरिदम को तथ्यात्मक और विश्वसनीय जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिये।
    - चुनावों के दौरान झूठी सामग्री को चिह्नित करने जैसी तथ्य-जाँच पहलों ने गलत सूचनाओं को दूर करने में कुछ प्रगति की है।
  - **एल्गोरिदम पारदर्शिता:** छिपे हुए पूर्वाग्रहों और हेरफेर से बचने के लिये प्लेटफॉर्म को यह बताना चाहिये कि उनके एल्गोरिदम की प्रकार काम करते हैं, जिसमें वे कंटेंट को किस प्रकार रैंक करते हैं या दबाते हैं।
  - **राजनीतिक विज्ञापन का विनियमन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राजनीतिक विज्ञापन फंडिंग और गुप्त हेरफेर को रोकने की मंशा पारदर्शी हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की रक्षा करना**
  - **सूचित सहमति:** उपयोगकर्त्ताओं को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये कि उनका डेटा किस प्रकार एकत्रित, संसाधित और उपयोग किया जा रहा है तथा उन्हें इससे बाहर निकलने का विकल्प भी होना चाहिये।
    - यूरोप में सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन उपयोगकर्त्ताओं से उनके डेटा के संबंध में स्पष्ट और सूचित सहमति लेना अनिवार्य करता है।
  - **डेटा शोषण को रोकना:** नियमों में अनैतिक डेटा माइनिंग और राजनीतिक प्रचार के लिये माइक्रो-टार्गेटिंग पर रोक लगाई जानी चाहिये।
  - **डेटा आधिपत्य:** सरकारों को विदेशी संस्थाओं (जैसे भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) द्वारा अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिये डेटा स्थानीयकरण और सख्त गोपनीयता कानूनों को लागू करना चाहिये।
- **हानि से बचाव करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना**
  - **संतुलित विनियमन:** सरकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और हेट स्पीच व हिंसा भड़काने जैसी हानिकारक कंटेंट/अभिव्यक्तियों पर अंकुश लगाने के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
  - **निगरानी के साथ कंटेंट मॉडरेशन:** सोशल प्लेटफॉर्म को निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पूर्वाग्रह से बचने के लिये स्वतंत्र निकायों की देखरेख में पारदर्शी सामग्री मॉडरेशन नीतियाँ विकसित करनी चाहिये।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना**
  - **नागरिकों को सशक्त बनाना:** सरकारों, नागरिक समाज और निगमों को फर्ज़ी समाचारों की पहचान करने, एल्गोरिदम को समझने तथा उनकी गोपनीयता की रक्षा करने के बारे में उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिये मिलकर काम करना चाहिये।
    - यूनेस्को के 'मीडिया और सूचना साक्षरता' कार्यक्रम नागरिकों को डिजिटल युग में आलोचनात्मक सोच कौशल से लैस करते हैं।

निष्कर्ष:

सूचना प्रौद्योगिकी ने संचार और शासन में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके दुरुपयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कमज़ोरियों को उजागर किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये, IT विनियमन को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डेटा गोपनीयता, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समावेशिता जैसे नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये। सरकारों, निगमों और नागरिकों को एक परिवेश बनाने के लिये सहयोग करना चाहिये जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी शोषण के लिये नहीं बल्कि सशक्तीकरण का एक साधन बनी रहे।

प्रश्न : "पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से चर्चा कीजिये कि कैसे अंतर-पीढ़ीगत समानता वर्तमान आर्थिक और विकासात्मक प्रतिमानों के मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।" **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- अंतर-पीढ़ीगत समानता को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- अंतर-पीढ़ीगत समानता और पर्यावरणीय नैतिकता के मूल सिद्धांत बताइये।
- वर्तमान आर्थिक और विकास प्रतिमानों से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिये।
- विकास प्रतिमानों की पुन:कल्पना की आवश्यकता पर गहन विचार कीजिये।
- अंतर-पीढ़ीगत समानता के नैतिक आयामों पर प्रकाश डालिये।
- अंतर-पीढ़ीगत समानता प्राप्त करने के लिये चुनौतियाँ दीजिये।
- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

अंतर-पीढ़ीगत समता से तात्पर्य वर्तमान पीढ़ियों की नैतिक ज़िम्मेदारी से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न किया जाए।

- पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से, शोषणकारी, संसाधन-गहन विकास से हटकर एक सतत् और समावेशी आर्थिक मॉडल की ओर बदलाव आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

अंतर-पीढ़ीगत समानता और पर्यावरणीय नैतिकता के मूल सिद्धांत

- **संसाधनों का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय पृथ्वी की भावी पीढ़ियों के लिये पुनर्जनन क्षमता से अधिक न हो।
- **स्थिरता:** ऐसी प्रथाओं को अपनाना जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण की त्रिस्तरीय आधार रेखा को पूर्ण करती हों।

वर्तमान आर्थिक और विकास प्रतिमानों से संबंधित मुद्दे

- **संसाधन-गहन विकास मॉडल:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP)-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित करने से पारिस्थितिक क्षरण की अनदेखी होती है।
  - ***उदाहरण:*** मवेशी पालन और कृषि के लिये अमेज़न वर्षावनों की कटाई से वैश्विक कार्बन चक्र बाधित होता है।
- **दीर्घकालिक स्थिरता की तुलना में अल्पकालिक लाभ:** नीतियाँ स्थायी प्रथाओं की तुलना में तत्काल आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
  - ***उदाहरण:*** झारखंड में व्यापक कोयला खनन परियोजनाएँ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा तो देती हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं और समुदायों को विस्थापित करती हैं।
- **उपभोक्तावाद और अपशिष्ट उत्पादन:** तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण से अपशिष्ट एवं प्रदूषण बढ़ता है।
  - ***उदाहरण:*** भारत में प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक उत्पन्न होता है, जिसमें से अधिकांश गैर-जैवनिम्नीकरणीय होता है।

विकास प्रतिमानों की पुनर्कल्पना की आवश्यकता

- **चक्राकार अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव:** "ले-बनाएँ-निपटान करें" मॉडल से पुनर्योजी प्रणाली की ओर बढ़ना, जहाँ अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है तथा संसाधनों का पुन: उपयोग किया जाता है।
  - ***उदाहरण:*** स्वीडन ने मज़बूत पुनर्चक्रण प्रणाली और अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम लागू किया है।
- **पारिस्थितिकी बहाली एक प्राथमिकता:** जैवविविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ाने के लिये बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना।
  - ***उदाहरण:*** नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है।
- **हरित प्रौद्योगिकियाँ और नवाचार:** पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
  - ***उदाहरण:*** भारत की FAME II योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।

अंतर-पीढ़ीगत समानता के नैतिक आयाम

- **नैतिक उत्तरदायित्व:** गांधीवादी ट्रस्टीशिप जैसे नैतिक ढाँचे, भावी पीढ़ियों के प्रति एक कर्त्तव्य के रूप में संसाधन प्रबंधन का समर्थन करते हैं।
  - ***उदाहरण:*** आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासी समुदाय अपने पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिये शिकार और मछली पकड़ने का अभ्यास करते हैं।
- **न्याय और समावेशिता:** संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करती है कि हाशिये पर पड़े लोग और भावी पीढ़ियाँ वंचित न रहें।
  - *उदाहरण:* पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिये वैश्विक सहयोग पर ज़ोर देता है, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर।

अंतर-पीढ़ीगत समानता प्राप्त करने की चुनौतियाँ

- **परिवर्तन का प्रतिरोध:** पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को हरित प्रौद्योगिकियों में रूपांतरित होने में महत्त्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
- **वैश्विक असमानताएँ:** विकसित देश, जो उत्सर्जन के लिये ऐतिहासिक रूप से ज़िम्मेदार हैं, अक्सर उत्सर्जन में कमी का बोझ विकासशील देशों पर डाल देते हैं।
  - ***उदाहरण:*** भारत पर उत्सर्जन कम करने का असमान दबाव है, जबकि इसका प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट अमेरिका या चीन की तुलना में काफी कम है।
- **जागरूकता का अभाव:** हितधारकों के बीच स्थिरता की खराब समझ पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने में बाधा डालती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

अंतर-पीढ़ीगत समानता पर्यावरणीय नैतिकता की आधारशिला है। संधारणीय प्रथाओं को अपनाकर, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर, मानवता वर्तमान आवश्यकताओं तथा भावी पीढ़ियों के अधिकारों के बीच संतुलन प्राप्त कर सकती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, ***"पृथ्वी सभी की ज़रूरतों के लिये पर्याप्त है, लेकिन सभी के लालच हेतु नहीं।"***

प्रश्न : "एच.एल. मेनकेन के कथन 'नैतिकता और आज्ञाकारिता' के बीच अंतर को समझते हुए, वर्तमान समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं नैतिक निर्णय लेने की भूमिका पर चर्चा कीजिये। यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है?" **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- एच.एल. मेनकेन के कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- आज की दुनिया में नैतिकता के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- आज्ञाकारिता को दोधारी तलवार के रूप में समझना।
- नैतिकता बनाम आज्ञाकारिता: संतुलन खोजना।
- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

एच.एल. मेनकेन का यह उद्धरण नैतिकता और आज्ञाकारिता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। नैतिकता व्यक्ति के सही और गलत के आंतरिक बोध से उत्पन्न होती है, जबकि आज्ञाकारिता बाहरी प्राधिकरण के प्रति निष्ठा है, जो अक्सर नैतिक मूल्यांकन से रहित होती है।

- वर्तमान में बढ़ती चुनौतियों के संदर्भ में - नौकरशाही की आत्मसंतुष्टि से लेकर अधिनायकवाद तक - यह उद्धरण नैतिक स्वायत्तता और आदेशों का पालन करने के दायित्व के बीच संतुलन पर चिंतन करने के लिये प्रेरित करता है।

मुख्य भाग:

आज की दुनिया में नैतिकता का महत्त्व

- **नैतिक नेतृत्व:** नैतिक साहस वाले नेता मानदंडों के प्रति अंध निष्ठा की अपेक्षा व्यापक भलाई को प्राथमिकता देते हैं।
  - ***उदाहरण:*** IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने मणिपुर में सरकारी धन के बिना सड़क का निर्माण किया, जिससे उन्होंने नौकरशाही की निष्क्रियता पर नैतिक ज़िम्मेदारी का प्रदर्शन किया।
- **सामाजिक न्याय आंदोलन:** नैतिकता व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिये प्रेरित करती है, तब भी जब कानून या व्यवस्था उदासीन रहती है।
  - ***उदाहरण:*** नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) में मेधा पाटकर का नेतृत्व इस बात का उदाहरण है कि कैसे नैतिकता व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिये प्रेरित करती है, तब भी जब कानूनी व्यवस्था उदासीन रहती है।
- **शासन में भूमिका:** नैतिकता सिविल सेवकों और नीति-निर्माताओं को नैतिक दुविधाओं से निपटने में सहयोग करती है, जहाँ कानूनी प्रावधान मानवीय मूल्यों के साथ संघर्ष कर सकते हैं।

आज्ञाकारिता: एक दोधारी तलवार

- **आज्ञाकारिता की सकारात्मक भूमिका:** समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिये वैध निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
  - ***उदाहरण:*** महामारी के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करने से लोगों की जान बचाने में मदद मिली।
- **अंध आज्ञाकारिता और नैतिक विफलताएँ:** प्राधिकार के प्रति बिना सवाल किये अनुपालन नैतिक विनाश का कारण बन सकता है।
  - ***उदाहरण:*** नूर्नबर्ग परीक्षणों ने इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार नाजी अधिकारियों ने अपने कार्यों को केवल आदेशों का पालन मानकर प्रस्तुत किया और उनके नैतिक परिणामों की अनदेखी की।
- **कॉर्पोरेट और नौकरशाही दुराचार:** कर्मचारी या अधिकारी अनैतिक निर्देशों का आँख मूंदकर पालन करते हैं, जिससे अक्सर भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा मिलता है।
  - ***उदाहरण:*** वर्ष 2008 के वित्तीय संकट में बैंकिंग क्षेत्र के पेशेवरों ने संभावित नुकसान को जानते हुए भी उच्च जोखिम वाले, अनैतिक वित्तीय व्यवहारों का अनुपालन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नैतिकता बनाम आज्ञाकारिता: संतुलन खोजना

- **लोक सेवा में नैतिक स्वायत्तता:** सिविल सेवकों को अक्सर हानिकारक नीतियों को लागू करने और न्यायोचित बातों के पक्ष में खड़े होने के बीच चुनाव करना पड़ता है।
  - ***उदाहरण:*** सुचिर बालाजी जैसे मुखबिर, आज्ञाकारिता की अपेक्षा नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं।
- **आलोचनात्मक चिंतन और शिक्षा:** नैतिक तर्क विकसित करने से व्यक्तियों को आदेशों पर कार्रवाई करने से पहले उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।
  - ***उदाहरण:*** लोक प्रशासन प्रशिक्षण के अंतर्गत नैतिकता और शासन के कार्यक्रम नैतिक मूल्यों एवं संस्थागत आज्ञाकारिता के बीच की खाई को पाट सकते हैं।
- **संस्थागत संस्कृति में सुधार:** संगठनों को जवाबदेही बढ़ाने के लिये केवल अनुपालन ही नहीं, बल्कि नैतिक निर्णय लेने को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

मेनकेन का उद्धरण एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि नैतिकता को मानवीय कार्यों के लिये दिशासूचक के रूप में काम करना चाहिये, जबकि आज्ञाकारिता को अंध अनुरूपता के बजाय नैतिक तर्क द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये। वर्तमान संदर्भ में, जहाँ सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक चुनौतियाँ सैद्धांतिक कार्यों की मांग करती हैं, नैतिक रूप से साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

प्रश्न : "21वीं सदी की सबसे बड़ी नैतिक चुनौती भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिक विवेकहीनता है।" क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भ्रष्टाचार के साथ-साथ नैतिक विवेकहीनता की गंभीरता को एक नैतिक चुनौती के रूप में उजागर करते हुए उत्तर दीजिये।
- नैतिक विवेकहीनता को सबसे बड़ी नैतिक चुनौती बताने वाले तर्क दीजिये।
- क्या भ्रष्टाचार अभी भी एक प्रमुख नैतिक चुनौती है? इस पर प्रश्न उठाने वाले प्रमुख बिंदुओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक विवेकहीनता नैतिक उत्तरदायित्व, सामाजिक अन्याय और नागरिक कर्त्तव्यों के प्रति संवेदनहीनता को संदर्भित करती है। 21वीं सदी में नैतिक चुनौतियाँ नैतिकता के सक्रिय उल्लंघन से कहीं आगे जा चुकी हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। नैतिक विवेकहीनता आत्मसंतुष्टि और निष्क्रियता को बढ़ावा देती है, जो अनैतिक व्यवहार को पनपने का मौका देती है, जबकि भ्रष्टाचार सीधे तौर पर नैतिक मानकों का उल्लंघन करता है।

मुख्य भाग:

नैतिक विवेकहीनता एक बड़ी नैतिक चुनौती:

- **नागरिक उत्तरदायित्व का ह्रास:** लोग प्राय: अन्याय के सामने मौन रहते हैं, जिससे अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
  - ***उदाहरण:*** मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या जैसी घटनाओं में दर्शक प्रभाव, जहाँ दर्शक हस्तक्षेप करने में विफल रहते हैं।
- **घटती सार्वजनिक जवाबदेही:** मतदाताओं की विवेकहीनता और नैतिक शासन की मांग में कमी के परिणामस्वरूप दंड से मुक्ति की संस्कृति उत्पन्न होती है।
  - ***उदाहरण:*** शासन और भ्रष्टाचार पर बढ़ती चिंताओं के बावजूद चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम होना।
- **कार्यस्थल नैतिकता और संगठनात्मक विवेकहीनता:** कर्मचारियों द्वारा भेदभाव, उत्पीड़न या वित्तीय धोखाधड़ी जैसी अनैतिक प्रथाओं की अनदेखी करना।
  - ***उदाहरण:*** कॉर्पोरेट घोटालों में मुखबिरों का दमन (जैसे: वर्ष 2008 का वित्तीय संकट)।
- **पर्यावरणीय लापरवाही:** पर्यावरणीय क्षरण के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद जलवायु परिवर्तन के प्रति जनता की विवेकहीनता।
  - ***उदाहरण:*** जागरूकता अभियानों के बावजूद प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन पर न्यूनतम व्यक्तिगत कार्रवाई।
- **सामाजिक असमानताएँ और सहानुभूति का अभाव:** सीमांत समुदायों के प्रति विवेकहीनता प्रणालीगत असमानताओं को जारी रहने का कारण बनती है।
  - ***उदाहरण:*** भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति विवेकहीनता।
- **राजनीतिक विवेकहीनता और सक्रिय नागरिकता का अभाव:** लोग प्राय: नेताओं को जवाबदेह ठहराने के बजाय अनैतिक राजनीतिक प्रथाओं को सहन करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***उदाहरण:*** राजनीतिक विमर्श में अभद्र भाषा और गलत सूचना का सामान्यीकरण।

यद्यपि नैतिक विवेकहीनता अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है:

- संस्थागत भ्रष्टाचार लोकतंत्र और शासन को कमज़ोर करता है (उदाहरण के लिये 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला)।
- रोजमर्रा की सेवाओं में छोटा-मोटा भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को समाप्त कर देता है (जैसे: सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी)।
  - हालाँकि, नैतिक विवेकहीनता उत्तरदायित्व और कार्रवाई को हतोत्साहित करके भ्रष्टाचार को पनपने देती है।

आगे की राह:

- **नैतिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना:** शिक्षा में नैतिकता को एकीकृत करने से जिम्मेदार नागरिकता विकसित हो सकती है।
- **सक्रिय नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना:** सहभागी शासन और पारदर्शिता के लिये प्रयास से सार्वजनिक विवेकहीनता कम हो सकती है।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण और उत्तदायित्व तंत्र:** कार्यस्थलों और संस्थानों में नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **सामाजिक सहानुभूति को बढ़ावा देना:** सामाजिक मुद्दों के लिये स्वयंसेवा और संवेदनशीलता अभियान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन नैतिक विवेकहीनता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक प्रथाओं को बिना निरंतर जारी रहने देती है। नैतिक विवेकहीनता (जिसे कभी-कभी सबसे गंभीर समस्या के रूप में संदर्भित किया जाता है) को जागरूकता, नागरिक समन्वय और नैतिक शिक्षा के माध्यम से हल करना अधिक न्यायपूर्ण एवं जिम्मेदार समाज को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : 'मूल्य बहुलवाद' से आप क्या समझते हैं? यह भारत जैसे बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में नैतिक निर्णय क्षमता को किस प्रकार जटिल बनाता है? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- मूल्य बहुलवाद को परिभाषित करके उत्तर दीजिये।
- तर्क दीजिये कि किस प्रकार मूल्य बहुलवाद भारत में नैतिक निर्णय लेने को जटिल बनाता है।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मूल्य बहुलवाद एक नैतिक अवधारणा है जिसके अनुसार कई नैतिक मूल्य एक साथ रह सकते हैं, भले ही वे कभी-कभी एक-दूसरे से टकराते हों। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, विभिन्न समुदाय और व्यक्ति अलग-अलग मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निर्णय लेने में नैतिक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

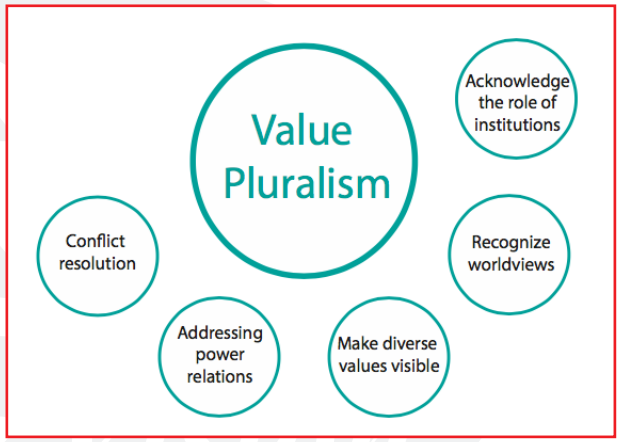

मुख्य भाग:

मूल्य बहुलवाद भारत में नैतिक निर्णय लेने को किस प्रकार जटिल बनाता है:

- **व्यक्तिगत अधिकारों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संघर्ष**
  - लैंगिक समानता जैसे संवैधानिक मूल्य प्राय: धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ असंगत होते हैं। समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गए कानूनी सुधारों का पारंपरिक मान्यताओं पर उल्लंघन के रूप में विरोध किया जा सकता है।
  - ***उदाहरण:*** सर्वोच्च न्यायालय के ***सबरीमाला मंदिर प्रवेश*** (वर्ष 2018) से संबंधित निर्णय ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन धार्मिक परंपराओं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

का हवाला देते हुए भक्तों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

- **धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राज्य हस्तक्षेप**
  - यद्यपि व्यक्तिगत कानून धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये हैं, कुछ प्रथाएँ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। ऐसी प्रथाओं में सुधार के लिये कानूनी हस्तक्षेप को प्राय: सरकार के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है।
  - ***उदाहरण: ट्रिपल तलाक प्रतिबंध*** (वर्ष 2019) को लैंगिक न्याय की दिशा में एक कदम माना गया, लेकिन कुछ वर्गों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप के रूप में देखा।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सद्भाव**
  - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी-कभी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती है, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। सरकारों को प्राय: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये अभिव्यक्ति को विनियमित करना पड़ता है।
  - ***उदाहरण: पद्मावत*** जैसी फिल्मों और ***द सैटेनिक वर्सेज*** जैसी पुस्तकों को धार्मिक या ऐतिहासिक विकृतियों के कारण प्रतिबंध और हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा।
- **आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण**
  - औद्योगीकरण और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा देती हैं, लेकिन प्राय: पर्यावरणीय क्षरण और समुदायों के विस्थापन का कारण बनती हैं।
  - ***उदाहरण:*** तमिलनाडु में वेदांता ***स्टरलाइट कॉपर प्लांट*** को आर्थिक लाभ के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर व्यापक विरोध के कारण बंद कर दिया गया।
- **बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यक अधिकार**
  - राष्ट्रीय एकीकरण पर लक्षित नीतियाँ कभी-कभी अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक स्वायत्तता की अनदेखी करती हैं, जिससे सांस्कृतिक समावेशन का भय उत्पन्न होता है।
  - ***उदाहरण: समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रस्ताव*** समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन अल्पसंख्यक समूहों का तर्क है कि इससे उनकी धार्मिक पहचान को खतरा है।

आगे की राह:

- **संवाद और विचार-विमर्श:** प्रतिस्पर्द्धी हितों में संतुलन के लिये समावेशी चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **प्रासंगिक निर्णय लेना:** ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिये जो विविधता और मौलिक अधिकारों दोनों का सम्मान करती हों।
- **न्यायिक व्याख्या:** परस्पर विरोधी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने में न्यायालय महत्त्वपूर्ण भूमिका (उदाहरण के लिये, ***केशवानंद भारती केस, 1973***) निभाते हैं।
- **शैक्षिक सुधार:** पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिये नैतिक बहुलवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में मूल्य बहुलवाद एक ताकत और चुनौती दोनों है। जबकि यह विविधता की अनुमति देता है, यह प्रतिस्पर्द्धी नैतिक दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष उत्पन्न करके निर्णय लेने को भी जटिल बनाता है। ऐसी दुविधाओं को हल करने की कुंजी संवैधानिक सिद्धांतों, समावेशी शासन और एक संतुलित दृष्टिकोण में निहित है जो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए न्याय सुनिश्चित करता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निबंध

प्रश्न : एक लचीला पेड़ हवा के साथ झुकता है, लेकिन कभी नहीं टूटता।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **लाओ त्सु:** "जल तरल, मृदु और लचीला होता है। लेकिन जल चट्टान का अपरदन कर देता है, जो कठोर और अविचल होती है।"
- **चार्ल्स डार्विन:** "सबसे शक्तिशाली प्रजाति या सबसे बुद्धिमान प्रजाति का अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि उस प्रजाति का ही अस्तित्व रह पाता है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **समुत्थानशक्ति बनाम अविचलता:** स्टोइक का दर्शन व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता को खोए बिना प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने पर बल देता है।
- **पूर्वी दर्शन:** ताओवाद में, समर्पण और समुत्थानशीलन (जल के प्रतीक) को ताकत के रूप में देखा जाता है जो अस्तित्व एवं विकास सुनिश्चित करता है।
- **व्यवहार मनोविज्ञान:** संज्ञानात्मक-व्यवहार तनाव और कठिनाई पर नियंत्रण पाने के साधन के रूप में विचारों में समुत्थानशीलता सिखाती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम:** गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध बिना टूटे झुकने, बिना आक्रामक टकराव के स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिद्धांत का उदाहरण था।
- **युद्धोत्तर पुनर्निर्माण:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की पुनर्निर्माण की क्षमता, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाना, अनुकूलनशीलता के माध्यम से जापान की समुत्थानशक्ति को दर्शाता है।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने वाले देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में आघातसहनीयता दिखाते हैं।
- **कॉर्पोरेट समुत्थानशक्ति:** नोकिया जैसी कंपनियाँ अविचलता के कारण लड़खड़ा गईं, जबकि एप्पल ने नवाचार करके और बदलती उपभोक्ता मांगों के अनुरूप खुद को ढालकर सफलता प्राप्त की।

प्रश्न : हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं, बल्कि इतिहास हमारा निर्माण करती है।

निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **विंस्टन चर्चिल:** *"इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा क्योंकि मैं इसे लिखने का इरादा रखता हूँ।"*
- **जॉर्ज सांतायाना:** *"जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, उन्हें उसे दोहराने के लिये अभिशप्त होना पड़ता है।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **हेगेलियन द्वंद्ववाद:** इतिहास विरोधाभासों की एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है, जो सामंजस्य के माध्यम से लोगों एवं समाजों को आयाम देता है।
- **कार्ल मार्क्स:** इतिहास की भौतिक स्थितियाँ और आर्थिक संरचनाएँ मानवीय कार्यों एवं चेतना को निर्धारित करती हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **नागरिक अधिकार आंदोलन:** नस्लीय भेदभाव के दमनकारी इतिहास ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी हस्तियों के नेतृत्व को आयाम दिया।
- **औद्योगिक क्रांति:** इस अवधि ने मानव जीवन शैली, मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को बदल दिया, जो मानव एजेंसी पर इतिहास की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है।

समकालीन उदाहरण:

- **वैश्वीकरण:** उपनिवेशीकरण और विश्व युद्धों जैसी ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित वैश्वीकरण सांस्कृतिक एवं आर्थिक अंतरनिर्भरता को निरंतर प्रभावित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **तकनीकी उन्नति:** औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियों पर आधारित डिजिटल युग इस बात का उदाहरण है कि इतिहास किस प्रकार आधुनिक विकास पथ निर्धारित करता है।

प्रश्न : परंपरा बोझ नहीं, बल्कि प्रगति का आधार है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- महात्मा गांधी- *"किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में निवास करती है।"*
- कन्फ्यूशियस - *"यदि आप भविष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **निरंतरता और परिवर्तन:** परंपराएँ पहचान और निरंतरता की भावना प्रदान करती हैं, साथ ही समय के साथ प्रगति और अनुकूलन के लिये संभावनाएँ भी प्रदान करती हैं।
- **रूढ़िवाद का दर्शन:** परंपरा को महत्त्व देने के बर्क के तर्क अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान के महत्त्व में उनके विश्वास पर आधारित हैं, जिसे वे स्वाभाविक रूप से आधारित एवं समय के साथ आगे बढ़ता हुआ मानते हैं।
- **सांस्कृतिक समुत्थानशीलन:** परंपराएँ समाज को परिवर्तन के साथ अपने मूल मूल्यों को संरक्षित करके समुत्थानशील करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिये ***काइज़ेन/Kaizen*** (निरंतर सुधार) की जापानी अवधारणा पारंपरिक अनुशासन को नवाचार के साथ संतुलित करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारत की पंचायती राज प्रणाली:** पारंपरिक ग्राम परिषदों पर आधारित एक आधुनिक शासन कार्यढाँचा, जो सांस्कृतिक नींव पर निर्मित प्रगति का उदाहरण है।
- **सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन:** भारत में बंगाल पुनर्जागरण ने पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक बौद्धिक गतिविधियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया, जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिला।

समकालीन उदाहरण:

- **योग और आयुर्वेद:** भारत की प्राचीन प्रथाओं ने आधुनिक स्वास्थ्य उद्योगों में वैश्विक प्रासंगिकता प्राप्त की है।
- **स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ:** पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तेज़ी से स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे कि अमेजन वन्य जनजातियों की सतत् कृषि।
- **त्यौहार और अर्थव्यवस्था:** दिवाली और क्रिसमस जैसे पारंपरिक त्यौहार सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

प्रश्न : वास्तविक विकास तब प्रारंभ होता है जब अंतिम लक्ष्य तक पहुँच प्राप्त होती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** *"भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है।"*
- **जॉन एफ. कैनेडी:** "यदि एक स्वतंत्र समाज उन अनेक गरीबों की सहायता नहीं कर सकता, तो वह उन चंद अमीरों को भी नहीं बचा सकता।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **समावेशी विकास:** अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण विकास के सच्चे मापदंड के रूप में सीमांत लोगों की स्वतंत्रता का विस्तार करने पर बल देता है।
- **स्थिरता और समानता:** विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक संवृद्धि नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचे।
- **सामाजिक न्याय सिद्धांत:** जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने पर प्रकाश डालते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारत में हरित क्रांति:** यद्यपि इसने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने में थी।
- **अंत्योदय दर्शन:** पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे गरीब व्यक्ति के उत्थान का दृष्टिकोण अंतिम छोर तक विकास के सिद्धांत के साथ संगत है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** ज़मीनी स्तर पर रोज़गार और आजीविका प्रदान करने पर केंद्रित, विशेष रूप से सीमांत समुदायों के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

समकालीन उदाहरण:

- **डिजिटल इंडिया पहल:** ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के प्रयास प्रौद्योगिकी में अंतिम-मील समावेशिता को उजागर करते हैं।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** अविकसित ज़िलों में लक्षित विकास संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है।

प्रश्न : नैतिकता उद्देश्य और कार्रवाई के बीच एक निरंतर अंत: क्रिया है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **इमैनुअल कांट:** "किसी कार्य की नैतिकता उसमें निहित उद्देश्य पर निर्भर करती है।"
- **विक्टर फ्रैंकल:** "उद्देश्य और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर होता है। हमारे पास उस अंतराल में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है और प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास एवं हमारी स्वतंत्रता निहित होते हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **कांट के नीतिशास्त्र:** कांत ने उद्देश्य की प्रधानता पर ज़ोर दिया तथा यह तर्क दिया कि किसी कार्य की नैतिकता इस बात में निहित है कि क्या वह व्यक्ति के कर्त्तव्य और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
  - हालाँकि, व्यवहारिक रूप से अनपेक्षित परिणाम उद्देश्य के सख्त पालन के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
- **उपयोगितावाद:** जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावादी दृष्टिकोण उद्देश्य के बजाय किसी कार्य के परिणामों पर केंद्रित है, जिससे यह बात विवादित हो जाती है कि क्या अच्छे उद्देश्य हानिकारक परिणामों को उचित ठहरा सकते हैं या क्या लाभकारी परिणाम संदिग्ध उद्देश्यों को वैध ठहरा सकते हैं।
- **नैतिक दुविधाएँ:** व्यावहारिक स्थितियाँ प्राय: उद्देश्य और प्रतिक्रिया के बीच असंगतता को उजागर करती हैं– उदाहरण के लिये किसी के जीवन की रक्षा के हेतु झूठ बोलना नैतिक रूप से स्वीकार्य माना जा सकता है, भले ही झूठ बोलना स्वाभाविक रूप से अनैतिक हो।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन:** अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के गांधी के उद्देश्य को क्रियान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएँ। हालाँकि, नैतिक उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक वैश्विक प्रेरणा बन गई।
- **हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी:** अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने के साधन के रूप में परमाण्विक आयुध को उचित ठहराया, लेकिन इसके उद्देश्य (युद्ध को समाप्त करके जीवन बचाना) और विनाशकारी परिणामों (बड़ी संख्या में नागरिक हताहत) के बीच नैतिक संघर्ष विवादास्पद है।
- **शासन में मुखबिर:** मुखबिर प्राय: नैतिकता और पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्य करते हैं।
  - हालाँकि, उनके कार्यों के परिणाम जैसे: नौकरी छूटना, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, या यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान उनके उद्देश्यों और वास्तविक दुनिया के परिणामों के बीच समझौते को रेखांकित करते हैं।

समकालीन उदाहरण:

1. **जलवायु परिवर्तन नीतियाँ:** विश्व भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन को रोकने की मंशा व्यक्त करती हैं, लेकिन **राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं के कारण प्राय: कार्रवाई** कम हो जाती है, जो नैतिक उद्देश्य और कार्यान्वयन के बीच अंतर को दर्शाती है।
2. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** कई निगम **CSR पहलों के माध्यम से नैतिक उद्देश्यों का दावा करते हैं, लेकिन ग्रीनवाशिंग** जैसी कार्रवाइयाँ घोषित मूल्यों और ठोस प्रभाव के बीच जटिल अंत: क्रिया को उजागर करती हैं।
3. **सोशल मीडिया और सक्रियता: ट्विटर या इंस्टाग्राम** जैसे प्लेटफॉर्मों पर कार्यकर्त्ता प्राय: जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्यों की प्रदर्शनात्मक प्रकृति उनके उद्देश्यों के नैतिक महत्त्व को कम कर देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : मानव मन एक पिंजरा भी है और एक कुंजी भी।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **बुद्ध:** "आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं, वही निर्माण करते हैं।"
- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "दिमाग पैराशूट की तरह है। जब तक यह खुला न हो, यह काम नहीं करता।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **मन का द्वैत:** मानव मन की अपार संज्ञानात्मक क्षमताएँ नवाचार, सहानुभूति और आत्म-जागरूकता को सक्षम करती हैं, जिससे यह प्रगति के द्वार खोलने की एक कुंजी बन जाता है।
  - इसके साथ ही यह पूर्वाग्रहों, भय और असुरक्षाओं को भी आश्रय देता है, जो एक पिंजरे की तरह कार्य कर सकता है तथा संभावनाओं को सीमित कर सकता है।
- **मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ:** बी.एफ. स्किनर जैसे व्यवहार मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि अनुकूलन इस बात को प्रभावित करता है कि मन एक पिंजरा (नकारात्मक प्रबलता के कारण फँसा हुआ) बनता है या एक कुंजी (सकारात्मक प्रबलता द्वारा सशक्त) बनता है।
- **अस्तित्ववादी दर्शन:** जीन-पॉल सार्त्र ने "बुरे विश्वास" के विचार पर प्रकाश डाला, जहाँ व्यक्ति अपने कार्य करने की स्वतंत्रता को नकार कर स्वयं को फँसा लेते हैं, यह उदाहरण देते हुए कि मन किस प्रकार स्वयं अपना पिंजरा बन जाता है।
  - इसके विपरीत, अस्तित्ववाद भी चयन की स्वतंत्रता पर बल देता है, तथा जीवनकी सार्थकता के लिये मन को महररवपूर्ण मानता है।
- **न्यूरोप्लास्टिसिटी और ग्रोथ माइंडसेट:** आधुनिक न्यूरोसाइंस से पता चलता है कि मस्तिष्क का लचीलापन अनुकूलनशीलता और अधिगम की अनुमति देती है, जिससे मानव मन आत्म-सुधार के लिये एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। हालाँकि, स्थिर मानसिकता इस विकास को बाधित कर सकती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **पुनर्जागरण और मानव सृजनात्मकता:** पुनर्जागरण ने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार बौद्धिक मुक्ति और मानव क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उत्कर्ष की कुंजी बन गया।
- **उपनिवेशवाद और मानसिक अधीनता:** उपनिवेशवादियों ने उपनिवेशित आबादी पर हीनता की कहानियाँ थोपीं, जिससे सामूहिक मानस ने एक 'पिंजरे का रूप' ले लिया।
  - भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों की तरह, विउपनिवेशीकरण के आंदोलनों ने भी गर्व और आत्मविश्वास को बढ़ावा देकर इस मानसिक पिंजरे को तोड़ दिया।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** मानव मस्तिष्क की स्वप्न देखने और नवप्रवर्तन करने की क्षमता ने अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे नए क्षेत्रों का द्वार खोल दिया है, तथा अनंत संभावनाओं की कुंजी के रूप में इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया है।

समकालीन उदाहरण:

- **मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और कलंक-मुक्ति इस बात पर बल देती है कि मन किस प्रकार व्यक्तियों को चिंता, अवसाद और अन्य चुनौतियों के घेरे में डाल सकता है।
  - हालाँकि, थेरेपी और सहायता प्रणालियाँ उनकी भलाई के लिये 'कुंजी' के रूप में काम करती हैं।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** मानव मस्तिष्क की सरलता ने AI का निर्माण किया है, जो समाज के लिये एक परिवर्तनकारी साधन है।
  - हालाँकि, इसके दुरुपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताएँ दर्शाती हैं कि अनियंत्रित नवाचार किस प्रकार अनपेक्षित परिणामों का पिंजरा बन सकता है।
- **सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** जबकि सोशल मीडिया वैश्विक कनेक्टिविटी (एक कुंजी) को सक्षम बनाता है, यह इको-चैम्बर्स और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं (एक पिंजरा) को भी बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : प्रगति परिवर्तन पर निर्भर है; जो विचार नहीं बदलते, वे बदलाव नहीं ला सकते।

अर्थात् परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है और जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते, वे कुछ भी नहीं बदल सकते।

अपने निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण:

- **जॉर्ज बर्नार्ड शॉ:** "परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है और जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते, वे कुछ भी नहीं बदल सकते।"
- **चार्ल्स डार्विन:** "सबसे शक्तिशाली प्रजाति या सबसे बुद्धिमान प्रजाति जीवित नहीं रहती, बल्कि वह प्रजाति जीवित रहती है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है।"
- **महात्मा गांधी:** "आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, पहले वह स्वयं बनें।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **समुत्थानशक्ति और विकास:** जैविक शब्दों में, विकास अपने आप में प्राकृतिक वरण द्वारा संचालित परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जिस तरह प्रजातियों को जीवित रहने के लिये अनुकूलन करना पड़ता है, उसी तरह समाज की भी प्रगति के लिये परिवर्तन आवश्यक है।
- **परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता:** हेगेलियन दर्शन इस बात पर बल देता है कि प्रगति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया— विरोधी विचारों के बीच संघर्ष जो उच्चतर विकास की ओर ले जाता है, के माध्यम से होती है।
- **परिवर्तन का प्रतिरोध:** व्यवहार मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि संज्ञानात्मक असंगति प्राय: व्यक्तियों और समाज को प्रगति से रोकती है तथा प्रगति को रोकती है।
- **खुले विचारों की भूमिका:** जॉन स्टुअर्ट मिल ने *ऑन लिबर्टी* में मौजूदा प्रतिमानों को चुनौती देने और प्रगति को बढ़ावा देने के लिये असहमति एवं बहस के महत्त्व को रेखांकित किया है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सती प्रथा उन्मूलन (भारत):** राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सुधार आंदोलन को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि जड़ जमाए हुए विश्वासों को चुनौती देने से प्रगति हो सकती है।
- **औद्योगिक क्रांति:** कृषि अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक समाजों में बदलाव ने उत्पादन, शहरीकरण और तकनीकी उन्नति में क्रांतिकारी बदलाव किया, लेकिन ऐसा केवल इसलिये हुआ क्योंकि लोगों ने परिवर्तन की मांग के अनुसार स्वयं को ढाल लिया।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, संधारणीय जीवन शैली का अंगीकरण तथा पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, पर्यावरणीय प्रगति के लिये परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **डिजिटल परिवर्तन:** कोविड वैश्विक महामारी के बाद, विश्व ने दूरस्थ कार्य, ई-गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को अपनाया है, जो दर्शाता है कि परिवर्तन किस प्रकार शासन एवं जीवन-शैली में प्रगति को प्रेरित करता है।

प्रश्न : लोकतंत्र सिर्फ शासन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।

अपने निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण:

- **बी.आर. अंबेडकर:** "लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है।"
- **अब्राहम लिंकन:** "जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिये, पृथ्वी से कभी नष्ट नहीं होगा।"
- **जॉन डेवी:** "लोकतंत्र संवाद से शुरू होता है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है:** जॉन डेवी ने अपने लेखन में तर्क दिया कि लोकतंत्र मतपेटी से परे है। यह सहयोग, संवाद और सामूहिक समस्या समाधान की भावना को दर्शाता है।
- **लोकतंत्र और बहुलवाद:** आइज़ाया बर्लिन की मूल्य बहुलवाद की धारणा लोकतंत्र के सार के अनुरूप है जो विविध विचारों को सह-अस्तित्व में रहने और सार्वजनिक संवाद को समृद्ध बनाने की अनुमति देती है।
- **सहभागी लोकतंत्र:** मात्र प्रतिनिधि तंत्रों के विपरीत, सहभागी लोकतंत्र शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी पर बल देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि यह "सहबद्ध जीवन जीने का एक तरीका" बन जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन:** स्वतंत्रता संग्राम ने विविध समूहों को एकजुट किया, एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र को संबद्ध जीवन के रूप में चित्रित किया।
- **भारत में पंचायती राज प्रणाली:** विकेंद्रीकृत शासन ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को सक्षम बनाता है तथा यह दर्शाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार समुदायों को जोड़ता है।

समकालीन उदाहरण:

- **समुदाय-आधारित विकास (SDG):** संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य सहभागी दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हैं, जैसे जल प्रबंधन परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी।
- **नागरिक आंदोलन:** भारत में RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम के लिये नेतृत्व करने वाले आंदोलन दर्शाते हैं कि लोकतंत्र सक्रिय नागरिक भागीदारी पर ही पनपता है।
- **प्रौद्योगिकी और ई-लोकतंत्र:** भारत में MyGov या ब्राज़ील में सहभागी बजट जैसे साधन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी संबद्ध जीवनशैली के रूप में लोकतंत्र को बढ़ाती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) में सार्वजनिक सुनवाई:** भारत में, सार्वजनिक सुनवाई EIA प्रक्रिया में एक अनिवार्य कदम है, जो प्रभावित समुदायों को बाँधों या खदानों जैसी विकास परियोजनाओं के संदर्भ में चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :